प्रगति एक दृष्टि में

कुल जमाराशियां (₹ करोड़ में)
Total Deposits (₹ in crore)

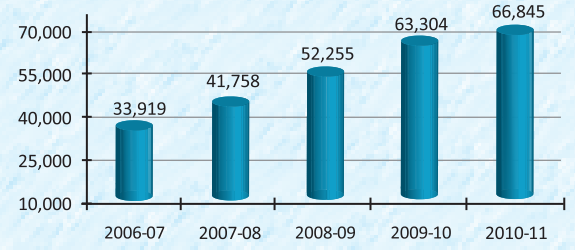

कुल जमा में चालू खाता बचत खाता जमा (%)
CASA Share in Total Deposits (%)

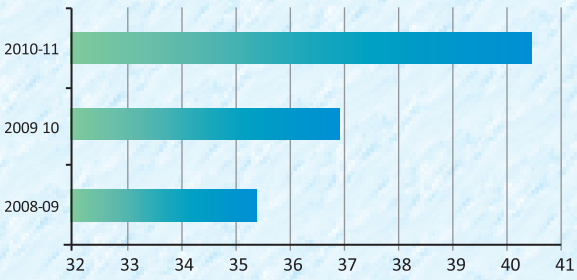

निवल ब्याज मार्जिन (%)
Net Interest Margin (%)

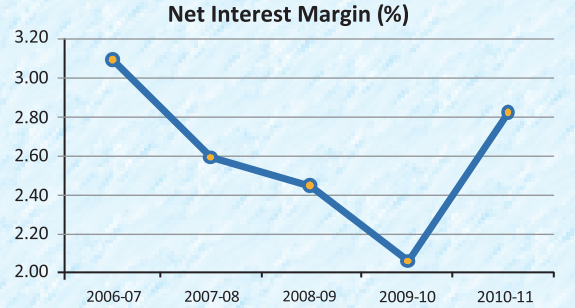

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)
Capital Adequacy Ratio (CRAR) - Basel II (%)

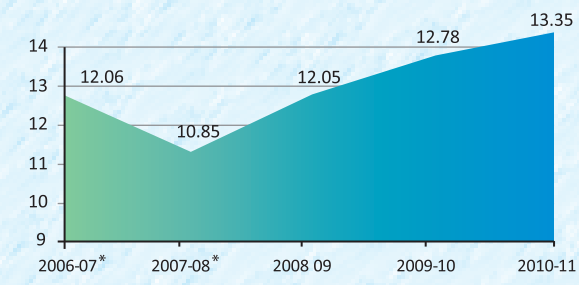

* as per Basel I norms

Progress at a Glance

अग्रिम (₹ करोड़ में)
Advances (₹ in crore)

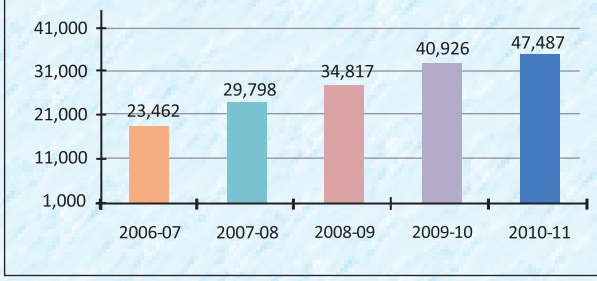

जमा की लागत (%)
Cost of Deposits (%)

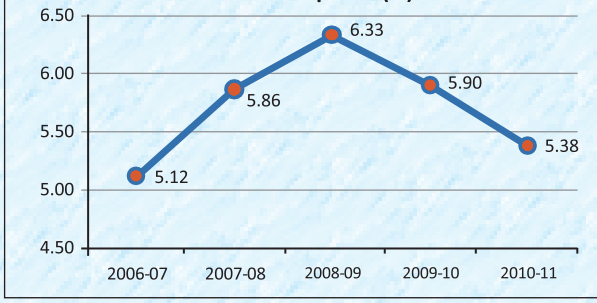

निवल अनर्जक आस्तियां (%)
Net NPA (%)

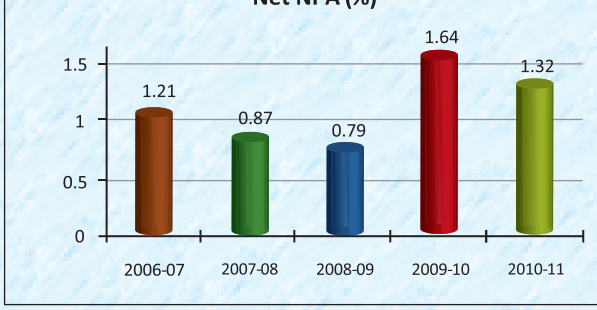

प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)
Business Per Employee (₹ in crore)

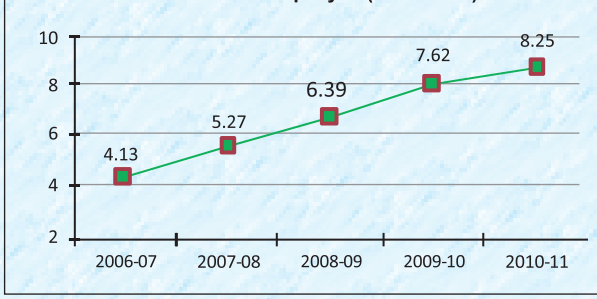

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. / विषय सूची No.	Contents	पृष्ठ क्र. / Page No.
1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Chairman & Managing Director's Statement	2
2. सूचना	Notice	4
3. निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	6
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	Management Discussion and Analysis	6
• स्थूल आर्थिक और मौद्रिक वातावरण	• Macro Economic and Monetary Environment	6
• बैंक का कार्य निष्पादन	• Performance of the Bank	7
• संगठन और समर्थन प्रणाली	• Organisation and Support System	12
• सामाजिक बैंकिंग	• Social Banking	20
• बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएँ	• Important Schemes / Projects of the Bank	21
• संस्थागत सामाजिक दायित्व	• Corporate Social Responsibility	23
• सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान	• Subsidiaries / Joint Ventures and Sponsored Institutions	24
• राजभाषा का प्रगामी प्रयोग	• Implementation of Official Language Policy	25
• निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	• Directors' Responsibility Satement	25
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	• Changes in the Board of Directors	25
4. कॉर्पोरेट गवर्नन्स पर टिप्पणी	Note on Corporate Governance	27
5. तुलनपत्र	Balance Sheet	44
6. लाभ व हानि लेखा	Profit and Loss Account	45
7. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	54
8. लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	58
9. नकदी प्रवाह विवरण	Cash Flow Statement	89
10. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	91
11. बैंक का समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement of the Bank	94
12. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) फॉर्म	Electronic Clearing Service (ECS) Form	117
13. उपस्थिति पर्ची	Attendance Slip	118
14. प्रॉक्सी फार्म	Proxy Form	119

संवैधानिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

बी. छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
कोलकता
B. Chhawchharia & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

रे एंड कं.
सनदी लेखाकार
कोलकता
Ray & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

जोध जोशी एंड कं.
सनदी लेखाकार
नागपुर
Jodh Joshi And Co
Chartered Accountants
Nagpur

जेसीआर एंड कं.
सनदी लेखाकार
मुंबई
JCR & Co.
Chartered Accountants
Mumbai

एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
चंडीगढ़
N.Kumar Chhabra & Co.
Chartered Accountants
Chandigarh

डीएसपी एंड एसोसिएट्स्
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली
DSP & Associates
Chartered Accountants
New Delhi

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.

बैंक ने घरेलू मुद्रास्फीति के सतत उच्च स्तर, बढ़ती ब्याज दरों, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतों तथा घरेलू औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में मंदी भरी आर्थिक परिस्थितियों में परिचालन किया है. इस आर्थिक पृष्ठभूमि में बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवसाय मानदंडों में निरंतर वृद्धि दर्शाई है. यह आपके हार्दिक समर्थन, हमारे ग्राहकों के सहयोग तथा सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता के कारण संभव हुआ है.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएं मैं नीचे प्रस्तुत करना चाहूंगा :

1. कुल व्यवसाय ₹ 1,04,230 करोड़ पर 9.69 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 31.03.2011 को ₹ 1,14,332 करोड़ तक पहुंच गया.
2. बैंक ने वर्ष के दौरान नियमित व्यवसाय वृद्धि प्राप्त की. औसत व्यवसाय में 15.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
3. चालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियां 15.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2011 को बढ़कर ₹ 27,032 करोड़ हो गई जो एक वर्ष पहले ₹ 23,364 करोड़ थी. बैंक की कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश बढ़कर 31.03.2011 को 40.44 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2010 को 36.91 प्रतिशत था.
4. कासा जमाराशियों के अंश में सुधार तथा उच्च लागत जमाराशियां कम करने के कारण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए जमाराशियों पर लागत सुधरकर 5.38 प्रतिशत हो गई जो 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए 5.90 प्रतिशत थी.
5. कुल अग्रिम 16.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2011 को ₹ 47,487 करोड़ के स्तर तक पहुंच गए जो 31.03.2010 ₹ 40,926 करोड़ थे.
6. वित्तीय वर्ष 11 के दौरान अग्रिमों पर आय पिछले वर्ष के 9.55 प्रतिशत से बढ़कर 9.69 प्रतिशत हो गई.
7. आस्ति गुणवत्ता में भी पर्याप्त सुधार हुआ. सकल अनर्जक आस्तियां जो 31.03.2010 को ₹ 1,210 करोड़ (अग्रिमों का 2.96 प्रतिशत) थीं कम होकर 31.03.2011 को ₹ 1,174 करोड़ (2.47 प्रतिशत) रह गईं. इस अवधि के दौरान निवल अनर्जक आस्तियां ₹ 662 करोड़ (1.64 प्रतिशत) से कम होकर ₹ 619 करोड़ (1.32 प्रतिशत) रह गईं.
8. 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए निवल ब्याज आय ₹ 1,968 करोड़ रही जो गत वर्ष के लिए ₹ 1,296 करोड़ थी. इस प्रकार 51.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
9. वित्तीय वर्ष 11 के लिए बैंक का निवल ब्याज मार्जिन सुधरकर 2.80 प्रतिशत हो गया जो वित्तीय वर्ष 10 के लिए 2.05 प्रतिशत था.
10. 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 855 करोड़ हो गया जो 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 815 करोड़ था (4.97 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि). एएस-15 के अधीन कर्मचारी अनुलाभों हेतु किए गए प्रावधानों तथा मानक अग्रिमों पर 10 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक प्रावधान के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अधिक प्रावधान करने के कारण वृद्धि दर धीमी रही.
11. यदि एएस-15 के अधीन कर्मचारी अनुलाभों हेतु प्रावधान न किए गए होते तो वित्तीय वर्ष 11 के लिए परिचालन लाभ 53.47 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,331 करोड़ रुपए होता.
12. वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 330.39 करोड़ रहा जो गत वर्ष ₹ 439.57 करोड़ था.
13. वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से बेमीयादी गैर संचयी अधिमान शेयरों (पीएन-सीपीएस) के रूप में ₹ 588 करोड़ तथा ईक्विटी शेयर पूंजी के रूप में ₹ 352 करोड़ की पूंजीगत सहायता प्राप्त हुई.
14. 31.03.2011 को बासल II मानदंडों के अधीन पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुधरकर 13.35 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2010 को 12.78 प्रतिशत था.
15. व्यवसाय में त्वरित वृद्धि करने तथा कार्य-कुशलता में सुधार हेतु बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नांकित पहल कीः
    i. व्यवसाय विकास में बैंक के प्रत्येक स्टाफ सदस्य की परिणामोन्मुख सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्तूबर 2010 में महाचेतना नामक पहल की गई. त्वरित व्यवसाय वृद्धि हेतु अनेक स्टाफ भलाई पहल के अतिरिक्त ट्रेड यूनियनों के साथ व्यवसाय विकास बैठकें करके उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया गया.

STATEMENT OF CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to present the Annual Report of the Bank together with audited financial statement for the year ended 31.03.2011.

The Bank had to operate in an economic condition dominated by persistent high level of domestic inflation, rising interest rates, rising international commodity prices and slowdown in growth of domestic industrial production. In this economic backdrop, the Bank showed consistent growth in various business parameters during the year with your whole-hearted support, patronage of our customers and enthusiastic participation of all staff members.

I am presenting herewith highlights of performance of the Bank during FY11.

1. Total business increased to ₹ 1,14,332 crore as on 31.03.2011 from ₹ 1,04,230 crore recording a growth of 9.69 per cent.
2. The Bank achieved a steady business growth during the year. Average business increased by 15.15 per cent.
3. Current account and savings account (CASA) deposits increased to ₹ 27,032 crore as of 31.03.2011 from ₹ 23,364 crore a year ago, registering a growth of 15.70 per cent. Share of CASA deposits in total deposits of the Bank improved to 40.44 per cent as on 31.03.2011, as against 36.91 per cent as on 31.03.2010.
4. Due to improved share of CASA deposits and shedding of high cost deposits, cost of deposits improved to 5.38 per cent for the year ended 31.03.2011 from 5.90 per cent for year ended 31.03.2010.
5. Gross advances registered a growth of 16.03 per cent to reach the level of ₹ 47,487 crore as of 31.03.2011 from ₹ 40,926 crore as of 31.03.2010.
6. During FY11, yield on advances increased to 9.69 per cent from 9.55 per cent in the previous year.
7. There was substantial improvement in asset quality. Gross non-performing assets (NPAs) declined from ₹ 1,210 crore (2.96 per cent of advances) as on 31.03.2010 to ₹ 1,174 crore (2.47 per cent) as on 31.03.2011. Net NPAs declined from ₹ 662 crore (1.64 per cent) to ₹ 619 crore (1.32 per cent) during the period.
8. The net interest income (NII) was ₹ 1,968 crore for the year ended 31.03.2011 as against ₹ 1,296 crore for the previous year showing an increase of 51.85 per cent.
9. Net interest margin (NIM) of the Bank improved to 2.80 per cent for FY11 from 2.05 per cent for FY10.
10. Operating profit was increased to ₹ 855 crore for year ended 31.03.2011 from ₹ 815 crore for year ended 31.03.2010 (y-o-y growth of 4.97 per cent). The slower growth recorded was due to provisions made towards employee benefits under AS-15 and additional provision of 5 per cent on standard advances over the regulatory minimum provision of 10 per cent.
11. But for the provisions made for the employee benefits under AS 15, the operating profit would have been ₹ 1,331 crore for FY11 showing y-o-y growth of 53.47 per cent.
12. Net profit was ₹ 330.39 crore for the year as compared to ₹ 439.57 crore of previous year.
13. During the year, the Bank has received capital support from the Government of India in the form of perpetual non-cumulative preference shares (PNCPS) to the extent of ₹ 588 crore and equity share capital to the extent of ₹ 352 crore.
14. Capital Adequacy Ratio under Basel II norms improved to 13.35 per cent as on 31.03.2011 as against 12.78 per cent as on 31.03.2010.
15. During 2010-11, the Bank took following major initiatives for faster growth in business and further improve the efficiency.
    i. For result oriented active participation of every staff member of the Bank in business development, "Maha Chetna" initiative was launched in October 2010. Besides taking number of initiatives for staff welfare, active cooperation from all the trade unions was ensured for accelerated business growth through business development meetings with them.

ii. 83 नई शाखाएं खोली गईं. बैंक का शाखा नेटवर्क बढ़कर 1536 हो गया.

iii. 72 नए एटीएम स्थापित किए गए. 31.03.2011 को एटीएम की कुल संख्या 417 रही जो 31.03.2010 को 345 थी.

iv. 'महा ज्वेल ऋण' योजना तथा 'महा टॉप-अप' योजना नामक नए रिटेल ऋण उत्पाद प्रारंभ किए गए.

v. एक नया चालू जमा उत्पाद 'डायमंड' प्रारंभ किया गया जो खाताधारकों को सेवा प्रभारों में भारी रियायतें प्रदान करता है.

vi. रिटेल ऋणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण हेतु 12 रिटेल आस्ति शाखाएं खोली गईं. इस तरह रिटेल आस्ति शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई.

vii. क्षेत्रीय कार्यालयों में रिटेल ऋणों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने हेतु 18 रिटेल आस्ति प्रसंस्करण कक्ष भी खोले गए.

viii. अनर्जक आस्तियों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा आस्ति गुणवत्ता की बेहतर निगरानी हेतु मौजूदा 5 आस्ति वसूली शाखाओं के अतिरिक्त 10 सूक्ष्म आस्ति वसूली केन्द्र भी स्थापित किए गए.

ix. सीबीएस प्रणाली के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण प्रारंभ किया गया जिससे किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया.

x. मिड कार्पोरेटस को अग्रिमों में वृद्धि करने तथा व्यवसाय के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा ब्याजेतर आय में वृद्धि करने हेतु बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में अलग विभाग स्थापित किए गए हैं.

xi. वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत 'स्वाभिमान' नामक कार्यक्रम लागू करके बैंक ने 421 ग्राहक सेवा प्रदाताओं के द्वारा आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकी के साथ 484 गांवों को समाविष्ट किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50,478 नो-फ्रिल खाते खोले गए.

xii. चंद्रपुर जिला में ज़री तथा ठाणे जिला में आसनगांव नामक दो वित्तीय समावेशन गांवों में शाखाएं खोली गईं.

xiii. स्व सहायता समूहों की आवश्यकताओं, वित्तीय परामर्श सहित, की पूर्ति हेतु पुणे तथा मुंबई में 2 विशिष्ट स्व सहायता समूह शाखाएं खोली गईं.

xiv. प्रौद्योगिकी ज्ञाता, उच्च साख वाले तथा नई पीढ़ी के ग्राहकों हेतु पुणे, मुंबई तथा दिल्ली में ई-लाउन्ज खोले गए हैं. इनमें ग्राहकों के उपयोगार्थ इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, स्व सेवा पासबुक प्रिंटर, एटीएम तथा इलेक्ट्रॉनिक चेक जमा मशीनें स्थापित की गई हैं.

xv. मूल व्यवसाय बढ़ाने हेतु क्षेत्र के विपणन प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में महा मित्र दलों का गठन किया गया है.

xvi. 08.02.2011 को बैंक के वर्धापन दिन को ग्राहक दिवस के रूप में मनाया गया तथा वीडियो सम्मेलन के दौरान देशभर में ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श किया गया.

xvii. बैंक ने अजा/अजजा उधारकर्ताओं को अग्रिमों के संवितरण तथा वसूली में श्रेष्ठ निष्पादन करने वाली शाखा के लिए भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेड़कर के नाम पर चल ट्रॉफी स्थापित की है तथा ऐसी पहली वार्षिक ट्रॉफी 14.04.2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के हाथों वितरित की गई.

xviii. बैंक अपने कार्यनिष्पादन की विशेषताओं को पारदर्शित तरीके से बांटने के लिए बैंक प्रेस बैठकों तथा विश्लेषक बैठकों के द्वारा प्रेस तथा मीडिया के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता रहा है.

वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं.

एएस-15 के अनुसार कर्मचारी अनुलाभों हेतु भारी प्रावधान करने के उपरांत वर्ष के दौरान अर्जित निवल लाभ गत वर्ष के निवल लाभ से कम रहा है लेकिन बैंक के मजबूत बुनियादी आधार को ध्यान में रखते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने आपकी अपेक्षाओं और भावनाओं की अभिस्वीकृति स्वरूप वर्ष 2010-11 के लिए 20 प्रतिशत लाभांश की अनुशंसा की है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे अनुमोदित किया जाए.

आपके समर्थन एवं सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी इसकी कामना करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,
भवदीय,

(अनूप एस. भट्टाचार्य) अप्रैल 30, 2011

ii. 83 new branches were opened taking the branch network to 1536.

iii. 72 new ATMs were installed. Total number of ATMs stood at 417 as on 31.03.2011 compared to 345 as on 31.03.2010.

iv. New retail loan products, "Maha Jewel Loan" scheme and "Maha Top-up Loan" scheme, were introduced.

v. A new current deposit product, "Diamond" was launched which offers substantial concessions in service charges to the account holder/s.

vi. For speedy and quality processing of retail loans, 12 Retail Asset branches were opened taking the total number of Retail Asset Branches to 15.

vii. To ensure faster and quality processing of retail loans at the regional offices, 18 retail asset processing cells were also opened.

viii. For better monitoring of asset quality and swift action on non-performing assets, 10 Micro Asset Recovery Centres were established in addition to existing 5 Asset Recovery Branches.

ix. Asset classification through the CBS system has been started which eliminates any manual intervention.

x. Separate verticals have been created in Central Office of the Bank to ensure focused attention for increasing advances to Mid corporates and for increasing non-interest income through Alternative Channels of Business.

xi. Under financial inclusion initiative – "Swabhiman" programme – the Bank covered 484 villages with ICT based technology through 421 Customer Service Providers (CSPs). Under the programme, 50,478 no-frill accounts were opened.

xii. Two branches were opened at financial inclusion villages, Zari in Chandrapur district and Asangaon in Thane district.

xiii. Two exclusive Self Help Group (SHG) branches at Pune and Mumbai were opened for catering to the SHGs, including financial counseling.

xiv. For the convenience of tech savvy, High Networth and new generation customers, three e-Lounges were opened, one each in Pune, Mumbai and Delhi. The lounges are equipped with internet banking terminals, self servicing passbook printer, ATM, electronic cheque deposit machine and internet facility for use of customers.

xv. "Maha Mitra" teams have been formed in all regional offices to accelerate marketing efforts of the Region for increasing the core business.

xvi. The Bank's Anniversary Day on 8.2.2011 was celebrated as Customers' Day and interaction with customers was held across the country through video conferencing.

xvii. The Bank instituted Rolling Trophy in the name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar for the best performing branch in disbursement and recovery of advances to SC/ST borrowers and first annual trophy was presented at the hands of Executive Director of RBI on 14.04.2011.

xviii. The Bank has been interacting with press and media through press meets and analyst meets for sharing performance highlights of the Bank in a transparent manner.

All these initiatives taken during 2010-11 have started yielding favorable results now.

The net profit earned in the year after meeting the substantial provision in accordance with AS-15 for employee benefit was less than the net profit of previous year. However, considering the strong fundamentals of the Bank, the Board of Directors has recommended a dividend of 20% for the year 2010-11, in recognition of your expectations and sentiments. I request you to approve the same.

I thank you for your support and patronage and solicit the same in future.

With warm regards,
Yours sincerely,

(Anup S. Bhattacharya) April 30, 2011

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय, लोकमंगल,1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शोयरधारकों की असाधारण आम सभा बुधवार दिनांक 27 जून 2011 को सुबह 11.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय, लोकमंगल,1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगीः

1. 31 मार्च 2011 के तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.
2. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लाभांश घोषित करना.

स्थानः पुणे

दिनांकः 18 मई 2011

(ए.एस.भट्टाचार्य)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित रहकर वोट डालने के पात्र शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और वोट डालने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है. ऐसा प्रॉक्सी व्यक्ति बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर वार्षिक आम सभा के दिनांक से चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 22 जून 2011 को निर्धारित कार्य के घंटे समाप्त होने तक या उससे पूर्व मिल जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्यप्रति है जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में साधारण आम सभा की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 22 जून 2011 को या उससे पहले कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह -प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आयोजन स्थल पर देने की कृपा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र पर प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथाप्रसंग, का उल्लेख करें.

4. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 18 जून 2011 से सोमवार 27 जून 2011 (दोनों दिन मिलाकर) तक वार्षिक आम सभा और लाभांश भुगतान, यदि हो, की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे.

5. लाभांश का भुगतान

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित लाभांश का शेयरधारकों को भुगतान भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम दिनांक 27 जून 2011 को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में लिखे होंगे और डी-मेट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को डिपॉजिटरी द्वारा बैंक को उपलब्ध की गई दिनांक 17 जून 2011 की सूची के अनुसार लाभांश का भुगतान किया जाएगा और वार्षिक आम सभा का दिनांक से 30 दिनों के अन्दर लाभांश वारंट डाक द्वारा भेज दिए जाएंगे.

6. अंतरण प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को शेयरों के अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र. 7 में दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाए.

7. पते में परिवर्तन

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजेंः
एमसीएस लिमिटेड,
(इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र),
आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,
5, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोडी),
मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
फोन : (022) 2372 6253 -56
फैक्स : (022) 2372 6252
ई-मेल : mcspanvel@yahoo.co.in
डिमैट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपन्टस को दें.

8. इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सेवा सुविधा-एन-ईसीएस/इलेक्ट्रानिक क्लीअरिंग सेवाएं (ईसीएस) तथा बैंक ब्योरों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, जहां उपलब्ध हो वहां, एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से करने की व्यवस्था करेगा. किसी केंद्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा.

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रानिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं. वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से करने के अनुरोध रजिस्ट्रार व अन्तरण एजेन्ट-एमसीएस लि. को भी अनुच्छेद 7 में दिए गए पते पर दिनांक 17 जून, 2011 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

डिमटेरियालाइज रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक कृपा नोट करें कि संबंधित डिपाजिटरीज में पंजिकृत ईसीएस अधिदेश के अनुसार लाभांश भेजने हेतु विचार किया जाएगा. अपने बैंक खातों के विवरण में परिवर्तन कराने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपनी डिपाजिटरी पार्टीसिपन्टस को बैंक खातों का पूर्ण विवरण देते हुए परिवर्तन करने का अनुरोध 17 जून, 2011 को या उससे पूर्व करें.

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश उनके खाते में जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं.

9. शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक आम सभा में अपने साथ लाएं.

10. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के केंद्रीय कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक आम सभा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाए ताकि प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके. शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक आम सभा में ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

BANK OF MAHARASHTRA

HEAD OFFICE: "LOKMANGAL", 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE-411005

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, the 27th June , 2011 at 11.30 a.m at Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011,and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
2. To declare dividend for the year ended 31st March 2011

Place: Pune

Date: 18 May 2011

(A S Bhattacharya)

Chairman and Managing Director

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Wednesday, 22nd June 2011.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Wednesday, 22nd June 2011

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance Slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance-cum-slip as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

4. BOOK CLOSURE

The Register of shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday 18th June 2011 to Monday 27th June 2011 (both days inclusive) for the Purpose of the Eighth Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitled for dividend, if any.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as recommended by the Board of Directors and as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 27th June 2011 and in respect of shareholders holding their share in dematerialised form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on 17th June 2011 and the dividend warrants shall be mailed within thirty days from the date of Annual General Meeting.

6. LODGEMENT OF TRANSFERS

Share Certificates along with transfer deeds for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para no:7.

7. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:
MCS Limited,
Unit: Bank of Maharashtra,
Office No.21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Bldg.,
5, P.D' Mello Road,
(Ghadiyal Godi),
Masjid (E) Mumbai-400 009.
Tel No : 022-2372 6253-56
Fax : 022-2372 6252
Email : mcspanvel@yahoo.co.in
Shareholders holding shares in Dematerialized Form are requested to intimate changes, if any, in their address directly to the respective Depository Participants.

8. National Electronic Clearing Services-N-ECS/ Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank will arrange to make payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of N-ECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report. The request for payment of dividend through ECS for the year 2010-11 should be lodged with Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS Ltd at address mentioned under para 7 on or before 17th June 2011.

Shareholders holding shares in Dematerialized form may please note that ECS mandate as recorded with the respective depositories will be considered for sending divided through ECS. Shareholders who wish to change Bank account details are requested to advise their depository participants only about such change with complete details of Bank Account on or before 17th June 2011.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards dividend.

9. Shareholders/Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.

10. Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the Investor Services Department of the Bank at its Head Office, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. स्थूल आर्थिक और मौद्रिक वातावरण

1.1 वर्ष 2010-11 में आर्थिक परिदृश्य

2007-09 से उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक उभर गई. वर्ष 2009-10 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि दर और वित्तीय वर्ष 2010-11 की 8.6 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) की वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाए तो कायाकल्प काफी तीव्र गति से हुआ. कृषि में हुई 5.4 प्रतिशत और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में हुई 8 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में उच्चतर वृद्धि हुई.

ऋण मांग में वृद्धि, विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता और सुदृढ़ ईक्विटी बाजार सबके समग्र असर ने वित्तीय बाजारों को बेहतर बनाए रखा. अक्तूबर 2010 के बाद निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी के कारण चालू खाते के घाटे में मामूली कमी आई. वित्तीय वर्ष 2010-11 के पहले 11 माह के दौरान भारत में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मामूली रूप से कम होकर $25.9 बिलियन डॉलर रहा. तथापि वैश्विक घटकों और कम्प्यूटर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और विनिर्माणी गतिविधियों में कमजोर अंतर्प्रवाह के कारण यह स्थिति अस्थाई रहने का अनुमान है.

वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक 10 प्रतिशत तक बना रहा और जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंक को मई 2011 के दौरान हुई मौद्रिक समीक्षा में आठवीं बार प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि करने को मजबूर किया. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर-दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण (सर्वेक्षण के 22वें चक्र में 12 शहरों के 4000 घरों में सर्वेक्षण किया गया) से यह प्रकट हुआ कि आम गृहस्थ को मुद्रास्फीति से किसी प्रकार की राहत की अपेक्षा नहीं है. ठीक इसके विपरीत उन्हें आशा है कि वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 13 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी. मुद्रास्फीति के उच्च अनुमानों से मूल्यों में और अधिक दबाव आएगा. परिणामस्वरूप लंबे समय में मजदूरी में भी वृद्धि करनी होगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने लगातार उच्च मुद्रास्फीति को सहन क्षमता से अधिक वृद्धि का परिणाम बताया है, जो वर्ष 2011-12 के भारत के वृद्धि अनुमानों में कमी करेगा.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय समेकन परिकल्पना के अनुसार 5.1 प्रतिशत के उचित स्तर पर बना रहा. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा घोषित 4.6 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4.8 प्रतिशत से कम रहेगा, जो राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है. बजट में 2012-13 के लिए 4.1 प्रतिशत और 2013-14 के लिए 3.5 प्रतिशत का परिवर्तनशील लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

1.2 वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का कार्यनिष्पादन

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग काफी सुदृढ़ बनी रही. 2009-10 की अंतिम तिमाही से बैंक ऋण की मांग में आई वृद्धि 2010-11 के दौरान भी बनी रही, जो सुदृढ़ उद्योग वृद्धि से उत्पन्न सुधारित मांग का प्रतिबिंब है. वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही में सुदृढ़ ऋण वृद्धि अंशतः टेलिकॉम ऑपरेटरों की अधिक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुई. वर्ष 2009-10 के दौरान हुई 16.9 प्रतिशत और 2008-09 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में दिनांक 25.03.2011 तक ऋणों में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित 20 प्रतिशत से काफी अधिक है. पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि के दौरान गैर खाद्यान्न सकल बैंक ऋण में हुई 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान गैर खाद्यान्न सकल बैंक ऋण में वृद्धि 21.2 प्रतिशत हुई.

वर्ष 2010-11 में समग्र जमाराशियों में वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत पर कम रही क्योंकि तेजी से सुधरते हुए आस्ति बाजार (रिअल इस्टेट, स्वर्ण और स्टॉक बाजार) से मिलने वाली आय की तुलना में वास्तविक ब्याज दरें कम रही.

वर्ष 2010-11 में ऋण में ऊंची वृद्धि तथा जमाराशियों में कम वृद्धि गतिशीलता के कारण ऋण जमा अनुपात बढ़कर 25 मार्च 2011 को 75.7 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2010 के अंत में 72.2 प्रतिशत था.

उच्च ऋण वृद्धि और कड़ी तरलता स्थिति के कारण वाणिज्यिक बैंकों के सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के 29.2 प्रतिशत की तुलना में कुल निवेश से 27.3 प्रतिशत के कम स्तर पर बने रहें. परिणामस्वरूप निवेश जमा अनुपात मार्च 2010 के 30.8 प्रतिशत से घटकर 25 मार्च 2011 को 28.82 प्रतिशत रह गया.

सेवाओं में (23.9 प्रतिशत) तथा व्यक्तिगत ऋणों मे (17 प्रतिशत) के उच्च ऋण प्रवाह के साथ वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ऋणों का क्षेत्रवार विनियोजन विस्तृत आधारित रहा.

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Macro Economic and Monetary Environment

1.1 Economic Scenario in 2010-11

The Indian economy has emerged successfully from the financial turmoil witnessed globally from 2007-09.Turnaround has been quite fast considering the 8 per cent growth in 2009-10 and 8.6 per cent (advance estimate) in FY 2010-11. Higher growth in FY 2010-11 hinge on robust growth of 5.4 per cent in agriculture and more than 8 per cent growth in both the industrial and services sectors.

Pick up in credit demand, stable foreign exchange market and robust equity market –all ensured that the financial markets remained on course. Current Account Deficit is also likely to moderate with increase in exports and slowdown in imports post October 2010. Cumulative FDI into India during the first 11-months of the FY 2010-11 moderated to $25.9 billion. However this is likely to be a temporary phenomenon considering the global factors and weak inflows into sectors like computer services, financial services, banking, and construction.

Wholesale Price Index (WPI) hovered around 10 per cent during the year forcing the central bank to raise key policy rates for the eighth time in almost a year during its monetary policy review in the month of May '11. A survey conducted by the Reserve Bank of India (RBI) during October-December 2010 (22nd round of the survey conducted among 4,000 urban households across 12 cities) has revealed that households do not expect any respite from the high inflation. On the contrary, they expect the inflation to rise to more than 13 per cent by the year end. Elevated inflation expectations suggest that underlying price pressures persist, which could result in increased wage pressures and sticky inflation in long run. The continuously high inflation is being viewed as a case of overheating by some bodies like IMF which have cut down the growth projections for India for the year 2011-12.

Fiscal consolidation remained on track in the fiscal year 2010-11 at 5.1 per cent as envisaged. Fiscal deficit of 4.6 per cent, announced by the Government in the Union Budget for FY 2011-12, would be below the Planning Commission's target of 4.8 per cent set for FY 2011-12 and reiterates the Government's commitment on fiscal consolidation. Budget has set the rolling targets at 4.1 per cent for 2012-13 and 3.5 per cent for 2013-14.

1.2 Performance of Indian Banking Industry in 2010-11

Indian Banking remained resilient during the global financial crisis. Bank credit growth that started picking up from the last quarter in 2009-10 continued its momentum in 2010-11 as well, a reflection of the improved demand conditions. The strong credit growth in the first Quarter of 2010-11 was mainly due to the increased credit requirement of telecom industry. Credit growth increased to 21.4 percent up to 25th March 2011, well above the projected trajectory of 20 percent for the full year. The credit growth was 16.9 per cent in 2009-10 and 17.5 per cent in 2008-09. During the year 2010-11, non-food gross bank credit growth was 21.2 per cent as compared to 17.1 per cent during the corresponding period of previous year.

Growth in Aggregate Deposits in 2010-11 was lower at 15.8 per cent as the real interest rates were depressed, in comparison with the returns in fast recovering asset markets. (real estate, gold and stock markets)

Higher growth in credit and low growth momentum in deposits in 2010-11 caused the credit-deposit ratio to increase from 72.2 per cent in end March 2010 to 75.7 per cent as on 25th March 2011.

Due to higher credit off-take and tight liquidity conditions, commercial banks' investment in government and other approved securities remained low at 27.3 per cent of total investment as compared to 29.2 per cent in the previous year. Consequently the investment – deposit ratio also declined from 30.8 per cent in end March 2010 to 28.82 per cent on 25th March 2011.

Sectoral deployment of credit remained broad based in FY 2010-11, with high growth in flow of credit to services (23.9 per cent) and personal loans (17 per cent).

1.3 परिदृश्य

वर्ष 2011-12 के उत्तरार्ध में वैश्विक अनिश्चितता, लगातार उच्च मुद्रास्फीति,तेल व अन्य वस्तुओं के उच्च मूल्य,उच्च ब्याज दरों तथा पूंजीगत माल के उत्पादन व निवेश खर्च में कमी की पृष्ठभूमि के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2011-12 में 8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार के लिए चुनौती होगी कि वह उच्च वृद्धि दर बनाए रखें और साथ-साथ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रख सकें. भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मई 2011 को घोषित मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दरों को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत करने की घोषणा की है.अल्पावधि में वृध्दि को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय सरकार द्वारा बजट 2012 में शिक्षा, कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास के लिए घोषित उपायों के अनुरूप हैं और दीर्घकाल में मानव पूंजी के विकास और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होंगे.

अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बुनियाद के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि बैंकिंग उद्योग भारत में अपने निगमित ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा व वित्तीय समावेशन अभियान के माध्यम से कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों तक अधिक कुशलता से वर्ष 2011-12 और उससे आगे भी पहुंचता रहेगा.

अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित बैंकों की समग्र जमाराशियां 17 प्रतिशत से और गैर खाद्यान्न ऋण 19 प्रतिशत से बढ़ेंगे. अपेक्षा है कि भारत सरकार बैंकिंग विनियम अधिनियम में वर्ष 2011-12 के दौरान कुछ संशोधन करेगी ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक नए बैंकिंग लाईसेन्स जारी कर सके. सरकार ने भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 60 बिलियन की राशि चिन्हित की है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंक 8 प्रतिशत का टियर 1 - पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रख सके. यह वर्ष 2010-2011 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लगाई गई ₹ 20.150 करोड़ की पूंजी के अतिरिक्त है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वह भारतीय बैंकों को लागू बेसल III फ्रेमवर्क के सुधार उपाय भी शीघ्र लागू करेगा. अतः बैंकिंग उद्योग में इस प्रकार के कई परिवर्तन होंगे जो न केवल भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जटिल है.

जोखिम में कमी के उपरांत भी और मुद्रास्फीतिगत अपेक्षाओं की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों की शर्तों के अनुसार सुधार और समेकन करेगी.

2. बैंक का कार्य निष्पादन

2.1 कारोबार

बैंक का कुल कारोबार 9.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2011 को ₹ 114,332 करोड़ का रहा.

2.2 जमाराशियां

चालू व बचत खातों की जमाराशियों में सुदृढ़ वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियों में ₹ 3541 करोड़ की वृध्दि हुई और कुल जमाराशियां ₹ 66,845 करोड़ हो गईं. इस प्रकार मार्च 2010 के ₹ 63,304 करोड़ के स्तर पर 5.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. समान अवधि में सकल जमाराशियों में 5.44 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई.

वर्ष के दौरान मांग (चालू खाता बचत खाता) जमाराशियों में 15.70 प्रतिशत की वृध्दि हुई और ये 31.3.2011 को ₹ 27,032 करोड़ की रहीं. बैंक की कुल जमाराशियों में बचत व चालू जमाराशियों का हिस्सा 40.44 प्रतिशत रहा.

2.3 ऋण अभिनियोजन

बैंक में उधारी नीति लागू है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों तथा भारत सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी मानदण्डों के अनुरूप है. यह नीति गुणनात्मक ऋण वृध्दि पर बल देती है और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

सकल अग्रिम 16.03 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाते हुए 31.03.2010 को ₹ 40,926 करोड़ से बढ़कर 31.03.2011 को ₹ 47,487 करोड़ हो गए.

31.03.2010 को ऋण जमा अनुपात 64.65 प्रतिशत था जो बढ़कर 31.03.2011 को 71.04 प्रतिशत हो गया.

सभी स्तरों पर प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करने के लिए और ऋण की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए. निम्नानुसार अनेक नए प्रयास किए गएः

- ऋण प्रस्तावों के आवक और सभी स्तरों पर स्थिति का पता लगाने के लिए वैब आधारित अनुप्रयोग
- ऋण मूल्यांकन तकनीकों में सुधार

1.3 Outlook

Growth is expected to moderate at around 8 percent in 2011-12. Against the backdrop of uncertainty in the global front, persistent inflation, high oil and other commodity prices, high interest rates and signs of slowdown in capital goods production and Investment spending since the second half of the year 2010-11, it would be a challenge for the government to propel growth and contain inflation simultaneously in FY 2011-12. RBI has already announced increase in repo rate by 50 basis points from 6.75 per cent to 7.25 per cent in its bid to combat inflation, in the Monetary Policy announced on 3rd May 2011. Thus RBI's measures to control inflation to sustain growth over the medium term supplemented with the measures announced by the Government in Budget 2012 for development of education, skill development and research and development would help to boost the development of human capital and help the economy to grow fast in the long run.

Backed by the strong fundamentals of the economy, Banking industry would be able to meet expectations of its corporate clients and also reach out to the under banked centres of India via its financial inclusion drive in much more efficient manner in 2011-12 and beyond.

Aggregate Deposits of SCBs are projected to grow by 17 per cent and non food credit by 19 per cent in 2011-12. Government is expected to bring out some amendments in the Banking Regulation Act in FY 2011-12 to enable RBI to issue new banking licenses. To maintain its drive of strengthening the Indian Banks, Government has earmarked a sum of ₹ 60 billion for FY 2011-12 to enable Public Sector Banks (PSBs) to maintain a minimum Tier I CRAR at 8 per cent. This is in addition to about ₹ 20,150 Crore infused to PSBs in FY 2010-11. Reserve Bank has already indicated that it would implement the reform measures under Basel III framework which are applicable in India. Banking industry is thus poised to witness many such changes which would be critical not only to the Indian Banking industry but also to the Indian economy.

Despite downside risks, in view of inflationary expectations, the Indian economy is poised to improve and consolidate in terms of key macroeconomic indicators.

2. Performance of the Bank

2.1 Business

Total business of the Bank stood at ₹ 114,332 crore as on 31.03.2011 registering growth of 9.69 per cent.

2.2 Deposits

Driven by robust growth in current and savings account (CASA) deposits, total deposits recorded growth of ₹ 3541 crore during the year to reach ₹ 66,845 crore, up by 5.59 per cent over the level of ₹ 63,304 crore as at the end of March 2010. Aggregate deposits recorded growth of 5.44 per cent over the same period.

Demand (CASA) deposits increased by 15.70 per cent and stood at ₹ 27,032 crore as of 31.03.2011. CASA deposits constituted 40.44 per cent of total deposits of the Bank.

2.3 Credit Deployment

The Bank has put in place a lending policy in conformity with the guidelines issued by RBI and also the priority sector lending norms of the Government of India. It emphasizes on qualitative credit growth and ensures compliance with regulatory requirements as well as the prudential exposure limits.

Gross advances of the Bank increased from ₹ 40,926 crore as on 31.3.2010 to ₹ 47,487 crore as on 31.3.2011 with growth rate of 16.03 per cent.

Credit deposit ratio (CDR) as on 31.3.2011 was 71.04 per cent as against 64.65 per cent as on 31.03.2010.

Several steps have been taken for reduction in the proposal processing time at all levels and for improvement in the quality of credit. Several new initiatives were taken, such as:

- Web based application for inward of credit proposals and tracking of status at all levels
- Improvement in credit appraisal techniques

- क्रेडिट अधिकारियों के ऋण मूल्यांकन एवं विपणन कौशल को अद्यतन बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष विचार-विमर्श के लिए विभिन्न स्थानों पर ग्राहक बैठकें आयोजित की गईं जिनमें केन्द्रीय कार्यालय के वरिष्ठ कार्यपालकों ने सहभाग लिया.
- वर्ष के दौरान पांच नए विदेशी मुद्रा विनिमय केन्द्र, कार्पोरेट वित्त शाखाओं में भी, खोले गए ताकि ग्राहकों को एक ही स्थान पर विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान की जा सकें.

त्वरित ऋण संवितरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न मंजूरीदाता प्राधिकारियों के उधारी अधिकारों में वृद्धि की गई है.

बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से वर्ष के दौरान अग्रिमों से आय में सुधार हुआ है.

ऋण जोखिम विस्तारण के अलावा निवल ब्याज मार्जिन बढ़ाने तथा कोर ऋणों में वृद्धि हेतु मिड कार्पोरेट को ऋण प्रवाह के लिए बैंक में एक अलग कक्ष का गठन किया गया है. मिड कार्पोरेट ऋण तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर संवेदी होते हैं और कोर ऋणों में वृद्धि के साथ ऋणों पर उच्च आय प्रदान करते हैं. इसलिए वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु मिड कार्पोरेट को वित्तपोषण बैंक के लिए महत्वाले क्षेत्रों में से एक होगा.

2.3.1 निधियों का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थ व्यवस्था के विभिन्न वर्गों को वित्तपोषण के समय बैंक ने विकेन्द्रीत ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिश्चित हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

31.03.2011 को उद्योगवार ऋण विनियोजन निम्नानुसार रहाः

क्रं.	विनियोजित ऋण	31.03.2011 को बकाया (रु करोड़ में)	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	27,432.48	57.77
	इसमें से		
	i अवसंरचनात्मक	8045.74	16.94
	ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1117.31	2.35
	iii पेट्रोलियम	563.59	1.19
	iv लोहा व स्टील	1549.08	3.26
	v एनबीएफसी व ट्रेडिंग	8298.98	17.48
	vi इंजिनियरिग	4243.92	8.94
	vii विनिर्माण	530.66	1.12
	viii अन्य उद्योग	3,083.20	6.49
2	कृषि	4691.17	9.88
3	एमएसएमई	7,037.31	14.82
4	आवास	4288.26	9.03
5	शिक्षा	412.20	0.87
6	निर्यात	757.29	1.59
7	वाणिज्यिक भू संपदा	809.82	1.71

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही से, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अनर्जक आस्तियों का अभिनिर्धारण संव्यवहार सॉफ्टवेयर से आरंभ कर दिया है, जो अब तक क्रीम प्रणाली से किया जाता था. प्रत्येक उधार खाते में टर्नओवर/वसूली का पता लगाने में और खातों की समय पर तथा प्रभावी निगरानी करने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत पकड़ने में क्रीम प्रणाली के डाटा-बेस से मदद मिली है.

अब उधार खातों की दैनिक आधार पर निगरानी करने में कोर बैंकिंग सोल्यूशन मदद करता है. दैनिक आधार पर कोटिअवनयन रिपोर्ट उपलब्ध है, जो खाते का पता लगाने में तथा उधार खाते की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है.

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है.

ऋण गुणवत्ता, ऋण प्रशासन,विनियमनकारी अनुपालन तथा ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा में ऋण निगरानी सहायक होती है.

- Training provided to credit officers to upgrade their credit appraisal & marketing skills
- Customers' meet organized at various places with participation by senior Executives from Central Office to have direct interaction with the clients
- Five new forex centres were opened during the year, including at Corporate Finance branches, so as to provide forex services to corporate clients under one roof.

During the year, lending powers of various sanctioning authorities have been enhanced for speedier delivery of credit.

As a result of various steps taken by the Bank, yield on advances has improved during the year.

To increase NIM and ensure core credit growth besides dispersion of credit risk, a separate vertical for credit flow to Mid Corporates has been created in the Bank. Mid Corporate credit is relatively less interest rate sensitive, and provides core credit growth with relatively higher yield. Financing to Mid Corporates would be one of the thrust areas for the Bank in the FY 2011-12.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavoured to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

Industry wise credit deployment as on 31.03.2011 is as under.

Sr. No.	Credit deployed	Outstanding as on 31.03.2011 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	27,432.48	57.77
	Of which		
	i. Infrastructure	8045.74	16.94
	ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1117.31	2.35
	iii. Petroleum	563.59	1.19
	iv. Iron & Steel	1549.08	3.26
	v. NBFCs & Trading	8298.98	17.48
	vi. Engineering	4243.92	8.94
	vii. Construction	530.66	1.12
	viii. Other Industries	3,083.20	6.49
2	Agriculture	4691.17	9.88
3	MSME	7,037.31	14.82
4	Housing	4288.26	9.03
5	Education	412.20	0.87
6	Exports	757.29	1.59
7	Commercial real estate	809.82	1.71

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

From the quarter ending March 2011, Bank has started identifying the NPAs from the transaction software as per the guidelines of Govt. of India, which hitherto was being done by the CREAM system. The CREAM database helped to track the recovery/turnover in each borrowal account and helped to pick up early warning signals for timely & effective monitoring of the accounts.

Now the Core Banking solution helps to monitor the borrowal accounts on day to day basis. The slippage report is available on day to day basis which is helpful in tracking the account and keep the quality aspect of the borrowal account intact.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit audit and stock audit.

Credit monitoring helps at improving the credit quality, credit administration, regulatory compliance and review of credit approval process.

2.4 आस्ति निष्पादन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अनर्जक आस्तियों में ₹ 405.75 करोड़ की नकद वसूली की है. इसमें से लेजर शेष में ₹ 277.70 करोड़, बट्टेखाते में डाले गए खातों में ₹ 90.38 करोड़ और अप्रयुक्त ब्याज में ₹ 37.67 करोड़ की वसूली हुई है. इसके अतिरिक्त ₹ 107.70 करोड़ की अनर्जक आस्तियों का अर्जक आस्तियों में कोटिउन्नयन किया गया है.

गत वर्ष हुई वसूली (₹ 254.27 करोड़) की तुलना में बैंक ने इस वर्ष 59.62 प्रतिशत सुधार दर्ज किया है. अतिदेयताओं की वसूली हेतु चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों तथा नोटिसों के माध्यम से गहन अनुवर्तन, वसूली कैम्प तथा लोक अदालत तथा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन, मुकदमा दायर एवं डीआरटी मामलों में त्वरित निर्णय लेने हेतु वकीलों के साथ अनुवर्तन इत्यादि के कारण यह संभव हो पाया है.

चालू वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहल यह थी कि ₹ 10.00 लाख तक के शेष वाले अनर्जक आस्तियों में वसूली हेतु 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षों की स्थापना की गई. इन कक्षों ने बहुत उत्साहवर्धक कार्यनिष्पादन दर्शाया और 4 माह की अवधि में ही कुल ₹ 47 करोड़ की वसूली की.

₹ 5.00 लाख तक के शेष वाले अनर्जक आस्तियों में वसूली हेतु विशेष एक बार निपटारा योजना ने भी बहुत प्रभावी कार्यनिष्पादन दर्शाया. इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष के ₹ 16 करोड़ की तुलना में ₹ 45 करोड़ की कुल वसूली हुई.

अनर्जक आस्ति वसूली निष्पादन में वृद्धि और वसूली प्रक्रिया में कर्मचारियों को शामिल करने हेतु बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान अनर्जक आस्ति खातों की चूककर्ता हानि और बट्टे डाली गई श्रेणियों में कर्मचारियों द्वारा की गई वसूली के लिए एक कर्मचारी प्रोत्साहन योजना आरंभ की है.

सकल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात दिनांक 31.3.2010 के 2.96 प्रतिशत से घट कर दिनांक 31.3.2011 को 2.47 प्रतिशत और निवल अग्रिमों से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात गत वर्ष के 1.64 प्रतिशत से घट कर दिनांक 31.3.2011 को 1.32 प्रतिशत हो गया.

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नें ₹ 18,536.62 करोड़ का व्यापारी आवर्त और ₹ 1,74,090 करोड़ का अन्तर बैंक आवर्त हासिल किया. बकाया निर्यात ऋण 31.03.2010 के ₹ 1088.32 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹ 757.29 करोड़ के रहे. वर्ष के दौरान बैंक ने पांच और शाखाओं को बी-श्रेणीय शाखाओं में नामित किया है, जिससे विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाली शाखाओं की कुल संख्या 33 हो गई. मुंबई स्थित अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा व समूचे देश में फैली 33 बी-श्रेणी शाखाएं ग्राहकों की विदेशी मुद्रा कारोबार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं.

अनिवासी ग्राहकों को त्वरित सेवा देने हेतु बैंक ने इंट्रानेट के माध्यम से सभी शाखाओं में ऑन-लाईन सहायता उपलब्ध की है.

2.6 निवेश

बैंक के निवेश 31.03.2010 के ₹ 21,323.85 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2011 को ₹ 22,491.08 करोड़ के रहे. इस प्रकार 5.47 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई. कुल निवेश संविभाग के 78.40 प्रतिशत निवेश परिपक्वता तक धारित तथा 21.60 प्रतिशत निवेश विक्रय हेतु उपलब्ध श्रेणी में रखे गए. गत वर्ष के दौरान निवेशों पर हुई निवल ब्याज आय ₹ 1,297.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,520.29 करोड़ हो गई. इस प्रकार 17.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

2.7 उधारियां

दिनांक 31.3.2011 को बैंक की कुल उधारियाँ नाबार्ड तथा सिडबी से लिए गए ₹ 377.54 के पुनर्वित्त सहित ₹ 576.56 करोड़ की थीं. दि. 31.03.2010 को कुल उधारियां ₹ 129.45 करोड़ की थीं.

2.8 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतान कर्ता एजेंट के रूप में ₹ 9,245.30 करोड़ के कमर्शियल पेपर के 69 निर्गमों का संचलन अपने ग्राहकों के लिए किया और रू.12.55 लाख की कमीशन आय अर्जित की.

2.9 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी है. डीमैट खातों में शेष इत्यादि जैसे खाता स्तरीय प्रश्नों की जानकारी बैंक की अभिनिर्धारित 131 वैन सक्षम शाखाओं में उपलब्ध है. इंटरनेट के माध्यम से खाते की स्थिति देखने के लिए बैंक मुफ्त में (सीडीएसएल के माध्यम से) ईएएसआई सुविधा उपलब्ध कर रहा है. महाबैंक जनसंपर्क केंद्रों पर प्रश्न अनुपालन सुविधा सुबह 7.00 बजे से रात 11.00 बजे तक उपलब्ध है. बैंक ने तीन ब्रोकरों से गठबंधन कर अपने ग्राहकों की सेवार्थ ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग सुविधा महा-ई-ट्रेड का शुभारंभ किया है. महा-ई-ट्रेड में प्रतिभूतियों /निधियों पर ग्रहणाधिकार अंकित करना एक प्रमुख गुण है.

2.4 Asset Performance

Bank has achieved total cash recovery of ₹ 405.75 crore in respect of NPAs during the fiscal 2010-11, of which recovery in ledger balance is ₹ 277.70 crore, recovery in written off accounts ₹ 90.38 crore and recovery in unapplied interest ₹ 37.67 crore. This is besides up gradation in NPAs to the tune of ₹ 107.70 crore in to performing assets.

The Bank has registered 59.62 per cent improvement over the previous year's recovery performance (₹ 254.27 crore). This was possible due to intensive follow up with the defaulting borrowers through letters & notices, recovery camps & Lok Adalatas and effective implementation of the provisions of SARFAESI Act and follow up with advocates for early decisions in suit filed & DRT cases.

One of the important initiatives during the current year was establishment of Micro Assets Recovery Cells (MARCs) in 10 Regional Offices for recovery of NPAs with balances up to ₹ 10 lakh. These MARCs have shown a very encouraging performance and have recovered a total amount of ₹ 47 crore within a period of 4 months.

The special OTS scheme for recovery of NPAs having ledger balance up to ₹ 5 lakh has shown a very impressive performance. The total recovery in NPAs under this scheme was ₹ 45 crore as compared to previous year's performance of ₹ 16 crore.

To improve NPA recovery performance and involvement of staff in recovery process, the Bank introduced during the year a staff incentive scheme for the recoveries made by staff in Doubtful, Loss and written off category of non performing accounts during the year 2010-11.

The ratio of Gross NPAs to Gross Advances has decreased from 2.96 per cent as on 31.03.2010 to 2.47 per cent as on 31.03.2011 and the ratio of Net NPAs stood at 1.32 per cent as on 31.03.2011 as against 1.64 per cent a year ago.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2010-11, the Bank has achieved merchant turnover of ₹ 18,536.62 crore and an interbank turnover of ₹ 1,74,090 crore. The outstanding export credit as on 31st March, 2011 was ₹ 757.29 crore as against ₹ 1,088.32 crore as on 31st March, 2010. During the year Bank has designated five more branches as B-Category branches taking total branches authorized to deal in foreign exchange to 33. The International Banking Branch at Mumbai and 33 B-Category branches across the country cater to the international business needs of the customers.

In order to provide prompt service to Non Resident Clients online help has been provided at all the branches through intranet.

2.6 Investments

The Net investments of the Bank stood at ₹ 22,491.08 crore as on 31.03.2011 as against ₹ 21,323.85 crore as on 31.03.2010, registering growth of 5.47 per cent. Held to Maturity (HTM) category consisted of 78.40 per cent while Available for Sale (AFS) comprised 21.60 per cent of total investment portfolio. The Net Interest Income from investment increased by 17.13 per cent to ₹ 1,520.29 crore from ₹ 1,297.90 crore during the last year.

2.7 Borrowings

The Borrowings of the Bank as on 31.03.2011 stood at ₹ 576.56 crore, including refinance of ₹ 377.54 crore availed from NABARD and SIDBI. The total borrowings as at 31.03.2010 were ₹ 129.45 crore.

2.8 Merchant Banking

The Bank handled 69 issues of Commercial Paper amounting to ₹ 9,245.30 crore for its clients as an issuing and paying agent during the year and earned commission income of ₹ 12.55 lakh.

2.9 Depository Services

The Bank is a Depository Participant (DP) of Central Depository Services India Ltd. (CDSL) since September 1999. Account level queries relating to demat account balances, etc. are available at the 131 identified WAN enabled branches of the Bank. The Bank also provides free "EASI" facility (through CDSL) to view account position through Internet. Query compliance facility is available at Mahabank Facilitation Centre, Mumbai from 7.00 am to 11.00 pm. The Bank has introduced the MAHA e-Trade (Online Share Trading) Service for its customers in association with three brokers. The unique facility of Lien marking on funds / securities is the salient feature of the MAHA e-Trade.

बैंक में डीमैट खाता रखने वाले ग्राहकों में से इन्टरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को डीमैट खाता पूछताछ सुविधा दी गई है.

2.10 बैंक-बीमा

कारपोरेट एंजेसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर जीवन बीमा और भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं. बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 74706 सामान्य बीमा और 13169 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं. भारतीय जीवन बीमा ने अच्छे कार्य निष्पादन के कारण बैंक की 81 शाखाओं को 'बीमा बैंक' शाखा घोषित किया.

बैंक सभी प्रकार के जमा धारकों के लिए महा सुरक्षा जमा योजना व आवास ऋणकर्ताओं के लिए महा गृह सुरक्षा योजना नामक दो समूह बीमा योजनाओं की सुविधा देता है. यह योजनाएं वहन योग्य लागत पर ऋण जोखिम कम करती हैं

बैंक ने वर्ष 2010-11 में जीवन बीमा के अन्तर्गत ₹ 3.27 करोड़ तथा गैर जीवन बीमा के अन्तर्गत ₹ 2.47 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.11 म्युचुअल फण्ड

बैंक ने 16 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ म्युचुअल फण्डों के उत्पाद बेचने का गठबंधन किया है. दिनांक 31.3.2011 तक बैंक ने ₹ 600 करोड़ का म्युचुअल फण्ड कारोबार किया और वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 57 लाख का कमीशन अर्जित किया.

2.12 सरकारी कारोबार

वर्ष 2010-2011 के दौरान कुल 3,10,502 प्रत्यक्ष कर चालान वसूले गए और ₹ 1.39 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ. इसी प्रकार 1,48,507 अप्रत्यक्ष कर चालान वसूले गए और ₹ 0.66 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, पुणे में 1,10,000 केन्द्र सरकार के पेंशनरों की पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य आरंभ किया. नए पीपीओ/पीपीओ के शुद्धिपत्र का भुगतान और जांच, केन्द्र सरकार के पेंशनरों का मास्टर डाटा बेस इत्यादि का कार्य केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, पुणे द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण त्वरित और सही पेंशन का भुगतान और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निधियों का शीघ्र निपटान संभव हुआ है.

बैंक चुनिंदा शाखाओं में काउंटरों पर करों के भुगतान और नेट बैंकिंग के माध्यम से करों के ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करता है.

2.13 अब्याजी आय

31.03.2010 को समाप्त वर्ष में अर्जित ₹ 591.24 करोड़ की अब्याजी आय की तुलना में 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 530.86 करोड़ की अब्याजी आय हुई. निवेशों के विक्रय में हुए लाभ में ₹ 141.65 करोड़ की कमी के कारण मुख्यतः अब्याजी आय में कमी आई. तथापि वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान निवेशों की बिक्री से लाभ को छोड़कर अब्याजी आय में ₹ 81.27 करोड़ की वृद्धि हुई. इस प्रकार पिछले वर्ष के ऊपर 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई. म्युचुअल फंड वितरण, बैंक बीमा कारोबार, सरकारी कारोबार, डीमैट सेवाएं और शेयरों की ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधा के अतिरिक्त अब्याजी आय बढ़ाने के लिए बैंक नए साधनों की खोज सतत आधार पर करता है.

2.14 आय , व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय ₹ 5,326.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,093.95 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष के दौरान 14.40 प्रतिशत की वृध्दि हुई. आय/व्यय घटकों के विवरण इस प्रकार हैं -

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	अंतर (%)
अग्रिम / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	3369.63	4006.14	18.89
निवेश पर आय	1297.90	1520.30	17.13
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज व अन्य ब्याज	68.03	36.65	-46.13
कुल ब्याज आय	4735.56	5563.09	17.47
अब्याजी आय	591.24	530.86	-10.21
कुल आय	5326.80	6093.95	14.40
जमा पर ब्याज	3183.06	3282.75	3.13

Demat Account enquiry facility is provided to internet banking users who have demat account with the Bank.

2.10 Bancassurance

All the Branches of the Bank are authorized to sell life insurance products of LIC of India and Non-Life insurance products of United India Insurance Co. Ltd under the corporate agency arrangements. The Bank sold 74706 general insurance and 13169 life insurance policies during the year 2010-11. The LIC declared 81 branches of the Bank as 'Bima Bank' for their performance.

The Bank offers two group insurance schemes namely 'Maha Suraksha' Deposit Scheme for all deposit account holders and 'Maha Grih Suraksha' for those availing Home Loans to facilitate life cover which also mitigates credit risk at very affordable cost.

Bank earned a commission of ₹ 3.27 crore under Life Insurance and ₹ 2.47 crore under General Insurance during year 2010-11.

2.11 Mutual Funds

The Bank has tie up with 16 Asset Management Companies for selling Mutual Fund products. The mutual fund business mobilized by the Bank stood at ₹ 600 crore as on 31.03.2011 and the Bank earned commission income of ₹ 57 lakh during the year.

2.12 Government Business

During the year 2010-11, 3,10,502 challans of Direct Taxes were collected and commission to the tune of ₹ 1.39 crore was received. Similarly 1,48,507 challans of Indirect Taxes were collected and commission of ₹ 0.66 crore was received.

The Bank has started processing and crediting monthly pension payment of more than 1,10,000 central Government pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC) Pune. The processing and payment for new PPOs/ Corrigendum PPOs, Master Data base for central Government pensioners etc are being handled by CPPC. This facilitates faster and accurate payment of pension as well as quick settlement of funds by RBI.

The facility of tax collection is provided by the Bank both at the branch counters in selected branches and through net banking, i.e. e-payment of taxes.

2.13 Non Interest Income

The non-interest income stood at ₹ 530.86 crore for the year ended 31.03.2011 as against ₹ 591.24 crore for the year ended 31.03.2010. The reduction in non-interest income is mainly on account of decrease in profit on sale of investment by ₹ 141.65 crore. However, non-interest income other than profit from sale of investment increased by ₹ 81.27 crore in the FY 2010-11, showing a growth of 21 per cent over previous year. The Bank continues to look at new avenues to shore up its fee based income besides bancassurance, Mutual fund distribution, government business, demat services and online share trading facility to increase non-interest income.

2.14 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew to ₹ 6,093.95 crore from ₹ 5,326.80 crore depicting revenue growth of 14.40 per cent during the year. The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2009-10	2010-11	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	3369.63	4006.14	18.89
Income on investments	1297.90	1520.30	17.13
Interest on interbank lending & other Interest	68.03	36.65	-46.13
Total interest income	4735.56	5563.09	17.47
Non-interest income	591.24	530.86	-10.21
Total Income	5326.80	6093.95	14.40
Interest on deposits	3183.06	3282.75	3.13

विवरण	2009-10	2010-11	अंतर (%)
उधारी पर ब्याज	256.25	311.94	21.73
ब्याज खर्च	3439.31	3594.69	4.52
स्टाफ खर्च(एएस-15 के प्रावधान(संशोधित) सहित)	655.50	1157.08	76.52
स्टाफ खर्च (एएस-15 के प्रावधान(संशोधित) रहित)	603.20	681.39	12.96
गैर स्टाफ खर्च	417.45	487.14	16.69
कुल अब्याजी खर्च	1072.95	1644.22	53.24
कुल परिचालन खर्च	4512.26	5238.91	16.10
परिचालनगत लाभ	814.55	855.03	4.97
प्रावधान व आकस्मिकताएं	374.97	524.64	39.91
निवल लाभ	439.58	330.39	-24.84

2.15 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2009-10	2010-11
प्रति शेयर कमाई (₹)	10.21	6.86
आय से लागत का अनुपात (%)	56.85	65.79
आस्तियों पर आय	0.70	0.47
इक्विटी पर आय	20.79	15.58
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	49.12	49.18
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	30.25	21.51
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.21	2.38
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	71.73	74.43
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	7.62	8.25
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.50	7.92
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में अब्याजी आय	0.94	0.76
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज स्प्रैड	2.05	2.80
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.29	1.22
औसत कार्यकारी निधियों से कर्मचारी खर्च	1.04	1.65
औसत कार्यकारी निधियों से स्टाफ खर्च (एएस-15 के प्रावधान(संशोधित) रहित)	0.95	0.97
लाभांश (प्रतिशत)	20.00	20.00

2.16 भारत सरकार से पूंजी

वर्ष के दौरान प्रमुख पूंजीधारक भारत सरकार ने बेमीयादी गैर संचयी अधिमान्य शेयरों के रूप में ₹ 588 करोड़ और ईक्विटी शेयर के रूप में ₹ 352 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी बैंक में लगाई.

2.17 नेटवर्थ

बैंक की निवल वर्थ 31.03.2010 के ₹ 2,114.46 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को बढ़कर ₹ 2,709.24 करोड़ की हो गई

2.18 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2011 को बेसल II मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम मानदंड की तुलना में 13.35 प्रतिशत का रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की तुलना में टीयर - I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.02 प्रतिशत रहा.

2.19 लाभांश

निदेशक मंडल ने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए 20 प्रतिशत का लाभांश प्रस्तावित किया है.

Particulars	2009-10	2010-11	Variation (per cent)
Interest on borrowings	256.25	311.94	21.73
Interest expenditure	3439.31	3594.69	4.52
Staff expenses (INCLUDING Provision as per AS-15 (Revised)	655.50	1157.08	76.52
Staff expenses (EXCLUDING Provision as per AS-15 (Revised)	603.20	681.39	12.96
Non staff expenses	417.45	487.14	16.69
Total Non interest expenses	1072.95	1644.22	53.24
Total Operating Expenses	4512.26	5238.91	16.10
Operating Profit	814.55	855.03	4.97
Provisions and Contingencies	374.97	524.64	39.91
Net Profit	439.58	330.39	-24.84

2.15 Financial ratios

Particulars	2009-10	2010-11
EPS (₹)	10.21	6.86
Cost to Income Ratio (per cent)	56.85	65.79
Return on assets (per cent)	0.70	0.47
Return on equity (per cent)	20.79	15.58
Book Value per Share (₹)	49.12	49.18
Profit per Branch (₹ In lakh)	30.25	21.51
Profit per Employee (₹ In lakh)	3.21	2.38
Business per Branch (₹ In crore)	71.73	74.43
Business per Employee (₹ In crore)	7.62	8.25
Interest income as per cent to Average working funds	7.50	7.92
Non Interest income as per cent to average working funds	0.94	0.76
Interest spread as per cent to average working funds	2.05	2.80
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.29	1.22
Staff expenses to average working funds	1.04	1.65
Staff expenses (excluding Provision as per AS-15 (Revised) to average working funds)	0.95	0.97
Dividend (per cent)	20.00	20.00

2.16 Capital from GOI

During the year, the major share holder, Government of India, have infused additional capital in the form of perpetual non-cumulative preference shares (PNCPS) ₹ 588 crore and equity share capital ₹ 352 crore.

2.17 Networth

The Bank's Net worth increased from ₹ 2,114.46 crore as on 31.03.2010 to ₹ 2,709.24 crore as on 31.03.2011.

2.18 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio stood at 13.35 per cent as on 31.03.2011, against the minimum 9 per cent prescribed by RBI in terms of Basel II norms. The Tier I capital adequacy ratio stood at 8.02 per cent as against RBI's prescription of 6 per cent.

2.19 Dividend

The Board of Directors has proposed a dividend of 20 per cent for the year ended 31.03.2011.

3. संगठन और समर्थन प्रणाली

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 83 नई शाखाएं खोलीं. दिनांक 31.03.2011 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1536 शाखाएं थीं. यह शाखा नेटवर्क 24 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, एसएमई तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, रिटेल हब, स्व-सहायता समूह तथा आस्ति वसूली शाखाएं शामिल हैं. दिनांक 31.03.2011 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है.

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2010 को	31.03.2011 को
1	ग्रामीण	526	538
2	अर्ध-शहरी	266	293
3	शहरी	281	301
4	महानगरीय	380	404
	कुल जोड़	1453	1536

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है. नीति में आवश्यकता आधारित व उचित मानव संसाधन हासिल करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन. पुरस्कार, कार्यनिष्पादन के लिए मान्यता व जिम्मेदारी, पदोन्नति व कल्याण इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को रोके रखने तथा इनके विकास हेतु योजना दी गई है.

दिनांक 16.09.2009 को बैंक की सेवा में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को प्लॅटिनम ज्युबिली समारोह के भागस्वरूप स्वर्ण मुद्रा के रूप में स्मृतिचिह्न वितरित किए गएं.

वर्ष के दौरान बैंक ने पहली बार सीधे साक्षात्कार प्रकिया द्वारा 1000 लिपिकों की नियुक्ति की. सभी संवर्गों के लिए आंतरिक पदोन्नती प्रक्रिया पूरी की गई. वर्ष के दौरान वेतनमान 1 से वेतनमान 5 तक पदोन्नतियां हुई और प्रक्रिया में 581 अधिकारियों की पदोन्नति हुई. 400 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया. 392 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के भर्ती की प्रक्रिया बैंक ने पूर्ण की. विशिष्ट संवर्ग के स्टाफ तथा परिचालनगत सक्षमता बढ़ाने एवं विशिष्ट ग्राहक सेवा में सुधार हेतु व बार-बार परिवर्तित सीबीएस तकनीक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 96 एमबीए स्नातक अधिकारी, 32 कृषि अधिकारी, 38 कृषि कारोबार सुगमता अधिकारी तथा 25 सनदी लेखाकारों की भर्ती की गई.

वर्ष 2010-11 में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र इत्यादि कारणों से बैंक की सेवा से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 732 थी.

बैंकिंग गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य निष्पादन दर्शाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने व अन्यों को अच्छे कार्यनिष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अध्यक्ष के क्लब की सदस्यता, बेहतर प्रबंधित शाखा / क्षेत्र ट्रॉफी, बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को नगदी पुरस्कार देने की योजनाएं प्रचलित हैं.

इस वर्ष से अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय को अग्रिमों का वितरण तथा वसूली में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखा को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्रॉफी का नया पुरस्कार दिया गया.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के कल्याणार्थ बैंक के पास विभिन्न योजनाएं हैं. कर्मचारियों के कल्याण के लिए बैंक निवल लाभ का 3 प्रतिशत आबंटित करता रहा है. ट्रस्ट द्वारा योजनाओं का प्रशासन किया जाता है.

उद्योग संबंधित मामलो के उचित, पारदर्शक व दृढ़ संचलन के जरिए बैंक का प्रयास सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाने का रहा.

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी./ शारीरिक रूप से विकलांग व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय कार्यालय में तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में दो मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किए हैं और इस उद्देश्य के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अ.जा. / अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए हैं. वर्ष के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा करने और कारोबार वृध्दि में उनका सहभाग सुनिश्चित करने हेतु अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी. एम्प्लॉईज एसोसिएशन के साथ केंद्रीय कार्यालय में आवधिक बैठकें आयोजित की गई. क्षेत्रीय स्तर पर भी नियमित बैठकें आयोजित की गई.

3. ORGANISATION AND SUPPORT SYSTEM

3.1 Branch Expansion

During the year, the Bank opened 83 new branches. As on 31.03.2011, the total branch network comprised of 1536 branches spread over 24 states and 2 union territories. The branch network includes specialized branches of foreign exchange, government business, treasury & international banking, industrial finance, SME, hi-tech agriculture, pension payment, pension processing, retail credit, Self Help Group and asset recovery. Area wise classification of branches as on 31.03.2011 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011
1	Rural	526	538
2	Semi-Urban	266	293
3	Urban	281	301
4	Metropolitan	380	404
	Total	1453	1536

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy Document that provides road map for acquiring appropriate & need based Human Resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

As part of Platinum Jubilee Celebration, a memento in the form of Gold Coin was presented to all eligible employees who were in service of the Bank as on 16.09.2009.

During the year, Bank has for the first time taken up recruitment of 1000 Clerks through direct interview process. Internal promotion process for all cadres was also carried out. During the year, promotions have taken place from Scale I to Scale VII and total 583 Officers were promoted in the process besides 400 Clerks getting promoted to Officer Cadre. Process of recruitment of 392 Probationary Officers is completed. Considering the requirement of specialized cadre of staff and ever changing CBS technology for improving operational capabilities and specialized customer service, 96 MBA qualified Officers, 25 Chartered Accountants, 32 Agriculture Officers, and 38 Agri. Business Facilitators were recruited.

In the year 2010-11, 732 employees ceased to be in service on account of retirement, resignation etc.

To recognize outstanding performance in Banking activities and to motivate others to perform better, membership to Chairman's Club, Better Managed Branch/Region trophy, cash incentives to all staff of Best Performing Branches are in vogue.

From this year, a Rolling Trophy in the name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar to the best performing branch in disbursement and recovery of advances to SC/ST borrowers has been instituted.

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Trust.

The Bank has continued to promote and maintain a healthy industrial relations climate through fair, transparent and firm handling of Industrial related matters.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Central Office and all Regional Offices are functioning to monitor the implementation of the Reservations Policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically Challenged employees as well as Ex-Servicemen. The Bank has designated two Chief Liaison Officers at C.O. and has set up SC/ST Cells at all its Regional Offices for the purpose. During the year, periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees' Association at C.O. to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safeguards and also to facilitate involvement in business growth. Similar meetings were also held at Regional level.

विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3154	22.75
2.	विकलांग कर्मचारी	192	1.39
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2754	19.87
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	991	7.15
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	880	6.35

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे गए व उनका नियमित निरीक्षण / जांच की गई.

प्रशिक्षण गतिविधियां :

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान व उभरते हुए कारोबारी अवसरों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कुशलता अन्तर के मूल्यांकन पर जोर देती है. ऋण में कुशलता निर्माण, फोरेक्स, ग्राहक संबंध प्रबंधन, उत्पाद व सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी व वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, विधिक, कानूनी व नीति आवश्यकताओं का अनुपालन तथा निवारक सतर्कता इत्यादि के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया.

एसएमई वित्तपोषण ,रिटेल उधारी, कृषि वित्त व ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए.

वर्तमान में बैंक का पुणे में शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसके पर्यवेक्षण में तीन प्रशिक्षण संस्थान पुणे, मुंबई व नागपुर में कार्यरत हैं. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर लैब प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं.

वर्ष के दौरान के सभी प्रशिक्षण संस्थानों ने कुल 330 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए. इन कार्यक्रमों में से 108 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, 141 कार्यक्रम लिपिकों के लिए और 81 कार्यक्रम अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गए. इसमें से 33 स्थानीय प्रशिक्षण 28 क्षेत्रों में आयोजित किए गए और 592 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया.

वर्ष के दौरान आंतरिक और बाहरी, दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 4294 अधिकारियों, 3324 लिपिकों और 1130 अधीनस्थ कर्मचारियों सहित कुल 8748 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया. उपरोक्त में से अनुसूचित जाति के 2277 कर्मचारियों और अनुसूचित जनजाति के 1130 कर्मचारियों और 1218 महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया.

वर्तमान प्रशिक्षण ढ़ांचे के अतिरिक्त देश भर मे फैले आईटी लैब शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तिम उपयोगकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. वर्ष के दौरान 1848 स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया. उपरोक्त में से प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु 1374 स्टाफ सदस्यों को कोर बैंकिंग समाधान सॉफ्टवेअर (सीबीएस) के संचलन का प्रशिक्षण दिया गया.

वर्ष के दौरान कुशलता और क्षमता विकसित करने के लिए 76 कार्यपालक / वरिष्ठ अधिकारियों ने ऋण पर क्रिसिल कार्यपालक प्रशिक्षण मोड्यूल में सहभाग लिया. वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को समझने और वैश्विक अनुभव प्राप्त करना सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों इत्यादि में भाग लेने हेतु 12 कार्यपालकों को अन्य देशों में प्रतिनियुक्त किया गया.

मार्च 2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक विशेष पूर्व-सेवानिवृत्ति समुपदेशन कार्यक्रम नवंबर 2010 में केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित किया गया. 119 कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया. निवेश पर व्याख्यान के अलावा, सहभागियों का स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

3.3 प्रौद्योगिकी पहल

बैंक की कारोबारी आवश्यकताओं के साथ परिचालनगत क्षमताओं में सुधार करने व ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक, सूचना और संप्रेषण तकनीक का उपयोग कर रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2010-11 बैंक के लिए एक फलदायी वर्ष रहा. वर्ष के दौरान बैंक ने सभी 1536 शाखाओं को सीबीएस के अन्तर्गत लाया, एटीएम नेटवर्क को 417 तक विस्तारित किया तथा विभिन्न नए उत्पादों एवं सेवाओं का शुभारंभ किया.

बैंक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 100 प्रतिशत सीबीएस का कार्यान्वयन आरंभ किया गया और वर्ष के दौरान पूर्ण किया गया.

बैंक ग्राहक केंद्रीत तथा सूचना प्रौद्योगिकी संगत उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है.

The number of employees belonging to different categories is as under:

Sr. No	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3154	22.75
2.	Physically Challenged	192	1.39
3.	SC Employees	2754	19.87
4.	ST Employees	991	7.15
5.	OBC Employees	880	6.35

Rosters have been maintained as per Govt. guidelines and are regularly inspected / checked.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in Credit, Forex, Customer Relationship Management, Marketing of products and services, Credit Monitoring and Recovery, Risk Management, Technology based Banking Branch Management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance were given special attention for imparting training during the year.

The training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance and rural development.

Presently, the Bank has an apex Training College at Pune with three training establishments operating under it, one each at Mumbai, Nagpur and Pune. Information Technology Training Institute and Computer Labs at Regional Offices train the Officers and staff to utilize Information Technology for effective customer service and efficient back office functions.

During the year, all the training establishments of the Bank together conducted a total of 330 programs, out of which 108 were for Officers, 141 for clerks and 81 for sub-staff members. Out of above, 33 locational trainings were arranged at 28 Regions and trained 592 staff members.

A total of 8748 employees participated in various training programmes during the year, both in-house and external, comprising of 4294 officers, 3324 clerks and 1130 sub-staff members of whom 2277 were SC employees, 1130 ST employees and 1218 women employees.

The IT Labs across the country in addition to the existing training infrastructure cater to the training needs of the end users at the branches and Regional Offices. During the year, 1848 staff members were imparted training under IT. Out of above, 1374 members of staff were trained to handle the Core Banking Solution (CBS) software for efficient customer service and back office function.

76 Executives / Senior Officers participated in CRISIL Executive training modules on Credit which were held during the year for building skills & enhancing efficiency. 12 Executives / Officers were deputed abroad for training programmes, participation in seminars, International meetings etc. for facilitating global experience and exposure to developments taking place in banking & financial services in other countries.

A unique Pre- retirement Counseling programme for the employees retiring by March 2011 was arranged at Head Office in November 2010. 119 employees participated in the programme. Besides lectures on investments, health checkup of participants was also arranged.

3.3 Technology Initiatives

The Bank has been leveraging the tools of Information and Communication Technology for improving the operational capabilities and for meeting the customer needs and aligning with the business requirements of the Bank. The year 2010-2011 has been a fruitful year for the Bank in the Information Technology area. During the year, the Bank stabilized the Core Banking Solution at all 1536 branches, expanded the ATM network to 417 and introduced various new products & services.

The implementation of 100 percent CBS in the Regional Rural Bank of the Bank, i.e. Maharashtra Gramin Bank was initiated and completed during the year.

The Bank has been offering an enticing bouquet of customer-centric IT products and services.

3.3.1 वर्ष 2010-2011 के दौरान प्रमुख आईटी पहल और उपलब्धियां

- बैंक के एटीएम के माध्यम से आयकर की भुगतान की सुविधा उपलब्ध की गई.
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर जमा विवरण (फॉर्म 26 एएस) देखने की सुविधा उपलब्ध की गई.
- इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे अंतरबैंक निधि अंतरण की सुविधा दी गई.
- केन्द्रीकृत वेतन : विभिन्न बीपीआर पहलुओं के भागस्वरूप वर्ष के दौरान केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग का कार्यान्वयन किया गया जिसके अंतर्गत संपूर्ण बैंक के लिए वेतन प्रोसेसिंग और संबंधित गतिविधियां केन्द्रीय कार्यालय, पुणे में संपन्न होती है. वेतन जमा करना, ऋण खाते में किश्त जमा करना, टीडीएस कटौती और प्रेषण, फॉर्म 16 का निर्माण और प्रस्तुतिकरण इत्यादि कार्य अब केन्द्रीकृत रूप से कि जाते हैं.
- वर्ष के दौरान आईसीटी मॉडल (सूचना और संप्रेषण साधन) के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजना लागू की गई. कवर न किए गए 1.12 लाख घरों वाले 484 गांवों को 31.03.2011 तक वित्तीय समावेशन में शामिल किया गया.
- ई-लॉन्ज - बैंक ने पुणे, मुंबई और दिल्ली में उच्च मालियत वाले व्यक्तियों, तकनीकसंगत और युवा पीढ़ी के ग्राहकों के लिए ऑनलाईन बैंकिंग व्यवहार हमारी संरचना का उपयोग करते हुए करने के लिए ई-लॉन्ज सुविधा उपलब्ध की गई. यह लॉन्ज सेल्फ सर्विसिंग पासबुक प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक चेक जमा मशीन और इंटरनेट टर्मिनल इत्यादि सुविधाओं से युक्त है.

3.3.2 अन्य आई.टी. पहल

कोर बैंकिंग सोल्यूशनः

देशभर में फैली सभी 1536 शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत लाई गई हैं.

बैंक ने सीबीएस के अन्तर्गत सभी 34 विदेशी मुद्रा शाखाओं में फोरेक्स व टीआईबीडी में ई-खजाना मोडयूल कार्यान्वित किएं.

बैंक ने धन शोधन निवारण मोडयूल का कार्यान्वयन किया है तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन, अंतरण मूल्यांकन तंत्र तथा आस्ति देयता प्रबंधन से संबंधित अन्य मोडयूल कार्यान्वयन के अंतिम स्तर पर है, जो बैंक प्रबंधन की निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) को सशक्त बनाएंगे.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सीबीएस का कार्यान्वयन -

दिनांक 31.03.2011 को बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की सभी 329 शाखाएं सफलतापूर्वक सीबीएस प्लेटफार्म को अंतरित हो गई.

डाटा सेन्टर, आपदा रिकवरी साईट व निअर साईटः

सीबीएस बुनियादी संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक का अपना स्वयं का डाटा सेन्टर (सीएमएम लेवल III) पुणे में है और हैदराबाद में आपदा रिकवरी (डी.आर.) साईट स्थापित है. दिनांक 13.03.2011 से बैंक द्वारा नीअर साईट के रूप में एक तिसरी साईट का कार्यान्वयन किया गया. दूरी के कारण होने वाली अनुमानित शून्य डाटा हानि, भारी मात्रा में आंकड़ों की उपलब्धता, उच्च कार्यनिष्पादनता, शुध्दता और भरोसेमंद होने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता स्तर में वृद्धि, लागत में कमी और परिचालनगत लचीलापन सुगम बनाना इत्यादि के कारण बैंक ने इस सोल्यूशन का चयन किया. हम उन गिने चुने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिन्होंने नीअर साईट अवधारणा का कार्यान्वयन किया है.

एटीएम नेटवर्क

बैंक ने देशभर में अपना एटीएम नेटवर्क वर्ष के आरंभ में 345 एटीएम से बढ़ाकर 417 एटीएम का कर दिया है और परियोजना को पूर्ण रूप से आऊटसोर्स कर दिया है. डेबिट कार्ड हेतु बैंक का वीसा के साथ समझौता हुआ है. बैंक ने एनपीसीआई जैसे अन्य शेयर्ड एटीएम नेटवर्क के साथ गठबंधन किया ताकि बैंक के ग्राहक देश भर में फैले 50000 से अधिक एटीएम का लाभ ले सकें. अशिक्षित ग्राहकों व पेंशनरों के लाभार्थ 11 बायोमेट्रीक एटीएम लगाए गए. आने वाले वर्ष में एटीएम नेटवर्क का विस्तार बढ़ाकर कुल 750 एटीएम करने की बैंक की योजना है.

कार्पोरेट नेटवर्क

बैंक ने 'महानेट' नामक स्वयं का कार्पोरेट नेटवर्क स्थापित किया है. अद्यतित आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नेटवर्क पुनर्स्थापित किया गया है. सभी 1536 शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र / महाविद्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय अब आपस में जोड़ दिए गए हैं.

3.3.1 Major I.T Initiatives & Achievements during 2010-11

- Facility of income tax payment through Bank's ATMs is made available.
- Facility to view tax credit statement (Form 26AS) through internet banking is made available.
- Inter bank funds transfer facility is made available to internet banking users for directly remitting funds through RTGS/NEFT
- Centralized Salary: As part of the various BPR initiatives, Centralized Salary Processing was implemented during the year, whereby the entire salary processing and related activities have been centralized and undertaken from Central Office for the Bank as a Whole. Credit of salary, credit to loan accounts, TDS deduction & remittance, generation and submission of Form 16, etc are all undertaken centrally now.
- Financial Inclusion Plan implemented adopting the ICT (Information and Communication Tool) model during the year. 484 villages have been covered having 1.12 lakh uncovered households, as on 31.03.2011.
- e-Lounge: Bank has set up e-lounges, one each at Pune, Mumbai and Delhi, for the benefit of High Networth Individuals, tech savvy and young generation customers for doing online banking transactions using the infrastructure. The lounge is equipped with self servicing passbook printer and electronic cheque deposit machine and internet available terminals.

3.3.2 Other IT Initiatives

Core Banking Solution (CBS):

All the 1536 branches across the country are covered under Core Banking Solution (CBS).

Bank has implemented FOREX module under CBS at all the 34 FEX centers and e-Treasury module at TIBD.

Bank has implemented Anti Money Laundering module and is in the process of implementing other modules relating to Customer Relation Management, Transfer Pricing Mechanism and Asset Liability Management which will strengthen decision support system (DSS) of the bank management.

Implementation of Core Banking Solution in Regional Rural Bank (RRB):

As on 31/03/2011, all the 329 branches of Maharashtra Gramin Bank, the RRB sponsored by the Bank, have been brought on CBS platform.

Data Centre, Disaster Recovery Site & Near Site:

The Bank has its own Data Center (CMM Level III) at Pune to take care of the CBS infrastructure requirements with Disaster Recovery (DR) site at Hyderabad. The concept of NEAR SITE as a third site replication mechanism has been implemented by the Bank with effect from 13/03/2011. This solution was selected by the Bank for its anticipated zero data loss over distance, high levels of data availability, high performance, accuracy and reliability, while enhancing the IT infrastructure efficiency level, reducing costs and enabling operational flexibility. We are one of the few public sector banks to implement the concept of near site.

ATM Network:

Bank has increased its ATM Network from 345 ATMs at the start of the year to 417 ATMs across the country by the end of the year and the project is totally outsourced on end to end basis. Bank has collaborated with VISA for the Debit Cards. Bank has joined other shared ATM Networks like NPCI which enabled access to 50000 plus ATMs in the country for our customers. Eleven ATMs are bio-metric enabled for the benefit of illiterate customers and pensioners. Bank is planning to expand the ATM network further in the ensuing year to make it 750 in all.

Corporate Network:

The bank has established its own Corporate Network - 'MAHANET'. The network was restructured to take care of the latest IT requirements. As of date, the connectivity has been established at 1536 branches, Regional Offices, Training Colleges / Centres and Central Office.

महानेट के माध्यम से सीबीएस, एटीएम नेटवर्क, आरटीजीएस, डीमैट, इंट्रानेट, ऋण जोखिम रेटिंग, ऑन लाईन कर भुगतान प्रणाली, क्षेत्रीय कार्यालय सॉफ्टवेयर इत्यादि जैसे अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया गया है.

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीबीएस शाखाओं और प्रधान कार्यालय में महा-नेट के माध्यम से आइपी टेलीफोन का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है.

शाखाओं को उपलब्ध करने के लिए जीपीआरएस, 3जी, एमपीएलएस तथा वीपीएन इत्यादि जैसी नवीनतम नेटवर्क टेक्नॉलॉजी के रिसर्च तथा विकास हेतु बैंक सतत प्रयास कर रहा है.

वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रेषण कार्य को सरल बनाने तथा अंतर-बैंक व्यवहारों के लिए बैंक ने देशभर में फैली सभी 1536 शाखाओं में आरटीजीएस व एनईएफटी प्रणाली का कार्यान्वयन किया. सभी सीबीएस शाखाओं में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग सुविधा का कार्यान्वयन किया गया है ताकि आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से आवक प्रेषण हेतु ग्राहक के खाते में प्रणाली द्वारा सीधा जमा किया जाए. इस सुविधा का विस्तार बैंक द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में करना प्रस्तावित है.

इन्टरनेट बैंकिंग /फोन बैंकिंग / एसएमएस बैंकिंग

बैंक ने नेट बैंकिंग स्यूट अर्थात प्रत्यक्ष करों (सीबीडीटी, सीबीईसी एवं वैट) के ई-भुगतान व ऑन लाईन तथा ऑफ लाइन अनुरोध प्रोसेसिंग के साथ इन्टरनेट बैंकिंग/फोन बैंकिंग/ एसएमएस/मोबाईल बैंकिंग लागू की है. 31.03.2011 को इंटरनेट बैंकिंग के 1,02,000 से अधिक, फोन बैंकिंग के 35,000 और एसएमएस/मोबाईल बैंकिंग के 49,000 उपयोगकर्ता थे.

सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति

बैंक में 'सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति' लागू है. इस नीति में 34 विभिन्न नीतिगत दस्तावेज़ हैं. कार्यविधि के साथ इनका अद्यतन बैंक की परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदन लिया गया है. अनुपालन के लिए नीति दस्तावेज को बैंक के सभी कर्मचारियों में परिचालित किया गया है.

बैंक ने संस्था में सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण की है. इसकी अनुपालन जांच की गई है.

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई चेक ट्रंकेशन प्रणाली का बैंक ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चेन्नई में सीटीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. जैसे ही चेन्नई में इस प्रणाली का कार्यान्वयन हो जाएगा, बैंक इसमें भाग लेने हेतु तैयार है. बैंक ने सभी 14 सेवा शाखाओं को सीबीएस में अंतरित कर दिया है. पुणे तथा मुंबई स्थित सेवा शाखाओं को हाय एन्ड एमआयसीआर प्रोसेसर उपलब्ध किए गए हैं.

विडिओ कॉनफरेंसिंग

परस्पर संवाद, प्रशिक्षण देना, साक्षात्कार तथा बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा हेतु बैंक ने एमपीएलएस टेक्नॉलॉजी के माध्यम से विडिओ कॉनफरेंसिंग सुविधा का विस्तार किया है. इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से सुधारित ऑडिओ एवं विडिओ क्वालिटी हाय डेफिनेशन फीचर्स के साथ इस सुविधा को अद्यतित करने तथा विडिओ कॉनफरेंसिंग का उपयोग ई-लर्निंग सहित अधिक से अधिक क्षेत्रों को करने का प्रस्ताव है.

कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया (बीपीआर)

कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया के भागस्वरूप बैंक ने सभी 14 सेवा शाखाओं में केंद्रीयकृत चेक प्रोसेसिंग प्रणाली, एनसीआर, नई दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली, खाता खोलते समय वेलकम किट के रूप में वीसा डेबिट कार्ड (इन्स्टा कार्ड) जारी करना, आरटीजीएस/ एनईएफटी के लिए स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग, एटीएम कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग आवेदनों का ऑनलाईन प्रोसेसिंग, कोर टू कोर डीडी / सीओ/ पीओबी समाधान प्रणाली, बाहरी चेक वसूली प्रक्रिया का ऑटोमेशन का कार्यान्वयन किया.

कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया की अन्य गतिविधि जैसे कि केंद्रीयकृत चेक बुक जारी करना, व्यक्तिगत चेक बुक मुद्रण, केंद्रीकृत ग्राहक विवरण मुद्रण व प्रेषण, ई-भुगतान गेटवे, लेखन सामग्री की केन्द्रीकृत मांग व मुद्रण सॉफ्टवेयर इत्यादि की संभावनाएं वर्ष 2011-12 में तलाशी जाएंगी.

Applications like CBS, ATM Network, RTGS, DEMAT, INTRANET, Credit Risk Rating, Online Tax Collection System (OLTAS), ROSE, etc. are put to use through MAHANET.

IP Telephones are extensively used through MAHANET at all the Regional offices, CBS branches and Head office.

Bank is continuously making efforts in doing Research & Development on latest network technologies such GPRS, 3G , MPLS and VPN etc, for providing high availability to the branches.

Real Time Gross Settlement (RTGS) / National Electronic Funds Transfer (NEFT):

To give an impetus to the Remittances functionality for convenience of the customer as well as inter-bank transactions, Bank has implemented RTGS and NEFT at all 1536 branches across the country. Straight Through Processing (STP) facility is implemented at all CBS branches whereby credit for inward remittances through RTGS / NEFT is given to the customer accounts directly by the system. It is proposed to extend the same facility to Bank's sponsored MGB.

Internet Banking / Phone Banking / SMS Banking:

Bank has implemented the Net Banking suite – Internet Banking / Phone Banking and SMS / Mobile Banking with online and offline request processing and e-payment of Taxes (CBDT, CBEC & VAT). As on 31.03.2011, there are more than 1,02,000 customers using Internet Banking, 35,000 customers using Phone Banking and 49,000 customers using the SMS / Mobile Banking facilities.

Information System Security Policy:

Bank has put in place its "Information System Security Policy" (ISSP) comprising 34 different policy documents. The ISSP along with the Procedures are modified keeping in view the changed requirements of the Bank and approved by the Board. The Policy document has been circulated to all the staff members of the Bank for compliance.

Bank has completed the process of implementation of the ISSP across the organization. Compliance verification of the same has been initiated.

Cheque Truncation System (CTS):

Bank successfully implemented Cheque Truncation System (CTS) introduced by RBI in the National Capital Region, New Delhi. The process for implementing CTS at Chennai has been initiated, as per RBI guidelines. Bank is in readiness to participate in the CTS in Chennai as and when it is implemented. Bank has migrated all 14 Service Branches to CBS. Service branches at Pune and Mumbai have been provided with high-end MICR processors.

Video Conferencing:

Bank expanded the Video Conferencing facility through MPLS technology to all the Regional Offices for facilitating interactions, imparting trainings, conducting interviews and review of performance of Regions by the Top Management of the Bank. In view of the extensive use of the Video Conferencing facility, it is proposed to upgrade the facility so as to enable improved audio and video quality features (high definition) and facilitate extension of the usage of video conferencing to more areas including e-learning.

Business Process Re-engineering (BPR):

As a part of BPR, Bank had implemented Centralized Cheque Processing system at all its 14 service branches, Cheque Truncation System at NCR, New Delhi, Issuance of VISA Debit Card (Insta Card) as Welcome Kit at the time of opening of Account, straight- through-processing for RTGS / NEFT, Online Processing of ATM Card & Internet Banking Applications, Core to Core DD / CO / POB Reconciliation Systems and automation of outstation cheque collection process.

It is envisaged to undertake BPR initiatives involving activities such as Centralised Chequebook Issue, Personalised Cheque Printing, Centralised Customer Statement Printing & Dispatch, e-Payment Gateway, Centralised stationery indenting and printing software etc. during 2011-12.

सीबीएस प्रणाली से एनपीए को जोड़ना तथा उसका अभिनिर्धारण, बैंक द्वारा की गई प्रमुख बीपीआर पहल है और इसका वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन किया गया है. यह मानवीय हस्तक्षेप कम करने में सहायक होगा तथा ऋण संविभाग की निगरानी में सुधार लाएगा.

प्रबंध सूचना प्रणाली व डाटा वेअरहाऊसिंगः

प्रबंध सूचना पद्धति के अंतर्गत बैंक ने शाखा प्रोफाईल, क्षेत्र प्रोफाईल, सीओ प्रोफाईल एवं बैंक के तलपड़ तथा लाभ व हानि लेखे के लिए कार्यपालक डैश बोर्ड हेतु वैब आधारित एमआईएस पोर्टल विकसित एवं कार्यान्वित किया है. दैनिक व्यवसाय आंकड़े एसएमएस के द्वारा सभी शाखा प्रबंधकों, क्षेत्र स्थित कार्यपालकों तथा शीर्ष प्रबंधन को भेजे जाते हैं. बैंक ने अपनी समग्र एमआईएस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शाखा बैंकिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीबीएमआईएस) नामक अलग एमआईएस सोल्युशन लागू करना आरंभ किया है.

यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान डाटा वेअरहाऊस और बिज़नेस इंटेलिजंस प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए जाएं.

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणः

अन्तिम उपयोगकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रशिक्षण ढ़ांचे के अतिरिक्त देश भर मे फैले 14 आईटी लैब कार्यरत हैं. 7065 कर्मचारियों को सीबीएस का प्रशिक्षण दिया गया.

आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयरः

बैंक में सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले सुप्रशिक्षित कर्मचारियों का समूह है, जो वर्ष समाप्ति से संबंधित विभिन्न उपयोगी प्रणालियों और लेखा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों, विभिन्न कार्यमूलक विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रणालियों के विकास में संलग्न है.

सीपीएसएमएस का कार्यान्वयनः लेखा के महानियंत्रक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे निगरानी प्रणाली के लिए योजना हेतु केन्द्रीयकृत योजना और उनके संबंधित सीबीएस के आपस में समन्वय के विकास और कार्यान्वयन हेतु कार्य करें, जो भारत सरकार के विभिन्न प्लान योजनाओं के लिए एक ऑनलाईन निर्णय समर्थन प्रणाली और प्रबंध सूचना प्रणाली होगी. यह सरकार से धन प्राप्त करने वाली विभिन्न एजेन्सियों के खातों को कवर करेगी. उसका मूल उद्देश्य था कि रिअल टाईम आधार पर प्लान योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग व वितरण की निगरानी और ट्रॅकिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए. भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हमारी आंतरिक टीम ने भारत सरकार द्वारा सीबीएस पर खातों को देखने की सुविधा सुगम बनाने के लिए आवश्यक समन्वयन का कार्य किया.

बैंक ने ई-टीडीएस प्रणाली विकसित की, जो कर प्राधिकारियों को तिमाही आधार पर ई-टीडीएस विवरण के प्रस्तुतीकरण, समन्वयन और समेकन का कार्य शाखाओं के लिए सुगम बनाती है.

शाखाओं को बैंक के इंट्रानेट पर विभिन्न विश्लेषणात्मक विवरण और शाखाओं / क्षेत्रों के विभिन्न कारोबारी मानदंड से संबंधित आंकड़ें देखने और उनकी प्रिंटींग करने की सुविधा उपलब्ध की गई है.

शाखाओं के लिए फार्म नं. 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) प्रिंट करने की सुविधा भी उपलब्ध की गई है ताकि आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी हो सके. यह ग्राहकों को विभिन्न जमाराशियों पर काटे गए कर के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लागू है. यह सुविधा ग्राहक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर फार्म नं. 16 प्रिंट कर जारी करने हेतु उपलब्ध की गई है.

क्षेत्रीय कार्यालय सॉफ्टवेयर, एचआरएम सॉफ्टवेयर (पे-रोल और अन्य मोडयूल), शाखा निरीक्षण सॉफ्टवेयर, ऑनलाईन कर संग्रहण प्रणाली, ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली, भविष्य निधि प्रणाली, इंट्रानेट, एटीएम कार्ड और आवेदन की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली इत्यादि अन्य प्रमुख विकसित और कार्यान्वित प्रणालियां हैं.

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक केन्द्रित पहल

समूचे वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष बनाए रखने के लिए बैंक ने ग्राहक सेवा के उच्च मानकों का पालन किया.

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता, एसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता को स्वीकार किया.

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित 'जमाराशियों', 'चेकों/लिखतों की वसूली', शिकायतों का समाधान. 'क्षतिपूर्ति' और 'मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे हेतु परिचालनगत कार्यविधि' के दस्तावेज तैयार किए हैं. इन नीतियों को बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है.

Identification and collation of NPA from CBS system has been one of the major BPR initiatives undertaken by the Bank and implemented in accordance with the directives of Ministry of Finance, Government of India. This will help reduce manual intervention and facilitate improved monitoring of the credit portfolio.

MIS & Data warehousing:

Under MIS, Bank has developed and implemented a web-based MIS Portal for Branch Profile, Region Profile, CO Profile & Executive Dash Board of Bank's Trial Balance and Profit and Loss account. The daily business figures are sent through SMS to all branch managers, field executives and CO executives and top management. Bank has taken implementation of a separate solution for MIS called Branch Banking Management Information System (BBMIS) to cater to the overall MIS requirements of the Bank.

It is proposed to initiate steps for implementation of Data Warehouse and Business Intelligence project during the year 2011-12.

IT Training:

Bank has operationalized 14 IT Labs across the country in addition to the existing training infrastructure to cater to the training needs of the end-users. CBS training has been imparted to 7065 staff members.

In-House Software Development:

Bank has a well-trained pool of software developers who are continuously engaged in development of various systems as per the requirements of various functional departments, regional offices etc. including various utility systems related to year-end and audit related activities.

Implementation of CPSMS: All banks have been directed by Controller General of Accounts to develop and implement the integration between their respective CBS and Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS) functionality which would be an online management information system and decision support system for the various plan schemes of Government of India. This would cover the accounts of various agencies who shall be receiving funds from Government. The primary objective was to have a tracking and monitoring mechanism for the fund disbursement and fund utilization under Plan schemes on real time basis. The necessary integration with CBS to facilitate viewing of transactions in the account by Government of India has been developed by our internal team within the timeline specified by Government of India.

Bank has developed e-TDS system which enables the branches to collate, compile and submit quarterly e-TDS return to tax authorities.

Facilities are provided on the Bank's intranet for the benefit of branches for viewing and printing various analytical statements and statistics about the business parameters of the branch / regions.

Facility has also been provided to branches to generate and print the Form 16 (TDS Certificate) to be issued to customers as and when required. This is applicable for the TDS deducted on the interest paid to customers on their various deposits with the Bank. The facility will enable the branches to print and issue the Form 16 as and when required by the customers.

The other major systems developed and implemented are Regional Office Software (ROSW), HRM Software (Payroll and other modules), Branch Inspection Software (BRAINS), Online Tax Collection System (OLTAS), Credit Risk Rating System, PF System, INTRANET, ATM card and application status tracking, etc.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction through out the year.

As member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Bank has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Bank's Code of Commitment to SMEs.

Duly documented policies approved by the Board on "Deposits", "Collection of Cheques / instruments", "Redressal of Grievances", "Compensation" and "Operational Procedure for settlement of claims of Deceased Depositors" are in place. These policies are displayed on Bank's website.

ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक शिकायतों का समाधान, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की आवधिक बैठकें होती हैं. केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित ग्राहक सेवा की स्थायी समितियों की बैठकें विभिन्न ग्राहक सेवा संबंधी मामलों और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु सतत आधार पर होती हैं.

सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. जमाकर्ता, कंपनियों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी संवर्ग के ग्राहकों को बैठकों में बुलाया जाता है ताकि बैंक की योजनाओं, सेवाओं और उत्पादों के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें.

ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है. बैंक के केंद्रीय कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत प्रबंधन कक्ष कार्यरत है. ग्राहक सेवा पर बोर्ड समिति और केंद्रीय कार्यालय की ग्राहक सेवा पर गठित स्थायी समिति नियमित आधार पर ग्राहक शिकायतों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करती है.

बैंक ने ग्राहक सेवा से संबंधित गोइपोरिया समिति तथा डॉ. एस. एस. तारापोर समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है.

बैंक ने ग्राहकों से सेवा पर शिकायत दर्ज करने, प्रतिसूचनाएं एवं सुझाव मांगने, प्राप्ति की सूचना देने एवं उनकी प्रतिसूचनाओं/शिकायत की स्थिति दर्शाने के लिए इंटरनेट आधारित तंत्र विकसित किया है.

दिनांक 08.02.2011 को बैंक ने अपना वर्धापन दिवस ग्राहक दिवस के रूप में मनाया. इस दिन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा देश भर में फैले सभी ग्राहकों से विडिओ कॉन्फरेन्सिंग के माध्यम से परस्पर संवाद किया गया.

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली / आतंकवादियों को वित्तपोषण रोकना और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं

- बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीतियां हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है.

पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों और उसी प्रकार कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाएं.

- ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाईट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई.
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

3.6 सूचना सुविधा केंद्र :

मुंबई में जून 2005 से महाबैंक सूचना सुविधा केंद्र कार्यरत है. दो टोल फ्री क्रमांक 1800-220888 और 1800-222340 पर इस केंद्र से संपर्क किया जा सकता है. 12 प्रमुख शहरों में टोल फ्री टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध की गई हैं.

वर्ष के दौरान 27,840 लोगों ने टोल फ्री क्रमांकों पर टेलीफोन किया और बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों के बारे में पूछताछ की/ बैंक की सेवा के संबंध में प्रतिसूचना दी.

ग्राहक और आम जनता द्वारा मांगी गई सूचना / सहायता तथा बैंक की विभिन्न योजनाओं व उत्पादों की जानकारी देने के लिए जुलाई 2001 से एक सूचना सुविधा केंद्र स्थापित किया गया.

वर्ष के दौरान इस केंद्र के माध्यम से 6,695 शिकायतें प्राप्त हुई और निपटाई गई.

3.7 जोखिम प्रबंधन

बैंक कारोबार जटिल से जटिल हो रहा है और विभिन्न प्रकार की जोखिम बैंकिंग कारोबार में विद्यमान है. बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमताओं पर उसकी सफलता निर्भर करती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां अपनाई हैं.

ऋण जोखिम

बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन नीति का ऋण जोखिम प्रबंधन एक अंतरंग अंग है. बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक उधार नीति, ऋण पुनरीक्षण नीति तथा जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है. इन नीतियों में विभिन्न दिशानिर्देश, कार्यविधियों, मानकों और विवेकी / विगोपन मानदंडों का विवरण दिया गया है.

The Committee of the Board on Customer Service meets periodically to monitor the quality of customer service and redressal of customer grievances to ensure customer satisfaction. The Standing Committee on Customer Service at Central Office and Regional Level Customer Service Committees at all the regional offices also meet regularly to address and review various customer related matters to take steps for improvement on an ongoing basis.

Customer Service Committees at all the branches are formed and a cross section of customers representing depositors, corporates, businessmen and senior citizens are invited to attend its meetings to have feedback and suggestions on schemes, products and services.

A full fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. Complaint Management Cells are operative at Central Office and at all Regional Offices of the Bank. The Committee of the Board on Customer Service and Standing Committee on Customer Service at Central Office monitor the progress of redressal of customer grievances regularly.

The Bank has implemented all major recommendations of Goiporia Committee and Dr. S.S.Tarapore Committee relating to customer service.

The Bank has in place internet based mechanism for lodging the complaint or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaint.

The Bank's Anniversary Day on 8.2.2011 was celebrated as Customers' Day and Chairman & Managing Director interacted with the customers across the country through video conferencing.

3.5 KYC/AML

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) and obligation of Bank under PMLA, 2002

- The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based.

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers
- Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.

3.6 Information Facilitation Centre:

Mahabank Facilitation Centre is operating from Mumbai since June 2005 and can be accessed through two All India Toll Free Numbers i.e. 1800-222340 and 1800-220888. Toll Free Telephone Numbers have been made available at 12 major cities.

During the year, 27,840 calls were received on toll free numbers regarding various products and services offered by the Bank, queries and feedback on the Bank's services.

An Information Facilitation Centre had been set up in July 2001 in Head Office for providing information on various schemes and products of the Bank and any other information / assistance that may be required by customers and public.

During the year, 6,695 complaints were received and redressed through this center.

3.7 Risk Management

Banking business is becoming more complex and exposed to wide array of risks. Success of a bank will be derived based on its risk management capabilities. Keeping this in mind the Bank has adopted various strategies for effective risk management.

Credit Risk

The Credit Risk Management process forms an integral part of overall risk management of the Bank. The Bank has put in place comprehensive Lending Policy, Loan Review Policy and Risk Management Policy for credit risk management. The policies prescribe various guidelines, procedures, standards and prudential / exposure norms.

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो आवधिक अंतरालों पर नीतियों, ऋण प्रशासन और निगरानी से संबंधित कार्यविधियों और प्रणालियों की समीक्षा करती है.

एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ताओं को दिए गए कुल विगोपन/संवेदी क्षेत्रों को दिए गए कुल विगोपन, उद्योगों को दिए गए कुल विगोपन, महत्त्वपूर्ण विगोपन, भौगोलिक विगोपन तथा कम प्राथमिकता क्षेत्र और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का अभिनिर्धारण इत्यादी के लिए ऋण विगोपन सीमाओं की समीक्षा, निगरानी और निर्धारण के माध्यम से ऋण जमाव जोखिम का विनियमन किया जाता है.

उधारी प्रस्ताव में जोखिम संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने बेसल II आवश्यकताओं के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित ऋण जोखिम रेटिंग फ्रेमवर्क, वर्तमान और उसी प्रकार प्रवेश स्तरीय उधारकर्ताओं की रेटिंग विभिन्न आस्ति संवर्गों में करने हेतु लागू किया है. लाभ योजना को हासिल करने और जोखिम वहन क्षमता के अंतर्गत ऋण संविभाग तैयार करने की दृष्टि से बैंक ने प्रवेश स्तरीय विगोपनों के लिए न्यूनतम रेटिंग निर्धारित किए हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को ऋण मंजूरी के कार्य से अलग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन ग्रिड स्थापित किया हैं. जो समिति दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम संभावनाओं का पता लगाते हैं.

बैंक ने एक निर्धारित अवधि के दौरान उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम योग्यताक्रम का माइग्रेशन विश्लेषण किया और बेसल II आवश्यकताओं के क्रम में चूक की संभावनाओं का अनुमान लगाया. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हासिल करने के लिए जोखिम आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू किया गया. ऋण संवर्ग में शामिल जोखिमों का मूल्यांकन करने और ऋण गुणवत्ता सुधारने के लिए रणनीतियां अपनाने हेतु संविभाग समीक्षा और उद्योगों का अध्ययन किया गया. आवधिक रूप से स्ट्रेस टेस्ट परिणामों का मूल्यांकन किया गया.

बाजार जोखिम

ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों, ईक्विटी और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन और गतिशीलता के कारण बैंक को बाजार जोखिम होती है. ये परिवर्तन बैंक की कमाई और पूंजी पर असर डालते हैं और बैंक की तरलता और लाभप्रदता को भी प्रभावित करते हैं.

वार्षिक रूप से पुनरीक्षित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति में बाजार जोखिम और तरलता जोखिम प्रबंधन के मानदंड निर्धारित हैं. बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी बैठक तरलता की स्थिति और ब्याज दर परिदृश्य इत्यादि का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति जमा / अग्रिमों की ब्याज दरों की समीक्षा के द्वारा बाजार जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिम सीमाओं के पालन की निगरानी करती है और वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य और बाजार में तरलता की स्थिति के आधार पर लाभ को अधिकतम करने और समग्र तुलनपत्र के प्रबंधन का कार्य भी करती है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है. विभिन्न उपाय जैसे कि जोखिम पर आय, जोखिम पर अवधि और मूल्य मॉडलों का उपयोग ब्याज दर जोखिम की निगरानी के लिए किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिम की निगरानी नियमित अंतरालों पर करती है और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं.

निवेश प्रबंधन की व्यापक नीति व निवेश जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार बैंक निवेश जोखिम का प्रबंधन करता है.

विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने खुली विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए विवेकपूर्ण ऋण सीमा, समग्र अंतर स्थिति ,डेलाईट लिमिट, ओवरनाईट लिमिट, नेट ओपन ओवरनाईट स्थिति, स्टॉप लॉस लिमिट और विदेशों में निवेश/ उधार/स्वैप परिचालित करने के लिए लिमिट, अंतरबैंक विगोपन सीमा इत्यादि लागू की है. इन लिमिटों की निगरानी नियमित आधार पर होती है.

तरलता जोखिम का प्रबंधन ढांचागत तरलता और अल्पावधि डायनॅमिक तरलता और उसी प्रकार दैनिक तरलता स्थिति की समीक्षा द्वारा किया जाता है. आवधिक आधार पर स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है.

परिचालनगत जोखिम

बैंक की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में बैंक में परिचालनगत जोखिम को नापने, उसकी निगरानी करने और उसे नियंत्रित करने हेतु विस्तृत रूपरेखा दी गई है. बैंक जोखिमग्रस्त क्षेत्रों को पहचानने और प्रणाली तथा कार्यविधि में उचित सुधार, प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित उपचारात्मक कदम उठा रहा है ताकि परिचालनगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा करने हेतु ली जाती है. बैंक ने कारोबार सततता योजना को लागू किया है. आउटसोर्सिंग नीति भी तैयार की गई है जो बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञता के उपयोग को सुगम बनाती है और आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम को न्यूनतम करती है.

The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring, at periodic intervals.

Credit concentration risk is regulated through prescribing, monitoring and reviewing of credit exposure limits in terms of single borrower / group borrower exposure, exposure to sensitive sectors, industry exposure, substantial exposure, geographical exposure, identifying the thrust and low priority areas.

To evaluate the risk perception in a lending proposition, the Bank has put in place an in-house developed Credit Risk Rating Framework (CRRF) for rating of existing as well as entry level borrowers in various asset classes, as desired under Basel II. The Bank has prescribed threshold ratings for entry level exposures with a view to building up credit portfolio within the risk appetite and achieve the profit plan. With a view to separating the Credit Risk Management function from credit sanctioning, Credit Approval Grids are set up at various levels which assess the risk perception through a committee approach.

The Bank has undertaken migration analysis of credit risk rating of borrowers over a time horizon and probability of default has been estimated in line with Basel II requirements. To achieve risk-return trade off, risk based pricing framework has been implemented. Portfolio reviews and industry studies are undertaken to assess the risks lying in the credit portfolio and adopt strategies to improve credit quality. Stress testing is also undertaken periodically.

Market Risk

Market Risk is the risk to the Bank resulting from the movements in market prices due to changes in interest rates, foreign exchange rates, equity price and commodity price. The changes impact the Bank's earnings and capital and can have ramifications on the Bank's liquidity and profitability.

The ALM Policy, which is reviewed annually and approved by the Board, prescribes the parameters for management of Market Risk and Liquidity Risk. The Bank has constituted Asset Liability Management Committee (ALCO), which meets at regular intervals to review the interest rate scenarios, liquidity positions etc. The ALCO manages and supervises Market Risk and Liquidity Risk through review of rates of interest on deposits / advances. ALCO also monitors adherence to various risk limits and determines the business strategy in light of prevailing interest rate scenario and liquidity position in the market with a view to optimizing profit and overall balance sheet management.

Interest Rate Risk is managed through the prescriptions of ALM Policy. Various tools viz. Earnings at Risk, Duration and Value at Risk models are used for monitoring interest rate risk. The ALCO reviews the risk on regular basis and measures are initiated to minimize the interest rate risk.

Investment Risk is managed through the prescriptions made in the Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy.

For management of Foreign Exchange Risk, prudential limits for open foreign exchange position, aggregate gap position, Daylight limit, Overnight limit, Net open overnight position, Stop loss limit, Limit for undertaking swaps / investment / borrowing overseas, inter bank exposure limits etc. have been put in place. These limits are monitored regularly.

Management of Liquidity Risk is achieved through ongoing review of structural liquidity and short term dynamic liquidity as well as daily liquidity position. Stress testing is undertaken periodically.

Operational Risk

The Operational Risk Management Policy of the Bank outlines the framework for measuring, monitoring and controlling operational risk in the Bank. The Bank lays due emphasis on identifying risk prone areas and taking suitable remedial actions by streamlining systems & procedures, imparting training so as to control operational risks. The Operational Risk Management Committee (ORMC) meets regularly to review the matters related to operational risk. The Bank has put in place policy on Business Continuity Planning. A policy on outsourcing is also formulated which facilitates use of expertise available in the market with adequate safeguards against risk associated with outsourcing.

बेसल II अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) की शर्तों के अनुसार बैंक बेसल II अनुपालनयुक्त है. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण बाजार जोखिम के लिए और मूल संकेतक दृष्टिकोण परिचालनगत जोखिम के लिए अपनाया है. बेसल II के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार निगमित विगोपन संबंधित जोखिम को नापने के लिए अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसियों की ऋण रेटिंग का उपयोग किया जाता है. बैंक ने ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति को भी लागू किया है.

बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया को तैयार किया है जिसके अंतर्गत बेसल II मानदंडों के पिलर 2 की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पिलर 1 जोखिम (अर्थात ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनगत जोखिम) को छोड़कर जोखिम को नापने और पहचानने का कार्य शामिल है. भारतीय रिज़र्व बैंक के बेसल II की पिलर 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रकटन मानदंडों का पालन किया गया है.

बैंक ने बेसल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु एक योजना तैयार कर ली है.

प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य बेसल II मानदंडों की बेहतर जागरूकता सुनिश्चित की गई है. बाहरी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत जोखिम प्रबंधन दल की कुशलताओं और ज्ञान का निरंतर कोटिउन्नयन किया जाता है.

3.8 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियां

निरीक्षण और संगामी लेखा परीक्षाः

परिचालनगत जोखिम को अभिनिर्धारित करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा के द्वारा विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं.

शाखाओं का निरीक्षण

बैंक ने जिलानी समिति की सिफारिशों का पालन करना जारी रखा और वर्ष के दौरान 1011 शाखाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षित शाखाएं बैंक की कुल शाखाओं का 65.82 प्रतिशत हिस्सा थी. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत इन सभी 1011 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा भी की गई.

सभी निरीक्षण अधिकारियों और निरीक्षण कक्ष प्रमुखों को नीतियों, कार्यविधियों, व्यवसाय परिवेश, बैंकों के लिए चुनौतियां और अवसर, जोखिम के नए क्षेत्रों की पहचान करने और वरिष्ठतम प्रबंधन को शाखाओं और कार्यालयों के मौजूदा और आसन्न जोखिमों के बारे में आगाह करने में उनकी भूमिका के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए सितंबर/अक्तूबर 2010 के दौरान एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था.

तत्काल निरीक्षणः

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शाखाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 110 शाखाओं में तत्काल निरीक्षण किया गया.

संगामी लेखा परीक्षा :

वर्ष के दौरान बैंक की 312 शाखाओं और केन्द्रीय कार्यालय के 4 विभागों में संगामी लेखा परीक्षा की गई. इन शाखाओं में बैंक की समग्र जमाराशियों का 66 प्रतिशत और बकाया अग्रिमों का 77.50 प्रतिशत हिस्सा है.

आय व व्यय लेखा परीक्षाः

आय रिसाव का अभिनिर्धारण करने व उसकी वसूली करने के लिए अक्तूबर 2009 से सितंबर 2010 की अवधि के लिए 720 शाखाओं की आय व व्यय लेखा परीक्षा की गई. वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्ध वार्षिक व्यय लेखा परीक्षा की गई.

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

16 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 13 विभागों की पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षण :

वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन बैंक की 5 शाखाओं व 3 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01.06.2010 से 21.07.2010 के बीच वार्षिक वित्तीय निरीक्षण किया.

Basel II Compliance

The Bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework (Basel II) guidelines issued by RBI. Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines for capital adequacy computation. External credit ratings from approved rating agencies are used for risk weighting of corporate exposures as required under Basel II. Bank has also put in place a policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management.

The Bank has evolved Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) which covers identification and measurement of risks other than Pillar 1 risks (i.e. Credit Risk, Market Risk & Operational Risk), to meet the requirements of Pillar 2 of Basel II norms. The Bank has adhered to disclosure norms as stipulated in the guidelines of RBI to meet Pillar 3 requirements of Basel II.

Bank has drawn a roadmap for implementation of advanced approaches under Basel II.

Improvement in awareness of Basel II norms amongst the employees is ensured through training. Knowledge and skill levels of risk management team at Central Office are constantly upgraded through exposure to external trainings, workshops and seminars.

3.8 Internal Control Systems

Inspection & Concurrent Audit:

The Inspection and Audit system and various measures of internal control are adopted by the Bank to ensure identification/assessment and mitigation of operational risks.

Inspection of Branches:

The Bank continued to adhere to the Jilani Committee recommendations and inspected 1011 branches during the year covering 65.82 per cent of total branches of the Bank. As per RBI guidelines under Risk Based Supervision, the Bank has undertaken Risk Based Internal Audit (RBIA) al all these 1011 branches.

Conference of all inspecting officials and heads of inspection cells was organized during September/October 2010 to update them on policies, procedures, business environment, opportunities and challenges for banks, emerging areas of risks and their role in alerting the top Management of existing and impending risks at branches and offices.

Surprise Inspection:

In pursuance of the Ghosh committee recommendations, surprise inspection was carried out at 110 branches focusing mainly on high risk areas at the branches.

Concurrent Audit:

312 Branches and 4 central office Departments were subjected to Concurrent Audit during the year. These branches covered 66 per cent of aggregate deposits and 77.50 per cent of total advances of the Bank.

Income & Expenditure Audit:

Income & Expenditure Audit for the period from October 2009 to September 2010 was carried out at 720 branches to identify and recover income leakages, if any. Half yearly Expenses Audit of all the Regional Offices was carried out during the year.

Management Audit:

Management Audit of 16 Regional Offices and 13 departments at Central Office was carried out for assessing their effectiveness in terms of supervision and controls.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act:

During the year 2010-11, RBI inspected 5 branches and 3 Regional Offices under Section 35 of RBI Act. RBI conducted AFI of the bank during the period 01.06.2010 to 21.07.2010.

3.9 सतर्कता

बैंक में सतर्कता गतिविधियां प्रबंधन का अंतरंग अंग है. इसका उद्देश्य प्रबंधकीय कुशलता और प्रभावशीलता के स्तर में वृद्धि करना और कुशल प्रशासन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना है जहां अधिकारी अपने कार्य बिना किसी डर और भेदभाव से कर सके.

बैंक में सतर्कता का कार्य लचिलेपन और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन कायम रखता है.

सतर्कता का अति महत्वपूर्ण अंग निवारक सतर्कता है. प्रत्येक स्तर पर कार्यकुशलता में सुधार के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशों के अनुसार 20 और अधिक कर्मचारियों वाली शाखाओं में संवेदी और जालसाजीग्रस्त क्षेत्रों का पुनरीक्षण / निगरानी करने व विसंगतियों (यदि कोई हो), को रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है.

जालसाजियों को टालने, उनका पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उनकी रिपोर्टिंग करने व की जाने वाली कार्यवाही सुझाने के लिए 'जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति' बैंक ने तैयार कर मार्गदर्शन एवं उपयोग हेतु सभी कर्मचारियों व क्षेत्र कार्यकर्ताओं में परिचालित की है.

3.10 अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड अनुमोदित अनुपालन नीति को लागू किया गया है और उप महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन विभाग का गठन किया गया है. अनुपालन विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ और अन्य एजेंसियों से प्राप्त निदेशों/संप्रेषणों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है. अनुपालन की स्थिति की समीक्षा उच्च प्रबंधन/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा साप्ताहिक/मासिक/तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार करने हेतु अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपालन पर एक सत्र शामिल किया गया है.

3.11 विपणन और प्रचार

बैंक ने 31.03.2010 को ₹ 1 लाख करोड़ के कारोबारी स्तर को पार किया. इस उपलब्धि का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया.

प्लेटिनम जुबिली वर्ष का समापन समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया. इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा तथा केन्द्रीय संचार और आईटी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट उपस्थित थे.

बैंक की सेवा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष संस्मरणीय कवर को श्री सचिन पायलट के हाथों राष्ट्र को समर्पित किया गया.

देश के सभी हिस्सों से आए मूल्यवान ग्राहक और नई दिल्ली के उच्च सरकारी अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे.

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) में 100 प्रतिशत सीबीएस का कार्यान्वयन, शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय में ग्राहक दिवस का आयोजन, नए उत्पादों / सेवाओं का शुभारंभ तथा चालू खाता बचत खाता अभियानों इत्यादि के समाचार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया.

3.12 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. इसका समय समय पर अद्यतन किया जाता है. नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधार

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2011 को कुल बकाया अग्रिम ₹ 16,480.04 करोड़ के थे, जो निर्धारित 40 प्रतिशत के न्यूनतम की तुलना में पिछले वर्ष के समायोजित निवल बैंक ऋण के 40.66 प्रतिशत थे.

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में मार्च 2010 के स्तर पर ₹ 2,247.78 करोड़ की वास्तविक वृध्दि दर्ज की गई.

3.9 Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function. Its objective is to enhance the level of managerial efficiency, effectiveness and to ensure a proper climate for an efficient administration, where officials can perform the duties without any fear or favour.

'Vigilance' in bank is maintaining a proper balance between flexibility and accountability.

Preventive Vigilance is the most important aspect of vigilance. With a view to improve functioning at all levels, the Bank has taken the necessary steps as under:

In accordance with CVC directives, Vigilance Committees have been formed at the Branches having staff of 20 and more, to review/ monitor sensitive and fraud prone areas and report abnormalities observed therein, if any.

'Fraud Risk Management Policy' on prevention, detection, classification and reporting of frauds including action to be taken, has been adopted by the Bank and circulated for the guidance and use of the branches and field functionaries.

3.10 Compliance

As per the Reserve Bank of India guidelines, Board approved Compliance Policy is in place and the compliance department is headed by Chief Compliance Officer who is in the rank of Deputy General Manager. The Compliance Department ensures timely compliance to the directions / communications received from Reserve Bank of India / Government of India / IBA and other agencies. The compliance status is reviewed by the Top Management / Audit Committee of the Board on weekly / monthly/ quarterly basis. To improve the compliance culture in the Bank session on compliance has been included in training programme for staff members.

3.11 Marketing And Publicity

The landmark of crossing ₹ 1.00 lakh crore business was achieved on 31.03.2010. This occasion was given wide publicity by giving advertisements in print media and electronic media.

The concluding ceremony of the Platinum Jubilee year was held at Vigyan Bhawan, Delhi. Hon'ble Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, Chief Minister of Maharashtra, Shri Ashok Chavan, Union Minister of State for Finance Shri Namo Narain Meena and Union Minister of State for Communications and IT, Shri Sachin Pilot, graced the occasion.

A special commemorative Cover was released at the hands of Shri Sachin Pilot on Bank's completing 75 years of service to the nation.

Valued clients from all parts of the country along with top Government officials from Delhi attended the programme.

Wide publicity was given in print and electronic media on 100 per cent CBS achievement of Maharashtra Gramin Bank (Bank sponsored RRB), observing Customer's day at branches, Regional Offices and Central office, launch of new products/ services and CASA campaigns.

3.12 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The Charter is displayed at all the branches and at the website and has been updated from time to time. The Bank has also adopted a Citizen Charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro & Small Enterprises, Retail Traders, Professional & Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of March 2011 aggregated to ₹ 16,480.04 crore, constituting 40.66 per cent of the Adjusted Net Bank Credit of previous year against the stipulated minimum target of 40 per cent.

The rise in Priority Sector Advances was ₹ 2,247.78 crore over March 2010 in absolute terms.

4.2 कृषि

वर्ष 2010-2011 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 2874.28 करोड़ के ऋण वितरित किए. 31.03.2011 को कृषि क्षेत्र को बकाया अग्रिम ₹ 4691.17 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 11.58 प्रतिशत हिस्सा थे.

कृषि अग्रिमों में वृध्दि करने के लिए बैंक ने सभी शाखाओं के लिए जागरूकता/ सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए.

4.2.1 बैंक ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण राहत व ऋण माफी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया.

भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बैंक ने कुल 86584 पात्र लघु व सीमान्त किसानों को ₹ 219.28 करोड़ की ऋण माफी और 39320 किसानों को ₹ 82.01 करोड़ की ऋण राहत प्रदान की.

महाराष्ट्र सरकार की ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत बैंक ने 36317 किसानों को ₹ 36.99 करोड़ की ऋण माफी और 49353 किसानों को ₹ 98.12 करोड़ की ऋण राहत प्रदान की.

4.2.2 **महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)**

इस योजना को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल हुई है, जहां इसका प्रचार-प्रसार उत्साह और सफलतापूर्वक किया जा रहा है. बैंक ने दिनांक 31.03.2011 तक किसानों को 281879 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें ₹ 1493.42 करोड़ का ऋण प्रवाह शामिल है.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. पात्र उद्यमों को आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराया गया. वर्ष के दौरान बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाए गए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साईट पर प्रदर्शित किया है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबध्दता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेब साईट पर प्रदर्शित किया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2010 को ₹ 3,699.64 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर ₹ 7,037.31 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 90.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

4.3.1 **महाउद्यमी**

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारन्टी के बिना बैंक अधिकतम ₹ 100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है.

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत इस योजना के खातों को संरक्षा प्राप्त है. बैंक, संपूर्ण गारंटी फीस और 50 प्रतिशत वार्षिक सेवा फीस का वहन करता है, जिसका भुगतान सीजीएफएमएसई के अंतर्गत न्यास को करना पड़ता है. मार्च 2011 तक बैंक ने योजना के अंतर्गत 5495 उधारकर्ताओं को ₹ 311.94 करोड़ के ऋण मंजूर किए. वर्ष के दौरान ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत कवरेज 66.87 प्रतिशत से बढ़ा.

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 **फुटकर ऋणों के अंतर्गत नई पहल**

क. फुटकर ऋणों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने गुणवत्तापूर्ण और झंझट मुक्त फुटकर ऋण वितरण के लिए सभी क्षेत्रों में 15 फुटकर आस्ति शाखाएं और 18 फुटकर प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित किए.

ख. महाबैंक ज्वेल ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण पीढ़ियों से बचत के साधन के रूप में विद्यमान है. एक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण यह कारोबार, कृषि, शादी, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्ययोग्य संपत्ति का कार्य करती है. हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से 'महाबैंक ज्वेल ऋण योजना' के नाम से नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया. वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वर्ण आभूषणों पर ऋण नियमित ब्याज दर से 0.75 प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध है.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 2874.28 crore for agriculture and allied activities during the year 2010-11. The outstanding advances to agriculture sector as of 31.03.2011 were ₹ 4691.17 crore i.e.11.58 per cent of Adjusted Net Bank Credit.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture.

4.2.1 The Bank successfully implemented Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme of the Government of India and the Maharashtra state Government.

Under Government of India Scheme bank has covered 86584 small and marginal farmers for debt waiver involving ₹ 219.28 crore and 39320 farmers for debt relief involving ₹ 82.01 crore.

Under Government of Maharashtra's Debt Waiver & Debt Relief Scheme bank has covered 36317 farmers for debt waiver involving ₹ 36.99 crore and 49353 farmers for debt relief involving ₹ 98.12 crore.

4.2.2 **Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)**

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 281879 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries is ₹ 1493.42 crore as on 31.03.2011.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website during the year.

The Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and it is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises which was at the level of ₹ 3,699.64 crore as at 31.03.2010, increased to ₹ 7,037.31 crore as at 31.03.2011, which translates into a y-o-y growth of 90.22 per cent.

4.3.1 **Maha-Entrepreneur**

Under the scheme, the Bank is providing finance up to ₹ 100.00 lakh to Micro and Small Enterprises without Collateral Security and/ or Third Party Guarantee.

Accounts under the scheme are covered under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. The Bank is bearing the entire guarantee fee and 50 per cent of annual service fee, which is to be paid to the Trust under CGFMSE. The Bank sanctioned loans of ₹ 311.94 crore to 5495 borrowers under this scheme up to March 2011. During the year, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 66.87 per cent.

5. IMPORTANT SCHEMES/PROJECTS OF THE BANK

5.1 **New initiatives under Retail Loans:**

a. Centralized processing of retail loans.

The Bank has opened 15 Retail Assets Branches and 18 Retail Processing Centers covering all the Regions for hassle free and quality disbursement of retail loans.

b. Mahabank Jewel Loan Scheme.

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings among the people in India. Being one of the most liquid and precious asset, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agricultural, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc., With a view to meet the requirement of our customers, Bank has launched a new Retail Loan product "Mahabank Jewel Loan Scheme" w.e.f. 01.11.2010. For senior citizens, loan against gold ornaments is available at 0.75 per cent less than the regular interest rate.

ग. महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

बैंक के नियमित आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से 'महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना' नामक नया रिटेल ऋण उत्पाद आरंभ किया.

5.2 **आम जनता को आवास ऋण**

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की आवास ऋण योजना है. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 17.99 प्रतिशत की वृध्दि हुई और 31.03.2011 को यह बढ़कर रू. 4,279.68 करोड़ के स्तर पर पहुंच गएं. 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक भारत सरकार की स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है.

5.2.1 ₹ 10.00 लाख तक के आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज सरकारी सहायता.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 10.00 लाख तक के आवास ऋण के उधारकर्ताओं को 1 प्रतिशत की सरकारी ब्याज सहायता के रूप में ₹ 20.00 लाख तक की सहायता दी.

5.3 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. मार्च 2011 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹ 481.40 करोड़ थे, जो 24354 छात्रों में वितरित थे. बैंक ने वेब एक्सेस के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की है.

5.3.1 आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के उधारकर्ताओं को शैक्षणिक ऋणों में ब्याज अनुदानः

बैंक ने वर्ष 2009-10 के लिए माता-पिता की आय ₹ 4.50 लाख प्रति वर्ष होने पर भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना को लागू किया. इस योजना के अंतर्गत, आस्थगन अवधि के दौरान लगाए गए संपूर्ण ब्याज की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है.

5.4 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है. महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं. बैंक ने स्वसहायता समूहों के वित्तपोषण हेतु वर्ष के दौरान हडपसर, पुणे और गोरेगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है. बैंक ने विभिन्न स्व सहायता समूहों की गैरपरंपरागत गतिविधियों का सक्रिय रूप से वित्तपोषण किया है.

31.03.2011 को बैंक द्वारा 84087 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से 81471 स्वसहायता समूहों ने बैंक से ₹ 229.63 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, जो गत वर्ष पर 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

5.5 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायताः

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है. 31.03.11 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को कुल ऋण ₹ 789.85 करोड़ के थे, जो 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं.

5.6 अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है. मार्च 2011 को अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया अग्रिम ₹ 874.53 करोड़ के थे, जो 57135 लाभार्थियों में वितरित थे.

5.7 महाबैंक डायमंड चालू खाता योजना

चालू खातों की वर्तमान योजना पर्ल व सफायर में सुधार कर डायमंड योजना के नाम से अतिरिक्त मुफ्त सुविधाओं के साथ एक नई योजना का शुभारंभ दिनांक 14 दिसंबर, 2010 से किया गया.

5.8 महानिधि योजनाः

बैंक की फुटकर सावधि जमा बढ़ाने के लिए दिनांक 26.02.11 को एक नई 'महा निधि' जमा योजना का शुभारंभ किया गया. योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2011 तक ₹ 2,922.68 करोड़ की जमा का संग्रहण किया गया.

5.9 वरिष्ठ नागिरकों को अतिरिक्त ब्याज दर

दिनांक 10.01.2011 से केवल ₹ 1.00 करोड़ से कम रकम हेतु एक वर्ष और अधिक की परिपक्वता स्लैब में जमाराशियों पर ब्याज दर को 0.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया.

c. Mahabank Top-Up Loan Scheme.

In order to extend additional credit support to our regular housing loan borrowers, Bank has launched another new Retail Loan product "Mahabank Top-Up loan scheme" w.e.f.01.11.2010.

5.2 **Housing loan to public**

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area.

The Bank's lending to housing sector has grown by 17.99 percent during the year to reach the level of ₹ 4,279.68 crore as at 31.03.2011. The Bank is also implementing Golden Jubilee Rural Housing Scheme of the Government of India in rural areas having population not exceeding 50,000.

5.2.1 One per cent Interest Subvention on Housing Loan up to ₹ 10.00 lakh.

As per GOI guidelines, Bank has provided 1 per cent interest subvention to borrowers, who availed housing loans upto ₹ 10.00 lakhs costing upto ₹ 20.00 lakhs.

5.3 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank implemented a Model Educational Loan Scheme. As of March 2011, the Bank had lent ₹ 481.40 crore to 24354 students. The Bank has provided the facility of online submission of application for education loan through web-access.

5.3.1 Interest subsidy to Education loan borrowers under Economically Weaker Sections:

Bank has implemented interest subsidy scheme of Government of India for the year 2009-10 where the parental annual income is upto ₹ 4.50 lakh. Under the scheme, entire interest charged during moratorium period is reimbursed by the Central Govt.

5.4 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women. Bank has opened specialized branches for financing SHGs at Hadapsar, Pune and Goregaon, Mumbai during the year. The Bank has actively financed non-traditional activities of various Self Help Groups (SHGs).

As on 31.03.2011, there were 84087 SHGs formed by the Bank, out of which 81471 SHGs had availed aggregate financial assistance of ₹ 229.63 crore from the Bank constituting a growth of 54 per cent over previous year.

5.5 Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2011 to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 789.85 crore, constituting a growth of 15 per cent.

5.6 Advances to Minority Community:

A special cell has been set up at Central Office to review & ensure smooth flow of Credit to minority community. As of March 2011, the outstanding advances to minority communities were at ₹ 874.53 crore to 57135 beneficiaries.

5.7 Mahabank Current Account Diamond Scheme:

Existing schemes viz 'Pearl' and 'Sapphire' have been refurbished and another new Current Account Scheme viz 'Diamond Scheme' with additional free facilities has been introduced wef 14th December 2010.

5.8 Mahanidhi Scheme:

New "Maha Nidhi" Deposit scheme was introduced on 26.02.2011 to shore up retail term deposits of the Bank. Deposits amounting to ₹ 2,922.68 crore were mobilized under the scheme till 31.03.2011.

5.9 Additional rate of Interest to Senior Citizens

Interest rate on deposits in maturity slabs of one year and above has been increased to 0.75 per cent from 0.50 per cent for an amount less than one crore only w.e.f 10.01.2011

5.10 महाचेतना कार्यक्रम

बैंक की अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने और बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग हेतु एक सशक्तीकरण कार्यक्रम 'महाचेतना कार्यक्रम' एक कर्मचारी प्रोत्साहन अभियान, अक्तूबर 2010 में लागू किया गया. महाचेतना कार्यक्रम चार प्रमुख कारोबारी मानदंडों पर आधारित था-

1. अनर्जक आस्तियों में कमी
2. जमा वृद्धि को बनाए रखना / चालू खाता बचत खाता जमाराशियों में अधिक वृद्धि करना.
3. अग्रिमों की गुणवत्ता में सुधार करना.
4. फीस आधारित आय में वृद्धि करना.

महाचेतना कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने सभी 32 क्षेत्रों को भेंट दीं तथा सभी कर्मचारियों से कारोबार वृद्धि, एनपीए वसूली इत्यादि में उनके सक्रिय सहभाग हेतु परस्पर संवाद किया, जिसे स्टाफ सदस्यों, जिन्होंने बैंक के कारोबार विकास के लिए शपथ लीं, से भरपूर प्रतिसाद मिला.

6. निगमित सामाजिक दायित्व

6.1 बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ 'प्रयोगशाला से खेतों तक' परियोजना, खारी मिट्टी का विकास, मिट्टी की जांच, उर्वरक के उपयोग पर परामर्श इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं.

6.2 बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ डेअरी, इमू पालन, बकरीपालन, अंगूर की खेती, उर्वरकों का उपयोग, कृषि ऋण योजनाओं की जानकारी इत्यादि जैसे कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है.

6.3 बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 7117 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 70 प्रतिशत का स्थायित्व दर हासिल किया.

6.4 बैंक द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें ऋण से संबध्द करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है. ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल पुणे शहर में ''सावित्री'' नामक दुकान के माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहयोग देता है. मंडल स्व सहायता समूहों को कच्चा माल खरीदने और दर्जेदार उत्पादन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है.

6.5 बैंक ने पुणे, नाशिक और औरंगाबाद तीन अग्रणी जिलों में तीन वित्तीय साक्षरता एवं ऋण समुपदेशन (एफएलसीसी) केन्द्रों का शुभारंभ किया है.

6.6 वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता की. इसमे निम्नलिखित शामिल हैः

i) पुणे के आसपास विकासशील क्षेत्रों में 3 वर्ष से कम बच्चों में श्रवण संबंधित कमियों का पता लगाने के लिए एक आडियो लॉजिकल एससमेंट उपकरण उपलब्ध किया गया.

ii) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में आयोजित फ्री आय चेक-अप कैम्प में उपयोगार्थ सीसीटीवी.

iii) आंखों की सर्जरी में उपयोगार्थ रेटिनल कॅमेरा.

iv) मानसिक रूप से विकलांग एवं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की सुविधार्थ भवन व भौतिक सुविधाएं.

v) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली में मोटराईज्ड वाहन उपलब्ध किए गए.

vi) दूरस्थ दुर्गम गांवों में टॉयलेट का निर्माण.

7. अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के छह जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. हर वर्ष इन जिलों के लिए ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं और अन्य बैंकों की सहायता से इन्हें कार्यान्वित किया जाता है. वर्ष के दौरान हमारे 6 अग्रणी जिले में प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत बैंक का कार्य निष्पादन मार्च 2011 के लक्ष्य की तुलना में 109 प्रतिशत रहा.

5.10 'Maha Chetana' Programme:

Maha Chetana Programme, a staff motivation campaign, was launched in October 2011 as an empowerment programme for the active participation of all staff members to achieve the desired goals of the Bank and take it to new heights in coming years. 'Maha Chetana' Programme focused mainly on 4 key business parameters i.e. –

1. Reduction in NPA
2. Sustaining deposit growth / further increasing CASA deposits
3. Increasing quality advances
4. Increasing fee based income

Hon.Chairman & Managing Director visited all the 32 regions & interacted with all the employees for their active participation in business growth, NPA recovery etc under the 'Maha Chetana' programme, which was overwhelmingly received by the staff who vowed for the business development of the bank.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

6.1 The Rural Development Centres at Hadapsar and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various developmental activities for the benefit of farmers viz. Lab to Land Project, Re-development of Saline Soils, Soil Testing and offering advice on the use of fertilizers.

6.2 A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the Bank undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in agriculture, e.g. dairy, Emu farming, goat rearing, best practices in grape farming, application of fertilizers, agriculture credit schemes, etc.

6.3 The Bank has established Mahabank Self Employment Training Institute (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati and Nasik. The Institute has so far imparted training to 7117 youths and has achieved settlement rate of 70 per cent.

6.4 'Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal' (GMVBVM), an NGO formed by the Bank is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit. The GMVBVM also helps SHGs in marketing their products through outlets established in Pune City under the name "SAVITRI". The GMVBVM guides and actively helps SHGs for selection and purchase of raw materials and quality production.

6.5 The Bank has opened three Financial Literacy & Credit Counselling centers in three Lead Districts namely Pune, Nasik and Aurangabad.

6.6 Bank has helped various NGOs during the year extending financial support to acquire necessary inputs for carrying their activities. These include the following:

i) An Audio logical assessment equipment which helps detection of hearing related challenges among children below the age of 3 years in underdeveloped areas around Pune

ii) CCTV for use in free eye check up camps conducted in backward areas in Maharashtra

iii) Retinal camera for use in eye surgeries

iv) Building and physical comforts to mentally retarded and cerebral palsy children

v) Motorized vehicles to physically challenged persons in Delhi

vi) Construction of toilets in remote underdeveloped villages.

7. LEAD BANK SCHEME

The Bank has Lead Bank responsibility in six districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Pune, Satara & Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks. The Performance of the Bank during the year in respect of six lead districts under priority sector lending was 109 per cent of the targets.

राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति के समन्वयक के रूप में बैंक राज्य में वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नियमित रुप से तिमाही बैठकों का आयोजन करता है. वर्ष के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर समिति की चार बैठकें हुईं.

2000 से अधिक आबादी वाले बैंकिंग सुविधा से वंचित 4292 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गांवों के अभिनिर्धारण के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य विशिष्ट वित्तीय समावेशन योजना (स्वाभिमान) तैयार की गई. 31 मार्च 2011 तक बैंकों ने राज्य में ईंट सीमेन्ट से बनी शाखाओं, मोबाईल वैन तथा कारोबार प्रतिनिधियों के मॉडल के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग सुविधा देने के लिए 1692 बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में बैंकिग केन्द्र खोले.

आधार - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए रजिस्ट्रार

बैंक ने आधार (भारतीय निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान क्रमांक) के अंतर्गत पंजीयन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ गठबंधन किया है और रजिस्ट्रार बन गया है.

गठबंधन पर हस्ताक्षर के साथ बैंक भारत सरकार के द्वारा गठित, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भारतीय निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान क्रमांक जारी करने के प्रयासों में साझेदार बन गया है.

बैंक ने प्रायोगिक तौर पर अपने वर्धापन दिन दिनांक 08 फरवरी 2011 से बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को विशिष्ट पहचान क्रमांक जारी करने के लिए पुणे और मुंबई में नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया और 31.03.2011 तक 13,000 पंजीयन किए.

वित्तीय समावेशन योजना - स्वाभिमान

स्वाभिमान भारत सरकार द्वारा की गई एक उल्लेखनीय पहल है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के मध्य आर्थिक दूरी को कम करना है. वित्तीय समावेशन योजना में अपेक्षा है कि 2,000 की आबादी वाले देश के सभी बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध की जाएं. तदनुसार हमारे बैंक को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग सुविधा से वंचित 1215 गांवों का आबंटन किया गया है.

स्वाभिमान अभियान बैंक खाता खोलने को सुगम बनाता है, आवश्यकता आधारित ऋण सुविधाएं, धन प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करता है और कारोबार प्रतिनिधि/ग्राहक सेवा प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से शाखा रहित मॉडल सहित तकनीक और विभिन्न मॉडलों का उपयोग कर ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षरता लाने में सहायता करता है.

बैंक, 1215 बैंकिंग सुविधा से वंचित आबंटित गांवों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने हेतु आईटी सक्षम वित्तीय समावेशन योजना लागू कर रहा है. 31.03.2011 को बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से 484 गांवों में सेवा उपलब्ध की और वित्तीय समावेशन गांवों अर्थात महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ठाणे जिले के क्रमशः जरी-जमानी और आसनगांव में 2 शाखाएं खोली.

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन हमारे बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य में है. बैंक की कुल शाखाएं 31.03.2011 को 329 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में स्थित थीं.

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने अपनी सभी 329 शाखाओं को 77 दिनों के रिकॉर्ड समय में सीबीएस प्लैटफॉर्म पर अंतरित किया.

वर्ष 2010-2011 के दौरान भारत सरकार की नीति के अनुरूप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को सभी हितधारकों यथा भारत सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार से उनके शेयरधारण अनुपात 50:35:15 के अनुपात में पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात में सुधार करने हेतु पुनर्पूंजीकरण समर्थन के लिए ₹ 45.34 करोड़ प्राप्त हुए.

8.2 दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

बैंकिंग की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1946 में दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) स्थापित की गई. ये सेवाएं हैं :

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना
- निजी न्यासों का प्रबंधन
- सार्वजनिक धर्मादा न्यासों का प्रबंधन

State Level Bankers' Committee:

The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. Quarterly meetings are held regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, priority sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. During the year four SLBC meetings were held.

As an SLBC convener, state specific financial inclusion Plan (Swabhiman) was drawn for 4292 unbanked villages having population over 2000 in the state for extending banking services to unbanked habitations. The banks in the state have opened banking outlets in 1692 unbanked villages through brick & mortar branches, mobile van and Business correspondents' model for extending branchless banking as of 31.03.2011.

Registrar for issue of Aadhaar- UIDAI

The Bank has entered into MoU with Unique Identification authority of India (UIDAI) for enrolment of Aadhaar (Unique identification number to residents of India) and became a Registrar.

With the signing of the MoU, the Bank became a partner in the efforts of the UIDAI set up by Government of India, for issuing Unique Identity Numbers to residents of India.

Bank has commenced the enrolment process on pilot basis at Pune & Mumbai for issuance of unique identification number (Aadhaar) for its staff and customers on 8th Feb 2011 (Anniversary day) and completed 13000 enrolments as on 31.03.2011.

Financial Inclusion plan – 'Swabhiman'

'Swabhiman' is path-breaking initiative by Government of India to cover the economic distance between rural and urban India. It promises to bring basic banking services to all unbanked villages in the country with population above 2000. Accordingly, our bank has been allotted 1215 unbanked villages in the country to be covered under financial inclusion for inclusive growth.

The swabhiman movement facilitates opening of bank accounts, provide need based credit, remittance facilities and help to promote financial literacy in rural India using various models and technologies including branchless models through Business correspondent (BC)/ Customer Service Provider (CSPs) models.

Bank has been implementing IT enabled financial inclusion for providing branchless banking in allotted 1215 unbanked villages. As on 31.03.2011, bank has covered 484 villages through BC model and opened two branches at financial inclusion villages i.e., Zari-Jamani and Asangon in Chandrapur and Thane districts of Maharashtra respectively.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by our bank having its Head Office at Nanded, Maharashtra state. Total no of branches as on 31.03.2011 stood at 329 covering 16 out of 33 districts of Maharashtra state.

MGB has migrated all its 329 branches to CBS platform within a record time period of 77 days.

During the year 2010-11, as per GOI policy, MGB has received recapitalization support of ₹ 45.34 crore for improving Capital to Risk Asset Ratio (CRAR) from all stake holders i.e. Government of India, Bank of Maharashtra and Government of Maharashtra in the proportion of their share holding of 50:35:15 respectively.

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO)

The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd (METCO) was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as

- Drafting & Execution of will
- Management of private trusts
- Management of public charitable trusts

- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी की पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में अपनी इकाईयां हैं.

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के ग्राहक आधार में 24 नए न्यास जुड़े, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्रबंधित निजी और सार्वजनिक न्यासों की संख्या 1002 हो गई. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 46 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1063 हो गई है.

कंपनी द्वारा वर्तमान में 120 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 147 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 10 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2010-11 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की गईं :

- भारतीय रिज़र्व बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत हमारे बैंक की गृह पत्रिका 'महाबैंक प्रगति' को 2008-09 हेतु द्वितीय क्रमांक का पुरस्कार प्राप्त हुआ. दिनांक 26 मई, 2010 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में हमारे बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने यह पुरस्कार ग्रहण किया.
- हमारे बैंक द्वारा संयोजित मुंबई नराकास को बेहतर संयोजन हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार मुंबई नराकास के अध्यक्ष व मुंबई क्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री वी. कण्णन ने दिनांक 14 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में माननीय उप राष्ट्रपति के कर कमलों से ग्रहण किया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्विभाषी गृहपत्रिका प्रतियोगिता 2009-10 के अंतर्गत हमारे बैंक को चतुर्थ पुरस्कार घोषित किया गया है.
- हमारे रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर द्वारा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है.

  बैंक पुणे, मुंबई और सोलापुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है. वर्ष के दौरान इन सभी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं. बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति राजभाषा का भी संयोजक है. इस वर्ष इस समिति की बैठक 8 मार्च, 2011 को संपन्न हुई.

10. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए.
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

11. निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री. शिरीष डी. धनक को 21.07.2010 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री. एस. के. गोगिया, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक, दिनांक 29.07.2010 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company has its units at Pune, Mumbai, Thane and Nagpur.

During 2010-11, new assignments for Management of Trusts received were 24, bringing the total number of Public & Private Trusts under management to 1002. New Wills added during the year were 46 bringing the total number of Wills in custody and execution to 1063.

The Company manages properties both movable and immovable of 120 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 147 policies under Married Women's Property Act and acts as Court appointed Guardian of minor's property in 10 cases.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Progressive use of Official Language.

During the year 2010-11, the Bank has made various remarkable achievements in the field of Official Language Implementation.

- Our former Chairman & Managing Director received the 2nd prize won by the Bank in 'Reserve Bank of India Bilingual House Magazine competition for the year 2008-09' at a function held at Mumbai on 26th May, 2010.
- TOLIC, Mumbai convened by our Bank has received Indira Gandhi Rajbhasha shield. The prize was received by the then General Manager Shri V. Kannan at the hands of Honorable Vice President of India on 14th September, 2010 at New Delhi.
- The Bank also secured 4th place in 'Reserve Bank of India Bilingual House Magazine Competition for the year 2009-10'.
- Our Regional office, Raipur was awarded 3rd prize for better use of Hindi by the TOLIC, Raipur.

The Bank is the Convener for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Pune, Mumbai and Solapur. Meetings of these committees were held regularly. The Bank is also a Convener of State Level Bankers Committee (Rajbhasha). Meeting of the committee for this year was held on 8 March, 2011.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2011:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

11. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2010-11, the following changes took place in the Board of Directors:

Shri Shirish D. Dhanak was appointed as Workmen Employee Director w.e.f 21st July, 2010.

Shri S.K.Gogia, RBI Nominee director, ceased to be the Director w.e.f 29th July 2010.

सुश्री कमला राजन को 30.07.2010 से भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री. अलेन सी. ए. पिरेरा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दिनांक 30 सितंबर, 2010 को सेवानिवृत्त हुए.

श्री. ए. एस. भट्टाचार्य को दिनांक 01.10.2010 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री. टी. परमेश्वर राव दिनांक 12.11.2010 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

श्री. चितरंजन पटवारी दिनांक 22.01.2011 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

श्री. आनंद कमलनयन पंडित तथा डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल दिनांक 01.02.2011 से अन्य शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनःनिर्वाचित हुए.

निदेशक मंडल तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री. अलेन सी. ए. पिरेरा तथा अन्य निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता है.

12. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और 'महाबैंक परिवार' के सभी बैंक कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

पुणे
अप्रैल 30, 2011

(अनूप शंकर भट्टाचार्य)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Mrs. Kamala Rajan was appointed as RBI nominee director from 30th July, 2010.

Shri Allen C.A. Pereira, CMD, demitted office on 30th September 2010 on reaching superannuation.

Shri A.S. Bhattacharya was appointed as Chairman and Managing Director w.e.f 1st October, 2010.

Shri. T.Parameswara Rao, ceased to be the Director w.e.f 12th November 2010.

Shri Chittaranjan Patwari ceased to be the Director w.e.f. 22nd January 2011.

Shri Anand K Pandit and Dr. Dinesh Shatilal Patel, were re-elected as directors representing Share holders w.e.f 1st February, 2011

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the former Chairman & Managing Director, Shri Allen C.A. Pereira and other outgoing Directors.

12. ACKNOWLEDGMENTS

The Board of Directors wishes to express sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Pune
April 30, 2011

(Anup S. Bhattacharya)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2010-11 लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शनः

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्पोरेट गवर्नेन्स की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है. शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता द्वारा गुणवत्ता को अधिकतम बनाना सुनिश्चित करना. उक्त कार्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं.

बैंक एक सूचीबद्द निकाय है जो एक कंपनी नहीं अपितु बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन निगमित निकाय है तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशासित होता है. अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए सूचीबद्ध करार के संशोधित खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करेगा जहां तक वे बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं.

2. निदेशक मंडलः

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है.

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व सांविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना.

31 मार्च 2011 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थीः

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2010-11

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including shareholders, customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. Board of Directors:

2.1 The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.2 In terms of section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2011 is as under:

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2011 को धारित बैंक के ईक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक से अतिरिक्त अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या No. of Director-ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री. ए.एस. भट्टाचार्य Shri A. S. Bhattacharya	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /80 की धारा 9(3) (ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 01.10.2010 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. अधिवर्षिता अर्थात 31.01.2012 तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 01.10.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 31.01.2012 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2011 को धारित बैंक के ईक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक से अतिरिक्त अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या No. of Director-ship held in other Compa-nies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
2	श्री. एम.जी.संघवी Shri M. G. Sanghvi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	1100	8	1	**शून्य** NIL	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /80 की धारा 9(3) (ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 15.10.2008 से बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) नियुक्त. अधिवर्षिता अर्थात 30.06.2013 तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as a whole time director (designated as Executive Director) w.e.f. 15.10.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, to hold the post up to 30.06.2013 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also a Chairman of the Board of The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3	श्री. वी.पी भारद्वाज Shri V. P. Bhardwaj	गैर- कार्यपालक निदेशक भारत सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government	शून्य Nil	4	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9(3) (बी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2008 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post until further orders.
4	सुश्री कमला राजन Ms. Kamala Rajan	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive) Recommended by RBI	शून्य Nil	4	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9(3) (सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post until further orders.
5	श्री. आनन्द कमलनयन पंडित Shri Anand K. Pandit	केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	1400	5	9	शून्य Nil	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के अधीन केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के अन्य शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित (निर्विरोध, क्योंकि दो पदों के लिए दो वैध नामांकनों में से एक उनका था). Re-elected (unopposed, since his nomination was one of the two valid nominations against two posts) as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
6	डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल Dr. Dinesh S. Patel	केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	100	3	6	शून्य NIL	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के अन्य शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में दूसरी बार पुनः निर्वाचित (निर्विरोध, क्योंकि दो पदों के लिए दो वैध नामांकनों में से एक उनका था). Re-elected (unopposed, since his nomination was one of the two valid nominations against two posts) as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2011 को धारित बैंक के ईक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक से अतिरिक्त अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या No. of Director-ship held in other Compa-nies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
7	डॉ. सुनिल यू. देशपांडे Dr. Sunil U. Deshpande	निदेशक (गैर कार्यपालक) अधिकारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Officers	200	3	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9(3) (एफ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 17.03.2008 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित तथा वे 3 वर्ष तक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी न रहने पर या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. निदेशक के रूप में इनका कार्यकाल 16 मार्च 2011 को समाप्त होना था. लेकिन माननीय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 9 मार्च 2011 की अधिसूचना द्वारा धारा 9 के खंड (2) को हटाने पर स्थगन जारी किया है जबतक कि धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एफ) के अधीन निदेशक का उत्तराधिकारी नामित या पुनःनामित नहीं किया जाता या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो. Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 17.03.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or till he ceases to be officer of the Bank of Maharashtra or until further orders, whichever is earlier. His tenure as director was to end on 16th March 2011. However, Hon. Mumbai High Court-Nagpur Bench, has, on 9th March 2011, stayed deletion of clause (2) of Section 9 vide notification dated September 15, 2009 till such time the successor of director under clause (f) of sub-section (3) of Section 9 is nominated or re-nominated or until further order, whichever is earlier.
8	श्री. सुनिल. एच. कोचेटा Shri Sunil. H. Kocheta	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9(3) (जी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 10.07.2008 से तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 10.07.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
9	श्री. शिरिष डी. धनक Shri Shirish D. Dhanak	निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मकार प्रतिनिधि Director (Non Executive (Representing Workmen	200	2	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9(3) (ई) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 21.07.2010 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित तथा वे 3 वर्ष तक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्मकार कर्मचारी न रहने पर या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or till he ceases to be a workmen employee of the Bank of Maharashtra or until further orders, whichever is the earliest.

2.3 **वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान**

श्री. शिरीष डी. धनक को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 9 (3) (ई) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 21.07.2010 से बैंक के निदेशक के रूप में कर्मकार कर्मचारी निदेशक नियुक्त किया गया तथा वे नामांकन से 3 वर्ष की अवधि या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्मकार कर्मचारी न रहने पर या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे.

सुश्री कमला राजन को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में श्री. एस. के. गोगिया के स्थान पर, जो सुश्री कमला राजन के नामांकन के उपरांत निदेशक नहीं रहे, नामित किया गया है. वे केन्द्र सरकार से अगले आदेशों तक पद पर बनी रहेंगी.

श्री. ए. एस. भट्टाचार्य को श्री. एलेन सी. ए. पिरेरा, जो 30.09.2010 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /80 की धारा 9 (3) (ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 01.10.2010 से 31.01.2012 तक की अवधि अर्थात माह के अंतिम दिन तक जब वे अधिवर्षिता आयु तक पहुंचेंगे या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री. टी. परमेश्वर राव को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(एच) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 13.09.2007 से तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया तथा वे 12.09.2010 को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर निदेशक नहीं रहे.

श्री. चितरंजन पटवारी को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(एच) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 23.01.2008 से तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया तथा वे 22.01.2011 को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर निदेशक नहीं रहे.

श्री. आनंद कमलनयन पंडित तथा डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3) (आई) तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम 2004 के अधीन केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के अन्य शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में दूसरी बार पुनःनिर्वाचित हुए.

2.4 **निदेशक मंडल की बैठकें**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 14 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें अनुबद्ध हैं.

30.04.10	31.05.10	09.07.10	29.07.10	07.08.10	08.09.10	30.09.10
22.10.10	12.11.10	14.12.10	21.01.11	21.02.11	12.03.11	26.03.11

बोर्ड समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री.अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	7	7
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	7	7
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	14	14
श्री. वी.पी. भारद्वाज	01.04.2010 से 31.03.2011	14	12
श्री. एस.के. गोगिया	01.04.2010 से 29.07.2010	4	0
सुश्री कमला राजन	30.07.2010 से 31.03.2011	10	8
श्री. टी. परमेश्वर राव	01.04.2010 से 12.11.2010	9	9
श्री. चित्तरंजन पटवारी	01.04.2010 से 22.01.2010	11	9
श्री. ए.के. पंडित	01.04.2010 से 31.03.2011	14	13
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2010 से 31.03.2011	14	13
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2010 से 31.03.2011	14	14
श्री. एस.एच. कोचेटा	01.04.2010 से 31.03.2011	14	14
श्री. एस.डी. धनक	21.07.2010 से 31.03.2011	11	6

2.3 **Appointment / Cessation of Directors during the year:**

Shri Shirish D. Dhanak was appointed by the Central Government as Workmen Employee Director on 21st July 2010 under section 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of nomination or till he ceases to be a workmen employee of the Bank of Maharashtra or until further orders, whichever is the earliest.

Ms. Kamala Rajan was nominated by the Central Government as a Director on 30th July 2010 under section 9(3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing the Reserve Bank of India vice Shri S. K. Gogia, who ceased to be a Director upon nomination of Ms. Kamala Rajan. She shall hold office until further orders from the Central Government.

Shri. A. S. Bhattacharya was appointed by the Central Government as Chairman and Managing Director with effect from 01.10.2010, under sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 31.01.2012 i.e. the last day of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier, in place of Shri Allen C.A. Pereira, who superannuated on 30th Sept 2010.

Shri. T. Parameswara Rao, nominated as Director for a period of three years on 13th November 2007, by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 12th November 2010, on the expiry of his term of appointment.

Shri. Chittaranjan Patwari, nominated as Director for a period of three years on 23rd January 2008, by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 22nd January 2011, on the expiry of his term of appointment.

Shri Anand Kamalanayan Pandit and Dr. Dinesh Shantilal Patel were re-elected w.e.f. 01.02.2011 as Directors from and amongst the shareholders other than the Central Government in pursuance of section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

2.4 **Board Meetings:**

During the Financial Year 2010-11, total 14 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

30.04.10	31.05.10	09.07.10	29.07.10	07.08.10	08.09.10	30.09.10
22.10.10	12.11.10	14.12.10	21.01.11	21.02.11	12.03.11	26.03.11

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Allen C.A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	7	7
Shri A.S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	7	7
Shri M.G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	14	14
Shri V.P. Bhardwaj	01.04.2010 to 31.03.2011	14	12
Shri S.K. Gogia	01.04.2010 to 29.07.2010	4	0
Ms. Kamala Rajan	30.07.2010 to 31.03.2011	10	8
Shri T.Parameswara Rao	01.04.2010 to 12.11.2010	9	9
Shri Chittaranjan Patwari	01.04.2010 to 22.01.2011	11	9
Shri A.K. Pandit	01.04.2010 to 31.03.2011	14	13
Dr. D.S. Patel	01.04.2010 to 31.03.2011	14	13
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2010 to 31.03.2011	14	14
Shri S.H. Kocheta	01.04.2010 to 31.03.2011	14	14
Shri S.D. Dhanak	21.07.2010 to 31.03.2011	11	6

2.5 **आचार संहिता**

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात मुख्य महाप्रबंधक तथा सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है. उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर रखी गई है. बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

3. वार्षिक साधारण सभा :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 09 जुलाई, 2010 को अप्पासाहेब जोग सभागृह, केन्द्रीय कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

01	श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री. एम.जी. संघवी	कार्यपालक निदेशक
03	श्री. वी.पी. भारद्वाज	भारत सरकार के नामित निदेशक
04	श्री. टी. परमेश्वर राव	निदेशक
05	श्री. ए.के. पंडित	शेयरधारक निदेशक
06	डॉ. एस.यू. देशपांडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
07	श्री. एस.एच. कोचेटा	निदेशक एवं निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यमूलक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्योजन किया है.

4.1 **प्रबंधन समिति**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की सात सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी

ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/क्वार्टर्स अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना, तथा

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित अन्य विषय.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i.	श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	अध्यक्ष
ii.	श्री. एम.जी. संघवी	सदस्य
iii.	सुश्री कमला राजन	सदस्य
iv.	श्री. ए.के. पंडित	सदस्य
v.	डॉ. डी.एस. पटेल	सदस्य
vi.	श्री. एस.एच. कोचेटा	सदस्य
vii.	श्री. एस.डी. धनक	सदस्य

आलोच्य अवधि के दौरान समिति की 27 बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर हुईं:

17.04.10	24.04.10	11.05.10	29.05.10	23.06.10	29.06.10	16.07.10	29.07.10	03.08.10
25.08.10	16.09.10	24.09.10	30.09.10	21.10.10	12.11.10	29.11.10	14.12.10	08.01.11
20.01.11	28.01.11	07.02.11	25.02.11	12.03.11	18.03.11	23.03.11	26.03.11	31.03.11

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	13	11
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	14	14
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	27	27
श्री. एस.के. गोगिया	01.04.2010 से 29.07.2010	08	00
सुश्री कमला राजन	30.07.2010 से 31.03.2011	19	16
श्री. टी. परमेश्वर राव	01.04.2010 से 18.06.2010 22.09.2010 से 12.11.2010	04 04	04 04

2.5 **Code of Conduct**

The Code of Conduct for Board of Directos and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising Chief General Manager and all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

3 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Friday, the 9th July 2010 at Appasaheb Joag Auditorium', Central Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 where following Directors were present.

01	Shri Allen C.A.Pereira	Chairman & Managing Director
02	Shri M. G. Sanghvi	Executive Director
03	Shri V.P. Bhardwaj	Nominee Director of Government of India
04	Shri T. Parameswara Rao	Director
05	Shri A. K. Pandit	Shareholder Director
06	Dr. S. U. Deshpande	Officer Employee Director
07	Shri S. H. Kocheta	Director & Chairman of Audit Committee of the Board

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 **Management Committee:**

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with seven members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Sanction of loan compromise / write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and

d) Any other matter referred by the Board.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

i	Shri A. S. Bhattacharya	Chairman
ii	Shri M. G. Sanghvi	Member
iii	Ms. Kamala Rajan	Member
iv	Shri A. K. Pandit	Member
v	Dr. D. S. Patel	Member
vi	Shri S. H. Kocheta	Member
vii	Shri S. D. Dhanak	Member

The Committee met 27 times during the period under review on the following dates:

17.04.10	24.04.10	11.05.10	29.05.10	23.06.10	29.06.10	16.07.10	29.07.10	03.08.10
25.08.10	16.09.10	24.09.10	30.09.10	21.10.10	12.11.10	29.11.10	14.12.10	08.01.11
20.01.11	28.01.11	07.02.11	25.02.11	12.03.11	18.03.11	23.03.11	26.03.11	31.03.11

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Allen C. A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	13	11
Shri. A. S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	14	14
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	27	27
Shri. S. K. Gogia	01.04.2010 to 29.07.2010	08	00
Ms. Kamala Rajan	30.07.2010 to 31.03.2011	19	16
Shri. T. Parameswara Rao	01.04.2010 to 18.06.2010 22.09.2010 to 12.11.2010	04 04	04 04

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री. चित्तरंजन पटवारी	01.04.2010 से 21.09.2010 13.11.2010 से 22.01.2011	11 04	10 04
श्री. ए.के. पंडित	01.04.2010 से 21.09.2010 19.12.2010 से 31.03.2011	11 10	09 10
डॉ. डी.एस. पटेल	19.06.2010 से 18.12.2010 22.03.2011 से 31.03.2011	13 03	08 01
डॉ. एस.यू. देशपांडे	22.09.2010 से 21.03.2011	13	13
श्री. एस.एच. कोचेटा	01.04.2010 से 31.03.2011	27	24
श्री. एस.डी. धनक	23.01.2010 से 31.03.2011	08	08

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है.

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है. लेखा परीक्षा समिति सभी अतिविस्तृत शाखाओं और विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है.

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई काफी समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है.

घ) लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है.

ड) तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक लेखों और रिपोर्टों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने से पूर्व समिति बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है. यह लॉंग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का अनुवर्तन करती है.

च) लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों/चिंताओं का अनुवर्तन करती है.

छ) समिति सभी अपवाद स्वरूप विस्तृत शाखाओं/अति विस्तृत शाखाओं की संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करती है.

ज) लेखा परीक्षा समिति चुनिंदा क्षेत्रों में बैंक के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण भी करती है.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i. श्री. एस.एच. कोचेटा — अध्यक्ष
ii. श्री. एम.जी. संघवी — सदस्य
iii. श्री. वी.पी. भारद्वाज — सदस्य
iv. सुश्री कमला राजन — सदस्य
v. श्री. ए.के. पंडित — सदस्य

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 10 बार बैठकें हुई. बैठकों के दिनांक निम्न प्रकार हैं:

24.04.10	30.04.10	24.07.10	29.07.10	01.10.10
22.10.10	29.11.10	14.12.10	21.01.11	25.02.11

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Chittaranjan Patwari	01.04.2010 to 21.09.2010 13.11.2010 to 22.01.2011	11 04	10 04
Shri. A. K. Pandit	01.04.2010 to 21.09.2010 19.12.2010 to 31.03.2011	11 10	09 10
Dr. D. S. Patel	19.06.2010 to 18.12.2010 22.03.2011 to 31.03.2011	13 03	08 01
Dr. S. U. Deshpande	22.09.2010 to 21.03.2011	13	13
Shri. S. H. Kocheta	01.04.2010 to 31.03.2011	27	24
Shri. S. D. Dhanak	23.01.2011 to 31.03.2011	08	08

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of – Inter Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of house keeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

e) ACB interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly /quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

f) ACB makes follow up of all the issues / concerns that are raised in the inspection report of RBI.

g) ACB reviews the concurrent audit reports of ELBs/ VLBs and Specialized branches

h) ACB also reviews performance of the Bank periodically under select areas.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

i. Shri S. H. Kocheta — Chairman
ii. Shri M. G. Sanghvi — Member
iii. Shri V. P. Bhardwaj — Member
iv. Ms. Kamala Rajan — Member
v. Shri A. K. Pandit — Member

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

24.04.10	30.04.10	24.07.10	29.07.10	01.10.10
22.10.10	29.11.10	14.12.10	21.01.11	25.02.11

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री. एस.एच. कोचेटा	01.04.2010 से 31.03.2011	10	10
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	10	10
श्री. वी.पी. भारद्वाज	01.04.2010 से 31.03.2011	10	08
श्री. एस.के. गोगिया	01.04.2010 से 29.07.2010	04	01
सुश्री कमला राजन	30.07.2010 से 31.03.2011	06	06
श्री. टी. परमेश्वर राव	01.04.2010 से 12.11.2010	06	06
श्री. ए.के. पंडित	13.11.2010 से 31.03.2011	04	04

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं. समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए, नीति और रणनीति तैयार करती है.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i. श्री. ए.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष
ii. श्री. एम.जी. संघवी सदस्य
iii. श्री. एस.एच. कोचेटा सदस्य
iv. श्री. एस.डी. धनक सदस्य

12.11.2010 को जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया. वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 5 बैठकें हुई.

29.05.10	24.07.10	08.09.10	12.11.10	25.02.11

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	03	02
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	02	02
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	05	05
श्री. एस.के. गोगिया	01.04.2010 से 29.07.2010	02	01
सुश्री कमला राजन	07.08.2010 से 29.10.2010	01	01
श्री. एस.एच. कोचेटा	01.04.2010 से 31.03.2011	05	05
श्री. एस.डी. धनक	12.11.2010 से 31.03.2011	01	01

4.4 निवेशकों और शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर सेबी के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु समिति का गठन किया गया है. गैर-कार्यपालक निदेशक डॉ. डी. एस. पटेल इस समिति के अध्यक्ष हैं जैसा उक्त धारा में अपेक्षित है.

समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया. वर्ष के दौरान समिति ने शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रान्समिशन और डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन माह में तीन बार परिचालन के द्वारा संकल्प अपनाते हुए किया.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 4 बैठकें हुई.

31.05.10	07.08.10	12.11.10	26.02.11

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2010 से 31.03.2011	04	03
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. S. H. Kocheta	01.04.2010 to 31.03.2011	10	10
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	10	10
Shri. V. P. Bhardwaj	01.04.2010 to 31.03.2011	10	08
Shri. S. K. Gogia	01.04.2010 to 29.07.2010	04	01
Ms. Kamala Rajan	30.07.2010 to 31.03.2011	06	06
Shri. T. Parameswara Rao	01.04.2010 to 12.11.2010	06	06
Shri. A. K. Pandit	13.11.2010 to 31.03.2011	04	04

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise a policy and strategy for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

i. Shri A. S. Bhattacharya Chairman
ii. Shri M. G. Sanghvi Member
iii. Shri S. H. Kocheta Member
iv. Shri S. D. Dhanak Member

The Risk Management Committee was reconstituted on 12.11.2010. The Committee met 5 times during the year as under.

29.05.10	24.07.10	08.09.10	12.11.10	25.02.11

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Allen C. A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	03	02
Shri. A. S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	02	02
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	05	05
Shri. S. K. Gogia	01.04.2010 to 29.07.2010	02	01
Ms. Kamala Rajan	07.08.2010 to 29.10.2010	01	01
Shri. S. H. Kocheta	01.04.2010 to 31.03.2011	05	05
Shri. S. D. Dhanak	12.11.2010 to 31.03.2011	01	01

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. Dr. D. S. Patel, Non Executive Director is the Chairman of the Committee as required in the said clause.

The Committee also considered various matters pertaining to share transfers. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate share certificates by adopting resolutions by circulation thrice in a month.

The Committee met 4 times during the year as under:

31.05.10	07.08.10	12.11.10	26.02.11

The details of attendance of the directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Dr. D. S. Patel	01.04.2010 to 31.03.2011	04	03
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2010 को लंबित शिकायतों की संख्या	1
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	411
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	412
31.03.2011 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डिमैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

बैंक की निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्रीमती एम. पी. देवधर, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है.

4.5 उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार उच्च मूल्य की जालसाजियों की निगरानी के लिए यह समिति गठित की गई है. समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं. समिति के प्रमुख कार्यों में ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना शामिल है. वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

23.06.10	16.09.10	12.11.10	08.01.11	12.03.11

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i. श्री. ए.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष
ii. श्री. एम.जी. संघवी सदस्य
iii. श्री. वी. पी. भारद्वाज सदस्य
iv. डॉ. डी.एस. पटेल सदस्य
v. श्री. एस.एच. कोचेटा सदस्य

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	02	02
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	03	03
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	05	05
श्री. वी. पी. भारद्वाज	13.11.2010 से 31.03.2011	02	02
श्री. टी. परमेश्वर राव	01.04.2010 से 12.11.2010	03	03
श्री. चित्तरंजन पटवारी	01.04.2010 से 22.01.2011	04	04
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2010 से 31.03.2011	05	03

4.6 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i. श्री. ए.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष
ii. श्री. एम.जी. संघवी सदस्य
iii. श्री. वी. पी. भारद्वाज सदस्य
iv. सुश्री कमला राजन सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई.

09.07.10	16.09.10	14.12.10	12.03.11

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	02	02
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	02	02
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री. वी. पी. भारद्वाज	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री. एस.के. गोगिया	01.04.2010 से 29.07.2010	01	00
सुश्री कमला राजन	30.07.2010 से 31.03.2011	03	03

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2010	1
Number of complaints received during the year	411
Number of complaints resolved during the year	412
Number of complaints pending as on 31.03.2011	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to demat form.

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to stock exchange and investor grievances of the Bank.

4.5 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above. The Committee met 5 times during the year as under:

23.06.10	16.09.10	12.11.10	08.01.11	12.03.11

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

i. Shri A. S. Bhattacharya Chairman
ii. Shri M. G. Sanghvi Member
iii. Shri V. P. Bhardwaj Member
iv. Dr. D. S. Patel Member
v. Shri. S. H. Kocheta Member

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Allen C. A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	02	02
Shri. A. S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	03	03
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	05	05
Shri. V. P. Bhardwaj	13.11.2010 to 31.03.2011	02	02
Shri. T. Parameswara Rao	01.04.2010 to 12.11.2010	03	03
Shri. Chittaranjan Patwari	01.04.2010 to 22.01.2011	04	04
Dr. D. S. Patel	01.04.2010 to 31.03.2011	05	03

4.6 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

i. Shri A. S. Bhattacharya Chairman
ii. Shri M. G. Sanghvi Member
iii. Shri V.P. Bhardwaj Member
iv. Ms. Kamala Rajan Member

The Committee met 4 times as under:

09.07.10	16.09.10	14.12.10	12.03.11

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Allen C. A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	02	02
Shri. A. S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	02	02
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Shri. V. P. Bhardwaj	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Shri. S. K. Gogia	01.04.2010 to 29.07.2010	01	00
Ms. Kamala Rajan	30.07.2010 to 31.03.2011	03	03

4.7 **ग्राहक सेवा समिति**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं.

26.06.10	16.09.10	14.12.10	25.02.11

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थीः

i. श्री. ए.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष
ii. श्री. एम.जी. संघवी सदस्य
iii. श्री. ए.के. पंडित सदस्य
iv. डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	01.04.2010 से 30.09.2010	02	02
श्री. ए.एस. भट्टाचार्य	01.10.2010 से 31.03.2011	02	02
श्री. एम.जी. संघवी	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री. ए.के. पंडित	01.04.2010 से 31.03.2011	04	02
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04

4.8 **पारिश्रमिक समिति**

पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रेरणा राशि पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री. वी. पी. भारद्वाज, सुश्री कमला राजन, श्री. ए.के. पंडित तथा श्री. एस.एच. कोटेचा. समिति की बैठक दिनांक 30.09.2010 को हुई तथा पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रेरणा राशि का अनुमोदन किया गया.

अ. क्र.	निदेशक का नाम	पद	वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु कार्य निष्पादन से संबंधित प्रेरणा राशि
01	श्री. अलेन सी.ए. पिरेरा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	₹ 6,00,000.00
02	श्री. एम.जी. संघवी	कार्यपालक निदेशक	₹ 4,00,000.00

4.9 **नामांकन समिति**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में 4 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं. समिति की बैठक 07.09.2010 को संपन्न हुई. समिति ने दोनों निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं को नोट किया और दोनों को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान किया.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थीः

i. श्री. एस.एच. कोटेचा

वर्ष के दौरान निम्नांकित निदेशक उनके नाम के सामने दिखाए गए दिनांक से समिति के सदस्य नहीं रहेः

i. सुश्री कमला राजन 29.10.2010
ii. श्री. टी. परमेश्वर राव 12.11.2010
iii. श्री. चित्तरंजन पटवारी 22.01.2011

4.10 **प्रौद्योगिकी समिति**

निदेशक मंडल की दिनांक 12.11.2010 को हुई बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस, जिसमें सही सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तथा सभी रणनीतिक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है, के सभी पहलुओं हेतु बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार थीः

i. श्री. एम.जी. संघवी अध्यक्ष
ii. श्री. ए.के. पंडित सदस्य
iii. डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

4.7 **Customer Service Committee:**

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee met 4 times as under:

26.06.10	16.09.10	14.12.10	25.02.11

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

i. Shri A. S. Bhattacharya Chairman
ii. Shri M. G. Sanghvi Member
iii. Shri A. K. Pandit Member
iv. Dr. S. U. Deshpande Member

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri. Allen C. A. Pereira	01.04.2010 to 30.09.2010	02	02
Shri. A. S. Bhattacharya	01.10.2010 to 31.03.2011	02	02
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Shri. A. K. Pandit	01.04.2010 to 31.03.2011	04	02
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04

4.8 **Remuneration Committee:**

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for approving the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members viz. Shri V.P. Bhardwaj, Ms. Kamala Rajan, Shri A.K. Pandit and Shri S.H. Kocheta. The Committee met on 30.09.2010 and approved the performance linked incentive payable to the whole time Directors as under:

Sr. No.	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the FY 2009-10 (₹)
01	Shri. Allen C. A. Pereira	Chairman and Managing Director	₹ 6,00,000.00
02	Shri. M. G. Sanghvi	Executive Director	₹ 4,00,000.00

4.9 **Nomination Committee:**

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and to accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee comprised of four non executive directors and met on 07.09.10 and noted the declarations filed by both the elected directors and accorded fit and proper status to both of them.

The composition of Nomination Committee as on March 31, 2011 is as under:

i. Shri. S. H. Kocheta,

During the year, following Directors ceased to be members of the Committee on the dates shown against their names.

i. Ms. Kamala Rajan 29.10.2010
ii. Shri. T. Parameswara Rao 12.11.2010
iii. Shri. Chittaranjan Patwari 22.01.2011

4.10 **Technology Committee**

As per approval accorded by the Board at its meeting held on 12.11.2010, the Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The composition of the Committee as on March 31, 2011 is as under:

i. Shri. M. G. Sanghvi, Chairman
ii. Shri. A. K. Pandit, Member
iii. Dr. S. U. Deshpande, Member

निदेशक मंडल की इच्छा थी कि प्रो. एच कृष्णामूर्ति, मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूरु को समिति का सदस्य बनाया जाए. तथापि, श्री. मूर्ति की सहमति आना बाकी है.

अपने गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान क्रमशः 14.12.2010 तथा 02.02.2011 को समिति की 2 बैठकें हुई हैं और उपरोक्त तीनों सदस्य इन दोनों बैठकों में उपस्थित रहे हैं.

4.11 **अन्य समितियां**

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति, परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति तथा उच्च प्रबंधन समिति इत्यादि हैं.

17.09.2009 से 16.09.2010 तक प्लेटिनम जुबली वर्ष के आयोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, निदेशक श्री. ए. के. पंडित, निदेशक डॉ. एस. यू. देशपांडे तथा महाप्रबंधकों की सदस्यता वाली समिति की वर्ष के दौरान 03.06.2010 तथा 16.07.2010 को बैठकें हुई तथा समारोहों हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अधीन होता है. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार निर्धारित करती है. बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च के अलावा किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है. निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए सिटिंग फीस के रूप में ₹ 5000/- तथा उप-समिति के लिए ₹ 2500/- अदा किये गए.

वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार हैः (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है. शेयरधारक निदेशक श्री. ए.के.पंडित को उनके निदेशानुसार बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई सिटिंग फीस अदा नहीं की गई.

अ. क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत राशि (₹)
1	श्री. एस.के. गोगिया	5000
2	श्री. टी. परमेश्वर राव	90000
3	श्री. चित्तरंजन पटवारी	92500
4	डॉ. डी.एस. पटेल	102500
5	डॉ. एस.यू. देशपांडे	127500
6	श्री. एस.एच. कोचेटा	172500
7	श्री. एस.डी. धनक	52500

6. आम सभाएं

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार Nature	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose
पांचवीं वार्षिक साधारण आम सभा Fifth Annual General Meeting	9 जून, 2008 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 9th June 2008	अप्पा साहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वर्ष 2007-2008 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2007-08
छठवीं वार्षिक साधारण आम सभा Sixth Annual General Meeting	15 जुलाई, 2009 को सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 15th July 2009	अप्पा साहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल,1501 शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वर्ष 2008-2009 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2008-09
सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा Seventh Annual General Meeting	9 जुलाई, 2010 को सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 9th July 2010	अप्पा साहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वर्ष 2009-2010 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2009-10.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	23 मार्च, 2011 को सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 23rd March 2011	अप्पा साहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को ₹ 352.00 करोड़ के ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को अनुमोदन Approval of preferential allotment of equity shares up to ₹ 352.00 crore to Government of India by special resolution

It was intended by the Board to co-opt Prof. H. Krishnamurthy, Principal Research Scientist, Indian Institute of Science, Bangaluru, as a member of the committee. However his consent is awaited.

The Committee met 2 times since its formation in the FY 2010-11 on December 14, 2010 and February 02, 2011 and both the meetings were attended by the above said three members.

4.11 **Other Committees:**

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions.

A special Committee was constituted for overseeing the celebrations of the Platinum Jubilee Year from 17th September 2009 to 16th September 2010. The Committee comprising of the Chairman and Managing Director, Executive Director, Directors Shri. A.K.Pandit, Dr. S.U.Deshpande along with the General Managers met on 03.06.2010 and 16.07.2010 during the year and gave the necessary guidance for the celebrations.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The remuneration of the Chairman and Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis. Such sitting fee paid for each of the meeting of the Board of Directors is ₹ 5000/- and for sub-committees Rs 2500/-

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2010-11 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Official Director representing Reserve Bank of India). Shri A. K. Pandit, Shareholder Director was not paid sitting fees for the Board / Committee meetings as per his instructions.

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Shri S. K. Gogia	5000
02	Shri T. Parameswara Rao	90000
03	Shri Chittaranjan Patwari	92500
04	Dr. D. S. Patel	102500
05	Dr. S. U. Deshpande	127500
06	Shri S. H. Kocheta	172500
07	Shri S. D. Dhanak	52500

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below: :

6.2 साधारण आम सभा की किसी भी बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नही हुआ.

6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी साधारण आम सभाओं तथा असाधारण आम सभाओं में उपस्थित रहा.

7. अभिगोपन

7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ हो.

7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/ डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/ सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13 तथा 16 दिसंबर 2010 के परि/सीएफडी/ डीआईएल/10/2010 द्वारा संशोधित तथा लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में उपलब्ध सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जहां तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें, जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है.

7.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कानून, दिशानिर्देश और निर्देश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

7.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भी निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है.

7.5 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध किया जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी	
जून 2010	पुढारी	बिजनेस स्टैन्डर्ड	31.7.10/30.7.10
सितंबर 2010	सकाळ	बिजनेस लाईन	23.10.10/24.10.10
दिसंबर 2010	लोकसत्ता	बिजनेस स्टैन्डर्ड	22.01.11/22.01.11
मार्च 2011	पुढारी	इंडियन एक्सप्रेस	01.05.11/ 01.05.11

9. शेयरधारकों का ब्यौराः

9.1 **स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरेः**

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर 12.04.2004 से सूचीबद्ध किये गये हैं. स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं -

बीएसई	532525
एनएसई	महाबैंक - ईक्यू

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

6.2 No special resolution was passed in any of the Annual General Meetings.

6.3 An authorized representative nominated by Ministry of Finance, Government of India, attended all the Annual and Extraordinary General Meetings.

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the revised Clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide its circulars SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006 and Cir/CFD/DIL/10/2010 dated 16th December 2010, to the extent they do not violate the status under which the bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.

7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters. No penalties were imposed nor strictures were passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market.

7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

7.5 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the daily		Date of publication
	Marathi	English	
June 2010	Pudhari	Business Standard	31.07.10 / 30.07.10
September 2010	Sakal	Business Line	23.10.10 / 24.10.10
December 2010	Loksatta	Business Standard	22.01.11 / 22.01.11
March 2011	Pudhari	Indian Express	01.05.11 / 01.05.11

9. Shareholder Information:

9.1 **Details of listing of shares on Stock Exchanges:**

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

BSE	532525
NSE	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2010-11 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 **आठवीं वार्षिक साधारण आम सभा के विवरणः**

लेखों व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	30 अप्रैल,2011
आठवीं वार्षिक साधारण आम सभा का स्थान, दिनांक और समय	सोमवार दिनांक 27 जून 2011 को सुबह 11.30 बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अप्पासाहेब जोग सभागृह, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	2 जून,2011
बहियों के बंद होने का दिनांक	18 जून 2011 से 27 जून 2011 तक (दोनों दिन शामिल)
लाभांश भुगतान का दिनांक	26 जुलाई 2011

9.3 **वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)**

को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2011	14 अगस्त 2011 से पूर्व
30 सितंबर, 2011	14 नवंबर 2011 से पूर्व
31 दिसंबर, 2011	14 फरवरी 2012 से पूर्व
31 मार्च, 2012	लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम - अप्रैल/मई 2012

9.4 **शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता**

मेसर्स एमसीएस लि., मुंबई, रजिस्ट्रार एवं ट्रान्स्फर एजेंट (RTA) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं. शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड, (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22, भूतल, काशिराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी डिमेलो रोड़ (घडीयाल गोदी), मस्जिद (पू) मुंबई - 400009. टेलीफोन 022-2372 6253-56 फेक्स 022-2372-6252 ई-मेलः mcspanvel@yahoo.co.in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्सः (020) 2553 3246 ईमेलः investor_services@mahabank.co.in

9.5 **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)**

इसीएस लाभांश/ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनोखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केंद्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है.

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, कोलकाता, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपुर, सोलापुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विजेग.

उपर्युक्त किसी भी केंद्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है. यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट के पास भेजें और यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) को भेजा जाए. इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है.

9.6 **अदत्त लाभांश**

वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 ,2005-06 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करने वाले शेयरधारक लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं.

9.2 **Particulars of the Eighth Annual General Meeting:**

Board Meeting for onsidering Accounts and Dividend	30th April 2011
Date, Time and Venue of Eighth AGM.	At 11.30 a.m. on Monday, the 27th June 2011 at Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.
Posting of Annual Report	2nd June 2011
Dates of Book Closure	18th June 2011 to 27th June 2011 (both days inclusive)
Date of payment of dividend	26th July 2011

9.3 **Financial Calendar (Tentative):**

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2011	Before 14th August 2011
30th September 2011	Before 14th November 2011
31st December 2011	Before 14th February 2012
31st March 2012	Audited Annual Results before April / May 2012

9.4 **Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:**

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai – 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax:(022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.co.in	Bank of Maharashtra, Investor services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020)2551 1360 Fax (020)2553 3246 e-mail: investor_services@maha-bank.co.in

9.5 **Electronic Clearing Services (ECS):**

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following forty three centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jamnagar, Jammu, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthpuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vaizag,.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrars & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective Depository Participants (DPs) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

9.6 **Unpaid Dividends:**

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 & 2009-10 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

9.7 **शेयरों का डीमटेरिअलाईजेशन**

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है. बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं. बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है. वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दी गई है.

31.3.2011 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :

संवर्ग	शेयरधारकों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में*	52,777	28.26	5,83,58,913	12.11
डीमैट में				
क. एनएसडीएल	98,620	52.82	8,16,05,452	16.94
ख. सीडीएसएल**	35,333	18.92	34,17,48,188	70.95
कुल	1,86,730	100.00	48,17,12,553	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 5,11,92,553 शेयरों सहित)

(**भारत सरकार द्वारा धारित 33,05,20,000 शेयरों सहित)

9.8 **बैंक के शेयरों का बाजार मूल्य डाटा/बाजार मूल्य निष्पादन**

(बाजार भाव डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह Month	बीएसई BSE			एनएसई NSE			सेंसेक्स SENSEX	
	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low
अप्रैल April, 10	58.20	49.40	38,92,646	57.95	49.00	85,18,254	18,048	17,277
मई May	58.50	51.80	34,93,550	58.35	52.00	83,41,513	17,537	15,960
जून June	64.30	56.35	1,32,46,614	64.40	56.25	271,17,192	17,920	16,318
जुलाई July	66.45	57.10	52,34,042	66.40	57.00	140,89,864	18,238	17,396
अगस्त August	74.50	63.85	62,11,716	74.40	63.55	148,42,261	18,475	17,820
सितंबर September	77.00	67.30	43,25,434	74.25	58.00	137,59,345	20,268	18,027
अक्तूबर October	84.95	70.45	92,40,097	85.00	70.00	238,60,061	20,855	19,769
नवंबर November	81.90	63.55	36,97,722	81.75	63.50	99,93,845	21,109	18,955
दिसंबर December	75.25	59.60	28,53,601	75.20	59.70	72,34,543	20,552	19,075
जनवरी January,11	69.00	56.65	14,30,288	69.90	49.50	38,23,633	20,665	18,038
फरवरी February	63.85	51.60	20,87,309	66.00	51.50	56,86,962	18,691	17,296
मार्च March	61.65	53.45	33,39,183	65.00	53.30	77,81,463	19,575	17,792

9.9 **प्रति शेयर डाटा**

विवरण	31.3.2010	31.3.2011
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	10.21	6.96
लाभांश (%)	20	*20
बही मूल्य (₹)	49.11	59.40
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	19.59	29.16
* शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन		

9.10 **वितरण अनुसूची**

31.03.2011 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार हैः

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	1,74,954	93.69	2,27,98,016	4.73
501-1000	7,035	3.77	57,46,006	1.19
1001-2000	2,811	1.51	42,19,751	0.88
2001-3000	686	0.37	17,64,588	0.37
3001-4000	277	0.15	9,96,609	0.20
4001-5000	235	0.12	11,09,814	0.23
5001-10000	374	0.20	27,90,316	0.58
10000* से ऊपर	358	0.19	44,22,87,453	91.82
कुल	1,86,730	100.00	48,17,12,553	100.00
(* भारत सरकार द्वारा धारित 38,17,12,553 शेयरों का समावेश है)				

9.7 **Dematerialisation of shares:**

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2010-11 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2011 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical *	52,777	28.26	5,83,58,913	12.11
Demat:				
NSDL	98,620	52.82	8,16,05,452	16.94
CDSL**	35,333	18.92	34,17,48,188	70.95
Grand Total	1,86,730	100.00	48,17,12,553	100.00

(* includes 5,11,92,553 shares held by the Government of India)

(** Including 33,05,20,000 shares held by the Government of India)

9.8 **Market Price data / price performance of Bank's Shares:**

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

9.9 **Per Share Data:**

Particulars	31.3.2010	31.3.2011
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	10.21	6.96
Dividend (%)	20	*20
Book Value (₹)	49.11	59.40
Dividend Pay out (excluding dividend tax) as % of net profit	19.59	29.16
*Subject to approval of Share Holders		

9.10 **Distribution of shareholding:**

The distribution of shareholding, as on 31.3.2011 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	1,74,954	93.69	2,27,98,016	4.73
501 -1000	7,035	3.77	57,46,006	1.19
1001-2000	2,811	1.51	42,19,751	0.88
2001-3000	686	0.37	17,64,588	0.37
3001-4000	277	0.15	9,96,609	0.20
4001-5000	235	0.12	11,09,814	0.23
5001-10000	374	0.20	27,90,316	0.58
Above 10000*	358	0.19	44,22,87,453	91.82
Total	1,86,730	100.00	48,17,12,553	100.00
[* Includes 38,17,12,553 shares held by the Government of India]				

9.11 **शेयरधारिता स्वरूप**

दिनांक 31.03.2011 तथा 31.03.2010 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार रहा :

श्रेणी	31.03.2011 को		31.3.2010 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	38,17,12,553	79.24	33,05,20,000	76.77
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	4,11,99,526	8.55	3,88,32,803	9.02
म्यूच्युअल फंड	11,98,880	0.25	17,29,587	0.40
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय	55,50,316	1.15	95,90,128	2.23
घरेलू कंपनियां	73,95,076	1.54	59,53,935	1.38
भारतीय जनता/निवासी व्यक्ति	4,46,56,202	9.27	4,38,93,547	10.20
जोड़	48,17,12,553	100.00	43,05,20,000	100.00

9.12 **भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन**

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 23.03.2011 को हुई असाधारण आम सभा में विशेष संकल्प को अनुमोदित करते हुए ₹ 10/- के 5,11,92,553 शेयर ₹ 58.76/- के प्रीमियम पर कुल ₹ 351,99,99,944/- के लिए अधिमानी आधार पर मार्च 2011 में भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए गए.

9.13 **बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) के रूप में भारत सरकार से पूंजी सहायता**

बैंक ने बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) के रूप में ₹ 588.00 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त की. ₹ 10.00 लाख प्रति शेयर की दर से 5880 पीएनसीपीएस अगस्त 2010 में भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए गए.

10. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

10.1 **श्री. एस. डी. धनक**

नाम	श्री. एस. डी. धनक
पता	प्लॉट क्रं. 17 सातभाई नगर जेल रोड, दसक नासिक रोड 422 101 जिला नासिक
जन्म दिनांक	04.08.1955
आयु	55 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एस.एस.सी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रकार	बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 21.07.2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त रहेंगे.
अनुभव	बैंक में 33 वर्ष
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धारित शेयरों की संख्या	200

10.2 **सुश्री कमला राजन**

नाम	सुश्री कमला राजन
पता	भारतीय रिज़र्व बैंक कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, युनिवर्सिटी रोड पुणे - 411 016
जन्म दिनांक	15.02.1954
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम. ए.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रकार	बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(सी) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 30.07.2010 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित

9.11 **Shareholding Pattern:**

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2011 and 31.03.2010 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2011		As on 31.03.2010	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	38,17,12,553	79.24	33,05,20,000	76.77
Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies	4,11,99,526	8.55	3,88,32,803	9.02
Mutual Funds/ UTI	11,98,880	0.25	17,29,587	0.40
FIIs, NRIs and OCBs	55,50,316	1.15	95,90,128	2.23
Domestic Companies	73,95,076	1.54	59,53,935	1.38
Indian Public / Resident individuals	4,46,56,202	9.27	4,38,93,547	10.20
Total	**48,17,12,553**	**100.00**	**43,05,20,000**	**100.00**

9.12 **Allotment of equity shares to Government of India on preferential allotment basis**

As approved by Special Resolution in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 23rd March 2011, 5,11,92,553 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 58.76 per share aggregating ₹ 351,99,99,944/- were issued and allotted to the Government of India, on preferential allotment basis in March 2011.

9.13 **Capital support from Government of India in the form Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPs)**

The Bank has also received a capital support of ₹ 588.00 crore in the form of Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPs). 5880 PNCPS of ₹ 10.00 lakh each were issued and allotted to the Government of India in August 2010.

10 Profile of Directors appointed during the Financial year 2010-11

10.1 **Shri S. D. Dhanak**

Name	Shri S. D. Dhanak
Address	Plot no. 17, Satbhai Nagar, Jail Road, Dasak, Nasik Road 422 101, Dist. Nasik
Date of Birth	04.08.1955
Age	55 years
Qualifications	S.S.C.
Nature of appointment as Director	Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period three years or until further orders, whichever is earlier.
Experience	33 years in the Bank
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil
No. of shares held in Bank of Maharashtra	200

10.2 **Ms. Kamala Rajan**

Name	Ms. Kamala Rajan
Address	Reserve Bank of India College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016
Date of Birth	15.02.1954
Age	57 years
Qualifications	M.A.
Nature of appointment as Director	Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post until further orders.

अनुभव	सुश्री राजन भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई,चैन्नई,कोलकता तथा नई दिल्ली कार्यालयों में बैंकिंग, पर्यवेक्षण व विनियामक विभागों में विभिन्न पदों पर रहीं. जुलाई 2009 में आप मुख्य महा प्रबंधक तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की प्रधानाचार्य बनीं. आप भा.रि.बैंक के शहरी बैंक विभाग तथा ग्रामीण आयोजना व ऋण विभाग के नीति निर्धारक व परिचालन क्षेत्रों में क्रमशः एक दशक तक कार्यरत रही हैं. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन तथा साहित्यिक प्रयासों में सक्रिय रही हैं.
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

10.3 **श्री. ए. एस. भट्टाचार्य**

नाम	**श्री. ए. एस. भट्टाचार्य**
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र केन्द्रीय कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005
जन्म दिनांक	03.01.1952
आयु	59 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी एस सी (कृषि) ऑनर्स
निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रकार	बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(ए) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 01.10.2010 से अधिवर्षिता की दिनांक अर्थात 31.01.2012 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त.
अनुभव	उन्होंने अपना करियर वर्ष 1971 में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में शुरू किया जहां विभिन्न संविभागों का प्रबंधन करते हुए उन्होंने 37 वर्ष गुजारे. महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन, प्राथमिकता क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, बोर्ड और समन्वय इत्यादि महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन किया. अक्तूबर, 2008 में श्री. भट्टाचार्य ने कार्यपालक निदेशक के रूप में इंडियन बैंक में कार्य ग्रहण किया. उन्होंने जुलाई, 2009 से इंडियन बैंक की सहायक कंपनियों यथा इंड बैंक, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, इंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड के अध्यक्ष का भी पदभार संभाला. श्री. भट्टाचार्य भारत में और विदेशों में कई बैंकिंग सम्मेलनों और संगोष्ठियों में सक्रिय रूप से सहभागी रहे. उन्होंने बदेन, ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर समर स्कूल में तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. वे अमान, जॉर्डन में 22 जून से 25 जून 2009 तक (विश्व बैंक द्वारा) कृषि बैंकों और ग्रामीण सूक्ष्म वित्त पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वक्ता के रूप में उपस्थित थे.
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

11. कार्पोरेट गवर्नेन्स में हरित पहल

कंपनी मामले मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2011 को जारी परिपत्र संख्या 18/2011 तथा दिनांक 21 अप्रैल 2011 को जारी परिपत्र संख्या 17/2011 के अनुसार एमसीए ने कंपनी द्वारा सदस्यों को प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक पद्धती से भेजने की अनुमती दी है. इसे देखते हुए बैंक भविष्य में सभी प्रलेख जैसे आम सभा नोटीस/अन्य नोटीस, वार्षिक रिपोर्ट या शेयर धारकों को अन्य कोई प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों पर भेजने का प्रस्ताव रखता है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने ई-मेल पते अपनी डिपॉजिटरी/हमारे आरटीए के पास अद्यतन करा लें.

Experience	Ms. Rajan was posted in various capacities in the banking, supervisory and regulatory departments in the Mumbai, Chennai, Kolkatta and New Delhi offices of the Reserve Bank of India before taking charge as Chief General Manager & Principal of the College of Agricultural Banking, Pune in July 2009. She has been involved in policy making and operational areas of the Urban Banks Department and the Rural Planning and Credit Department of the RBI for more than a decade each. She has also been actively involved in the financial inclusion and literacy efforts of the Reserve Bank of India.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil
No. of shares held in Bank of Maharashtra	Nil

10.3 **Shri A. S. Bhattacharya**

Name	**Shri A.S. Bhattacharya**
Address	Bank of Maharashtra C.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005
Date of Birth	03.01.1952
Age	59 years
Qualifications	B.Sc (Agri) Hons
Nature of appointment as Director	Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 01.10.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 31.01.2012 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier
Experience	He started his career in 1971 at United Bank of India as a Trainee officer, where he spent 37 years managing diverse portfolios. As General Manager he managed important portfolios like Human Resources, General Administration, Priority Sector, IT, Board and coordination. In October 2008, Mr. Bhattacharya joined Indian Bank as its Executive Director. He also held the position of Chairman of subsidiaries of Indian Bank, viz.., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd., Indfund Management Ltd. and Ind Bank Housing Limited since July 2009. He participated in International Banking Summer School at Baden (Austria), workshops and training programs organized by Administrative Staff College of India, Indian Institute of Management (IIM) Kolkata, National Institute of Bank Management, Pune and Reserve Bank of India. He was a speaker in Regional Conference on Agricultural banks and Rural Micro finance (organized by World Bank) held at Amman, Jordan from June 22 to 25, 2009.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil
No. of shares held in Bank of Maharashtra	Nil

11. Green Initiatives in Corporate Governance :

As per the Circular No. 17/2011, dated April 21, 2011 and No.18/2011 dated April 29, 2011 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, MCA has allowed the service of documents on members by a company through electronic mode. In view of this, the Bank proposes to send in future all the documents like General Meeting notices/other notices, Annual Report or any other document to the shareholders in electronic form, at the email address provided to us / made available to us by the depositories. The shareholders are requested to update their email addresses with their depositories/our RTAs.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र/घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया है. आचार संहिता बैंक की वेब साईट पर भी प्रदर्शित की गई है.

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(ए. एस. भट्टाचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः पुणे
दिनांकः 18 मई 2011

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2011.

For Bank of Maharashtra

(A. S. Bhattacharya)
Chairman & Managing Director

Place: Pune
Date: 18 May 2011

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों के अनुपालन की जांच लागू सीमा तक की है.

कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और कार्यान्वयन तक सीमित थी. न तो यह लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत की अभिव्यक्ति है.

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित सूचीबद्ध समझौते में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेन्स के मानदंडों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी निवेशक की कोई शिकायत दिनांक 31 मार्च, 2011 को एक माह से अधिक की अवधि से लंबित नहीं थी.

साथ ही हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो प्रबंधन की कार्यक्षमता अथवा प्रभावोत्पादकता जिसके द्वारा बैंक का कार्यव्यवहार किया गया हो, के प्रति और न ही बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है.

कृते बी छावछारिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 305123 ई

एस. के. छावछारिया
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 008482

कृते रे एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 313124ई

सुब्रतो रॉय
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 051205

कृते जोध जोशी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 104317 डब्ल्यू

मकरंद जोशी
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 047196

कृते जेसीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 105270 डब्ल्यू

अमित तानपुरे
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 129055

कृते एन. कुमार छाबरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000837

नवतेज कुमार
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 080496

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 6791 एन

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता क्रमांक 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल 2011

AUDITORS' CERTIFICATE TO THE SHAREHOLDERS OF BANK OF MAHARASHTRA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.3.2011 as stipulated vide clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2011 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For B. Chhawcharia & Co
Chartered Accountants
FRN 305123E

S. K. Chhawchharia
Partner
Membership No. 008482

For Ray & Co
Chartered Accountants
FRN 313124E

Subrata Roy
Partner
Membership No. 051205

For Jodh Joshi & Co
Chartered Accountants
FRN 104317W

Makarand Joshi
Partner
Membership No. 047196

For JCR & Co
Chartered Accountants
FRN 105270W

Amit Tanpure
Partner
Membership No. 129055

For N. Kumar Chhabra & Co
Chartered Accountants
FRN 000837

Navtej Kumar
Partner
Membership No. 080496

For DSP & Associates
Chartered Accountants
FRN 6791N

Sanjay Jain
Partner
Membership No. 084906

Place: Pune
Dated: 30th April 2011

लेखे

ACCOUNTS

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st March 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**1069,71,26**	430,52,00
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**2901,21,36**	2427,89,11
जमाराशियां Deposits	3	**66844,73,52**	63304,06,94
उधारियां Borrowings	4	**3076,56,42**	2796,95,33
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**2549,99,21**	2096,35,55
जोड़ TOTAL		**76442,21,77**	71055,78,93
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**3846,00,33**	5315,39,31
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**203,35,31**	1379,16,39
निवेश Investments	8	**22491,08,45**	21323,85,12
अग्रिम Advances	9	**46880,76,59**	40314,69,68
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**666,79,05**	659,52,59
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**2354,22,04**	2063,15,84
जोड़ TOTAL		**76442,21,77**	71055,78,93
समाश्रित दायित्व Contingent Liabilities	12	**14403,32,38**	17625,31,07
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**2113,23,00**	1738,41,44
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

1 से 18 तक की अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग हैं. The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

एम. जी. संघवी
M.G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. भट्टाचार्य
A.S. BHATTACHARYA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. डी.एस. पटेल
Dr. D.S. PATEL
निदेशक
Director

ए.के. पंडित
A.K. PANDIT
निदेशक
Director

सुश्री कमला राजन
Ms. KAMALA RAJAN
निदेशक
Director

वी.पी.भारद्वाज
V.P.BHARDWAJ
निदेशक
Director

एस.डी. धनक
S.D. DHANAK
निदेशक
Director

एस.एच.कोचेटा
S.H. KOCHETA
निदेशक
Director

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr. S.U. DESHPANDE
निदेशक
Director

वी. सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
Asstt General Manager, FM&A

आर. मुरलीधरन
R. MURALIDHARAN
उप महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
Dy. Gen. Manager, FM&A

के. एच. वझे
K. H. WAZE
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा - I व निवेशक सेवाएं
General Manager FM&A-I
& Investors services

ए. एस. बनर्जी
A. S. BANERJEE
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 20011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 20010 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**5563,08,76**	4735,56,34
अन्य आय Other Income	14	**530,85,78**	591,24,39
जोड़ TOTAL		**6093,94,54**	5326,80,73
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**3594,68,89**	3439,30,87
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**1644,22,39**	1072,94,70
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**524,64,43**	374,97,48
जोड़ TOTAL		**5763,55,71**	4887,23,05
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**330,38,83**	439,57,68
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**284,88,04**	127,83,51
जोड़ TOTAL		**615,26,87**	567,41,19
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**82,59,71**	109,89,42
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**3,03,97**	25,82,38
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**5,33,93**	31,07,61
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**12,00,00**	15,00,00
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		**29,58,93**	-
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		**96,34,25**	86,10,40
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**20,91,57**	14,63,34
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**365,44,51**	284,88,04
जोड़ TOTAL		**615,26,87**	567,41,19
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम किया हुआ) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**6.86**	10.21

1 से 18 अनुसूचियां खातों का अंतरंग अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते बी. छावछरिया एंड कं. ForB.Chhawchharia&Co.	कृते रे एंड कं. For Ray & Co.	कृते जोध जोशी एंड कं. For Jodh Joshi And Co	कृते जेसीआर एंड कं. For JCR & Co.	कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं. For N.Kumar Chhabra & Co.	कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स् For DSP & Associates
एफआरएन 305123ई	एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डब्ल्यू	एफआरएन 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन
FRN: 305123E	FRN: 313124E	FRN: 104317W	FRN :105270W	FRN : 000837N	FRN: 006791N
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(एस.के.छावछरिया) (S. K. Chhawchharia)	**(सुब्रता रॉय) (Subrata Roy)**	**(मकरंद जोशी) (Makarand Joshi)**	**(अमित तानपुरे) (Amit Tanpure)**	**(नवतेज कुमार) (Navtej Kumar)**	**(संजय जैन) (Sanjay Jain)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
सदस्यता क्र.008482	सदस्यता क्र.051205	सदस्यता क्र.047196	सदस्यता क्र.129055	सदस्यता क्र.080496	सदस्यता क्र.084906
Membership No.: 008482	Membership No.:051205	Membership No : 047196	Membership No : 129055	Membership No : 080496	Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल 2011

Place: Pune
Dated: 30th April 2011

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		**3000,00,00**		**3000,00,00**
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed & Paid up Capital				
क. a ₹ 10/- के 48,17,12,553 ईक्विटी शेयर (43,05,20,000 ईक्विटी शेयर) 48,17,12,553 Equity Shares (43,05,20,000 Equity Shares) of ₹ 10/- each (इसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10/- के 38,17,12,553 ईक्विटी शेयर (33,05,20,000 ईक्विटी शेयर) शामिल हैं) (includes 38,17,12,553 Equity Shares (33,05,20,000 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Government)	**481,71,26**		430,52,00	
ख. b ₹ 10,00,000/- के 5880 के बेमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर धारित 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held				
केन्द्र सरकार द्वारा by Central Government	**588,00,00**	**1069,71,26**	-	430,52,00
कुल TOTAL		**1069,71,26**		430,52,00

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I.	**सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**637,97,24**		528,07,82	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**82,59,71**	**720,56,95**	109,89,42	637,97,24
II.	**पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**113,59,83**		87,77,45	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**3,03,97**		29,22,39	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**116,63,80**	3,40,01	113,59,83
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**130,00,00**		130,00,00	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**300,80,74**	**430,80,74**	-	130,00,00
IV.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
	क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**750,86,87**		719,79,25	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**5,33,93**		31,07,61	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**756,20,80**	-	750,86,86
	ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**56,00,00**		41,00,00	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**12,00,00**	**68,00,00**	15,00,00	56,00,00
	ग) पूनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**454,57,14**		452,18,74	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**1,32,88**		14,73,86	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**12,35,46**	**443,54,56**	12,35,46	454,57,14
V.	**लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT**		**365,44,51**		284,88,04
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV एवं V) (I, II, III, IV & V)			**2901,21,36**		2427,89,11

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
क) A. I. मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	**52,66,31**		63,04,58	
ii) अन्यों से From others	**6546,59,22**	**6599,25,53**	6136,34,37	6199,38,95
II. बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		**20433,17,51**		17164,77,36
III. मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	**110,46,00**		-	
ii) अन्यों से From others	**39701,84,48**	**39812,30,48**	39939,90,63	39939,90,63
जोड़ TOTAL (I, II एवं III) (I, II & III)		**66844,73,52**		63304,06,94
ख B. भारत में शाखाओं की जमाराशियां				
(i) Deposits of Branches in India		**66844,73,52**		63304,06,94
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		**-**		-
जोड़ TOTAL		**66844,73,52**		63304,06,94

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India	**-**		-	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	**-**		-	
iii) अन्य संस्थाओं और एजन्सियों से Other Institutions and Agencies	**377,60,59**		61,47,40	
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
क) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**295,00,00**		295,00,00	
ख) बंधपत्र के रूप में जारी संकरित ऋण पूंजी लिखत b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**1250,00,00**		1250,00,00	
ग) गौण ऋण बाँड c) Subordinated Debt Bonds	**955,00,00**	**2877,60,59**	1122,50,00	2728,97,40
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		**198,95,83**		67,97,93
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)		**3076,56,42**		2796,95,33
III. उपर्युक्त (I) व (II) सुरक्षित उधारियां शामिल है SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		**-**		-

अनुसूची - 5 : अन्य दायित्व और प्रावधान
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I. देय बिल Bills Payable		**440,97,38**		515,59,74
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		**-**		-
III. उपचित ब्याज Interest Accrued		**60,11,57**		49,19,18
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions):				
i) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision against standard assets	**191,42,06**		153,80,85	
ii) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित) Other liabilities (including provisions)	**1857,48,20**	**2048,90,26**	1377,75,78	1531,56,63
जोड़ TOTAL		**2549,99,21**		2096,35,55

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेन्सी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		**424,91,37**		390,10,61
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	**3421,08,96**		4925,28,70	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	**-**	**3421,08,96**	-	4925,28,70
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)		**3846,00,33**		5315,39,31

अनुसूची - 7 : बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(a) चालू खातों में Current Accounts	**100,70,77**		178,17,01	
(b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	**65,18,56**	**165,89,33**	15,18,56	193,35,57
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
क) बैंकों के पास (a) With Banks	**-**		200,00,00	
ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) With Other Institutions	**-**	**-**	949,43,92	1149,43,92
जोड़ TOTAL (i एवं ii) (i & ii)		**165,89,33**		1342,79,49
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
क) चालू खातों में (a) Current Accounts	**-**			
ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	**37,45,98**		36,36,90	
ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (c) Money at Call & Short Notice	**-**	**37,45,98**	-	36,36,90
जोड़ TOTAL		**37,45,98**		36,36,90
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I एवं II) (I & II)		**203,35,31**		1379,16,39

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
A. I.	भारत में निवेश Investments in India in				
क)	सरकारी प्रतिभूतियां				
a)	Government Securities (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**18541,40,46**		18226,13,75
ख)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
b)	Other approved securities		**11,23,70**		25,76,50
ग)	शेयर्स c) Shares		**140,18,99**		127,83,60
घ)	डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds		**883,40,80**		885,79,20
ङ)	सहायक प्रतिष्ठान और/या सह उद्यम				
e)	Subsidiaries and/or Joint Ventures		**52,89,11**		37,02,11
च)	अन्य f) Others				
i)	यू.टी.आई./म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of UTI/ Mutual funds	**44,04,97**		80,09,26	
ii)	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**753,76,53**		472,38,33	
iii)	वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**24,36,62**		9,90,29	
iv)	पीटीसी PTCs	**22,88,43**		31,64,79	
v)	आरआईडीएफ व अन्य RIDF & Others	**2016,88,84**	**2861,95,39**	1427,27,29	2021,29,96
जोड़ TOTAL			**22491,08,45**		21323,85,12
II.	भारत के बाहर निवेश Investments outside India		-		-
कुल जोड़ TOTAL			-		-
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I एवं II) (I & II)			**22491,08,45**		21323,85,12
B. ख)	**भारत में सकल निवेश a) Gross Investments in India**	**22614,50,66**		21363,55,19	
	घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	**103,36,19**		21,05,64	
	घटाएं : अनर्जक निवेश पर प्रावधान Less: Provisions on Non Performing Investment	**20,06,02**	**22491,08,45**	18,64,43	21323,85,12
	निवल निवेश Net Investment		**22491,08,45**		21323,85,12
ख)	भारत के बाहर सकल निवेश b) Gross Investments outside India		-		-
जोड़ TOTAL (क एवं ख) (a&b)			**22491,08,45**		21323,85,12

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
क. A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**953,34,63**		898,01,99	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**13011,33,95**		10510,43,65	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**32916,08,01**	**46880,76,59**	28906,24,04	40314,69,68
जोड़ TOTAL			**46880,76,59**		40314,69,68
ख. B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत Secured by tangible assets (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) (includes advances against Book Debts)	**34095,70,65**		31131,73,73	
	ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**651,58,76**		162,71,49	
	iii) अ-संरक्षित Unsecured	**12133,47,18**	**46880,76,59**	9020,24,46	40314,69,68
जोड़ TOTAL			**46880,76,59**		40314,69,68
ग. C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**16107,30,09**		15898,94,38	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**7891,92,88**		5151,29,81	
	iii) बैंक Banks	**-**		2	
	iv) अन्य Others	**22881,53,62**	**46880,76,59**	19264,45,47	40314,69,68
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		**-**		-
जोड़ TOTAL (ग. I और ग. II) (C.I & C.II)			**46880,76,59**		40314,69,68

अनुसूची 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE 10 FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I.	**परिसर Premises ***				
1.	विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**631,90,67**		608,92,59	
	(पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)				
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	**10,39,02**		8,24,22	
3.	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन Addition on account of revaluation during the year	**1,43,72**		14,73,86	
		643,73,41		631,90,67	
4.	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**48,17**		-	
		643,25,24		631,90,67	
5.	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**131,00,83**	**512,24,41**	114,88,33	517,02,34
II.	**अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर और फिक्सचर्स शामिल हैं)** Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1.	विगत 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**616,85,21**		560,32,27	
2.	अवधि के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	**80,47,71**		76,91,70	
		697,32,92		637,23,97	
3.	अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	**20,71,48**		20,38,76	
		676,61,44		616,85,21	
4.	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**522,06,80**	**154,54,64**	474,34,96	142,50,25
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)			**666,79,05**		659,52,59

* टिपणी : इसमें ₹ शून्य का पूंजीगत चालू कार्य शामिल है (गत वर्ष ₹ 21,42)
* Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ 21,42)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	**314,52,88**	584,14,86
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	**443,56,91**	485,26,26
III.	अग्रिम रूप से संदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**466,60,99**	440,84,79
IV.	लेखन सामग्री और स्टाम्प Stationery and Stamps	**4,67,80**	4,60,27
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
VI.	अन्य Others *	**1124,83,46**	548,29,66
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)		**2354,22,04**	2063,15,84

* टिप्पणी : अन्यों में ₹ 404,38,04 की निवल आस्थागित कर आस्तियां शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 278,14,05)
* Note : Others include Net Deferred Tax Assets of ₹ 404,38,04 (Previous Year ₹ 278,14,05)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (PreviousYear)	
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		**695,99,94**		520,21,12
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**-**		-
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**7062,96,07**		11544,77,57
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	क) भारत में (a) In India	**4369,13,87**		3632,68,31	
	ख) भारत के बाहर (b) Outside India	**450,40,57**	**4819,54,44**	315,62,70	3948,31,01
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		**1424,81,93**		1212,01,37
VI.	अन्य मदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		**400,00,00**		400,00,00
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)			**14403,32,38**		17625,31,07

* वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत समाश्रित दायित्व में क्रय एवं विक्रय संविदाओं का समावेश है.
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE- 13 INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		**4006,13,75**		3369,62,60
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**1556,88,31**		1366,54,94	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	**36,58,69**	**1520,29,62**	68,64,72	1297,90,22
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**25,13,20**		58,23,17
IV.	अन्य Others		**11,52,19**		9,80,35
जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)			**5563,08,76**		4735,56,34

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		**313,01,46**		264,65,56
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**67,60,60**		210,55,96	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**4,97,33**	**62,63,27**	6,28,07	204,27,89
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**-**		-	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**-**	**-**	**-**	-
IV.	भूमि, भवनों, और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**85,95**		67,51	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**61,69**	**24,26**	50,06	17,45
V.	विदेशी मुद्रा व्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**31,42,81**		34,84,30	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**2**	**31,42,79**	**-**	34,84,30
VI.	भारत/विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों और/सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,86,35**		3,11,33
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**121,67,65**		84,17,86
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)			**530,85,78**		591,24,39

अनुसूची - 15 : प्रदत्त ब्याज
SCHEDULE- 15 INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**3282,74,88**	3183,06,12
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतरबैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**44,37,66**	68,05
III. अन्य Others	**267,56,35**	255,56,70
जोड़ TOTAL (I, II एवं III) (I, II & III)	**3594,68,89**	3439,30,87

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1157,08,00**	655,49,65
II. भाड़ा, कर और रोशनी Rent,taxes and lighting	**98,95,22**	93,87,13
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**14,07,54**	13,25,17
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**18,76,27**	14,03,05
V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास Depreciation on Bank's property	**67,85,59**	75,08,90
(आरक्षिति पूनर्मूल्यन को अंतरित मूल्यह्रास को छोड़कर) (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**76,36**	88,91
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**14,18,50**	11,82,43
VIII. विधि प्रभार Law Charges	**5,33,87**	5,08,35
IX. डाक, तार और टेलिफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**20,47,66**	14,65,52
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**30,37,61**	22,75,56
XI. बीमा Insurance	**65,86,74**	56,92,95
XII. अन्य व्यय Other expenditure	**150,49,03**	109,07,08
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII) (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	**1644,22,39**	1072,94,70

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

1.2 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, राजस्व व लागतों का लेखा उपचित आधार पर किया गया है.

1.3 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विदेशी मुद्रा विनियम दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का लेखा लाभ व हानि लेखे में किया गया है.

2.2 बकाया वायदा विदेशी मुद्रा करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि हेतु प्रकाशित विनिमय दरों पर उनका पुनर्मूल्यन किया गया है. उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है.

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा प्रकाशित कराई गई अंतिम विदेशी मुद्रा दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों (शेयरों, डिबेंचरों बांडों, म्युचुअल फंड, सीपी, सीडी की यूनिटें इत्यादि) में निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

क. परिपक्वता तक धारित
ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
ग. व्यापार के लिए धारित

3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :

क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है. निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण के दिनांक को बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार बदल दिया जाता है.

3.4 **निवेशों का मूल्यन :**

क. परिपक्वता तक धारित

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है.

ii) ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में, जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है वहां अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में मूल्य में गिरावट का पता लगाया गया है और उसका प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है.

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the Banking Industry in India and the guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI").

1.2 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as otherwise stated.

1.3 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1. The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2. Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments in SLR and non-SLR securities (Shares, Debentures, Bonds, units of MF, CP, CD etc.) are classified in the following categories:

a. Held to maturity
b. Available for sale
c. Held for trading

3.2 All the securities are classified in the following six classifications:

a. Government Securities
b. Other approved securities
c. Shares
d. Debentures and bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units , RIDF etc).

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

3.4 **Valuation of investments:**

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

(ii) In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को बाजार हेतु चिन्हित किया गया है. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बॉण्डों का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. कोट नहीं किए गए शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य पर किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन ₹ 1 प्रति कंपनी पर किया गया है.

खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर, पुनर्खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य पर उनकी उपलब्धता के आधार पर इस क्रम में किया गया है.

''बिक्री हेतु उपलब्ध'' के अधीन प्रत्येक छह उप-श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

ii) यदि आंकड़ों का परिणाम मूल्यह्रास है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यन को छोड़कर प्रतिभूतियों का बही मूल्य पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तित नहीं हुआ है.

iv) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार मासिक अंतराल पर किया गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है किन्तु निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई अपेक्षाओं को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों का बही मूल्य नहीं बदला गया है.

ii) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया है.

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास / प्रावधान किया गया है.

च. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों जैसे दलाली, फीस इत्यादि (इक्विटी/अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) को व्यय माना गया है.

छ ब्याज दर स्वैप :

i) मूल्यन :

क) हेजिंग स्वैप : आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट नहीं हैं

ख) व्यापार स्वैप : व्यापार के उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट है.

ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) हेजिंग स्वैपः आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित किया जा सकता है तो उसका लेखा उपचय आधार पर किया गया है.

ख) व्यापार स्वैप : आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे के दिनांक को लेखाबध्द किया गया है.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.

Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

(i) If the figure results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If the figure results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.

(iii) The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय तथा हानि का लेखाः

क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.

ख) व्यापार स्वैप : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में दर्शाया गया है.

4. अग्रिम :

4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन घटाये गये हैं.

4.2 बैंक की सुरक्षित अवमानक अनर्जक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत का प्रावधान करने के अलावा प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.

4.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को ''अन्य देयताएं व प्रावधान'' शीर्ष में दर्शाया गया है.

4.4 अनर्जक आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन में व फिर ब्याज में समायोजित किया गया है.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास :

5.1 कतिपय परिसरों, जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्शाया गया है, को छोड़कर अन्य परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है.

5.2 निम्नलिखित को छोड़कर स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से ऐसी दरों पर किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट हैं.

क) कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.

ख) ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत करने के बजाय लागू दरों पर किया गया.

ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है. हटाई गई / बेची गई संपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

5.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया है.

5.4 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में किया गया है.

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया जाता है, समस्त राजस्व तथा लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड कारोबार लॉकर किराया इत्यादि से कमीशन से प्राप्त आय.

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.

4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time except that provision on NPA-secured substandard assets of the Bank is made @ 15% instead of 10% as per IRAC norms issued by RBI

4.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 Recoveries in the Non Performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

5.2 Depreciation is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except for:-

a. On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include softwares, ATMs and UPS also.

b. On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

c. Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

5.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.

5.4 Leasehold land cost is amortized over the period of lease.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

6.2 आयकर रिफण्ड पर ब्याज आय को उस वर्ष में लेखाबध्द किया गया, जिस वर्ष में रिफण्ड आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया.

6.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

परिभाषित अंशदान योजनाः पारिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

पारिभाषित लाभ योजना : अनुमानित इकाई जमा पद्धति का इस्तेमाल करते हुए पारिभाषित लाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत जीवनांकिक मूल्यांकन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. जीवनांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

8. आस्तियों की हानि

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है को सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार दर्शाया गया है.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 ''प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति'' के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता किसी दायित्व को निपटाने में पड़ सकती है जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया गया हो.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी न हुई हो.

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित निवल लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

11. आयकर :

वर्ष हेतु किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, आस्थगित कर, संपत्ति कर और आस्थगित कर शामिल हैं. आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण विवेक के आधार पर किया गया है व ऐसा करते समय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 के अनुसार कर योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय के अन्तर को ध्यान में रखा गया है.

6.2 Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

6.3 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined using Projected Unit Credit Method. Actuarial Valuations under the Projected Unit Credit Method are carried out as at the Balance Sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

8. Impairment of Assets:

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
2010-11

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां
(नोट - कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

मदें	31.03.11 को	31.03.10 को
i. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%)		
बेसल-I	11.75	11.33
बेसल-II	13.35	12.78
ii. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर I पूंजी (%)		
बेसल-I	7.05	5.68
बेसल-II	8.02	6.41
iii. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर II पूंजी (%)		
बेसल-I	4.70	5.65
बेसल-II	5.33	6.37
iv. भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत (%)	79.24	76.77
v. आईपीडीआई जारी कर ऊगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	70.00
vi अपर टियर-(II) जारी कर ऊगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	400.00
vii साधारण टियर-(II) जारी कर ऊगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	130.00

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान उगाही गई पूँजी

क्रं.	विवरण	आबंटन का दिनांक	शेयरों की संख्या	दर	कुल
1.	बेमियादी असंचयी अधिमानित शेयर (पीएनसीपीएस)	07.08.2010	5880	₹ 10.00.000	₹ 588 करोड़
2.	ईक्विटी शेयर पूँजी(शेयर प्रीमियम शामिल)	26.03.2011	5,11,92,553	₹ 68.76	₹ 352 करोड़

गौण बांडों का मोचन (टियर-II पूँजी)

श्रेणी	आबंटन का दिनांक	रकम	कूपन दर	बांड की अवधि
V	30.06.2010	₹ 167.50 करोड़	7.10% प्रतिवर्ष	63 माह

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'विपणन हेतु धारित' तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार है. सभी निवेश भारत में हैं तथा भारत के बाहर निवेश नहीं हैं.

(₹ करोड़ में)

मदें	31-03-2011	31-03-2010
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	22614.50	21363.55
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	123.42	39.70
(iii) निवेशों का शुध्द मूल्य	22491.08	21323.85
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	39.70	93.77
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	83.72	0.00
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाले गये/पुनर्लेखांकित किए गए अधिक प्रावधान	0.00	54.07
(iv) अंतिम शेष	123.42	39.70

BANK OF MAHARASHTRA
2010-11

SCHEDULE 18 : NOTES ON ACCOUNTS
(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

1. Capital:

Items	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
i) CRAR (%)		
Basel - I	11.75	11.33
Basel – II	13.35	12.78
ii) CRAR - Tier I Capital (%)		
Basel - I	7.05	5.68
Basel – II	8.02	6.41
iii) CRAR - Tier II Capital (%)		
Basel - I	4.70	5.65
Basel – II	5.33	6.37
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	79.24	76.77
v) Amount raised by issue of IPDI (₹ In Crore)	0.00	70.00
vi) Amount raised by issue of Upper Tier II instrument (₹ In Crore)	0.00	400.00
vii) Amount raised by issue of Ordinary Tier II instrument (₹ In Crore)	0.00	130.00

The Bank has raised during the year:

Sr. No.	Particulars	Date of Allotment	No. of Shares	Rate	Total
1.	Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	07/08/2010	5880	₹ 10,00,000	₹ 588 crore
2.	Equity Shares capital (including share premium)	26/03/2011	5,11,92,553	₹ 68.76	₹ 352 crore

Redemption of Subordinated Bonds (Tier II Capital)

Series	Date of Redemption	Amount	Coupon Rate	Tenor
V	30/06/2010	₹ 167.50 Crore	7.10 % p.a.	63 months

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale", and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

(₹ in Crore)

Items	31.03.2011	31.03.2010
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	22614.50	21363.55
(ii) Provisions for Depreciation	123.42	39.70
(iii) Net Value of Investments	22491.08	21323.85
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	39.70	93.77
(ii) Add: Provisions made during the year	83.72	0.00
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	0.00	54.07
(iv) Closing balance	123.42	39.70

2.2 **रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)**

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2011 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	30.00 (शून्य) शून्य (शून्य)	3775.00 (शून्य) शून्य (शून्य)	648.89 (शून्य) शून्य (शून्य)	0.00 (शून्य) शून्य (शून्य)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी प्रतिभूतियां 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	50.00 (50.00) शून्य (शून्य)	3200.00 (3700.00) शून्य (शून्य)	271.14 (1723.96) शून्य (शून्य)	0.00 (50.00) शून्य (शून्य)

2.2 **Repo Transactions** (In face value terms)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	As on March 31, 2011
Securities sold under repos i. Government Securities ii. Corporate debt securities	30.00 (Nil) Nil (Nil)	3775.00 (Nil) Nil (Nil)	648.89 (Nil) Nil (Nil)	Nil (Nil) Nil (Nil)
Securities purchased under reverse repos i. Government Securities ii. Corporate debt securities	50.00 (50.00) Nil (Nil)	3200.00 (3700.00) Nil (Nil)	271.14 (1723.96) Nil (Nil)	Nil (50.00) Nil (Nil)

2.3 **गैर-एसएलआर निवेशों का संविभागः**

i) गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र

31 मार्च 2011 को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में (मूल्यह्रास घटाने के बाद) किए गए निवेश पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रकटन निम्न प्रकार है :

2.3 **Non-SLR Investment Portfolio**

i) Issuer composition of Non-SLR Investments

Following is the disclosure as per prudential guidelines of RBI on Investments (Net of Depreciation) in Non-SLR Securities as of 31/03/2011.

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट का विस्तार Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम PSU s	224.92 (228.70)	213.07 (225.57)	25.00 (46.37)	0.00 (0.00)	25.00 (46.37)
(ii)	वित्तीय संस्थान FIs	265.61 (315.25)	224.35 (265.34)	78.38 (83.37)	0.00 (0.75)	44.88 (44.88)
(iii)	बैंक Banks	981.86 (728.07)	941.92 (675.85)	23.20 (23.80)	0.20 (0.20)	2.00 (3.00)
(iv)	निजी निगमित Private Corporate	355.66 (236.49)	300.17 (185.03)	80.75 (95.81)	24.04 (25.81)	26.82 (25.81)
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	52.89 (37.02)	52.89 (37.02)	N.A. N.A.	N.A. N.A.	N.A. N.A.
(vi)	अन्य आरआईडीएफ* Others - RIDF*	2093.22 (1556.13)	2065.40 (1493.19)	N.A. N.A.	N.A. N.A.	N.A. N.A.
	उप जोड़ SUB TOTAL	3974.16 (3101.66)	3797.80 (2882.00)	207.33 (249.35)	24.24 (26.76)	98.70 (120.06)
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यह्रास Depreciation (ii) एनपीआई NPI (iii) पुनर्संरचित खाते Restructured Account	12.72 (8.13) 18.64 (18.64) 1.41 (Nil)	XXX	XXX	XXX	XXX
	जोड़ Total	3941.39 (3074.89)	3797.80 (2882.00)	207.33 (249.35)	24.24 (26.76)	98.70 (120.06)

***आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि**

टिप्पणी :

क) उपरोक्त (v) एवं (vi) में निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकरण से मुक्त हैं.

ख) कॉलम 4,5,6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबध्द नहीं हैं.

ग) कुल ₹ 3941.39 करोड़ (₹ 3074.89 करोड़) के निवेश में ₹ 2.94 करोड़ (₹ 2.94 करोड़) के सरकारी तेल बंधपत्र शामिल हैं. बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में भी इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है.

***RIDF- Rural Infrastructure Development Fund**

Note:

(i) Investments as in (v) & (vi) above are exempted from classification as per RBI guidelines.

(i) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 are not mutually exclusive.

(ii) The total investment of ₹ 3941.39 crore (₹ 3074.89 crore) includes one GOI Oil Bond of ₹ 2.94 crore (₹ 2.94 crore). The same has been included as Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

ii) गैर एसएलआर अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	रकम
प्रारंभिक शेष	18.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00
अंतिम शेष	18.64
किए गए कुल प्रावधान	18.64

2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित' निवेश के विक्रय से हुए लाभ की ₹ 1.29 करोड़ (₹ 30.97 करोड़) की राशि करों और सांविधिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी.

2.5 वर्ष के दौरान निवेशों को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अन्तरित करने के कारण मूल्य में आई कमी हेतु ₹ 0.07 करोड़ (₹ शून्य करोड़) और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी हेतु ₹ शून्य (₹ शून्य करोड़) के निवेशों पर बैंक ने मूल्यह्रास का प्रावधान किया है.

2.6 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 36.59 करोड़ (₹ 68.65 करोड़) का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया.

3 डेरिवेटिवः

3.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2011	31.3.2010
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	400.00	400.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप खातांबदी का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-)13.11	(-)12.79

बैंक ने वर्ष के दौरान कोई वायदा दर करार नहीं किया.

बैंक ने वर्ष 2006 के दौरान तुलन पत्र की आस्ति व देयताओं की हेजिंग हेतु ₹ 400 करोड़ के संकल्पित मूलधन राशि के ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) स्वरूप के डेरिवेटिव करार किए. संकल्पित मूलधन राशि के बकाया स्वैप वास्तविक सात वर्षों की अवधि हेतु ₹ 400 करोड़ (पिछले वर्ष 400 करोड़) रहे. वर्ष के दौरान ₹ 400 करोड़ राशि के संकल्पित मूलधन पर अस्थिर दर से ब्याज का भुगतान करने और स्थिर दर से ब्याज प्राप्त करने की बकाया स्वैप की स्थिति रही. व्यवहारों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक नहीं थी. उचित स्वैप मूल्य (-) ₹ 13.11 करोड़ ₹ (-) 12.79 करोड़) रहा.

3.2 एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव्जः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2010-11
1	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-माकेट मूल्य	शून्य

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Opening balance	18.64
Additions during the year	0.00
Reductions during the year	0.00
Closing balance	18.64
Total provisions held	18.64

2.4 As per RBI guidelines, an amount of ₹ 1.29 Crore (₹ 30.97 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

2.5 During the year, Bank has provided depreciation on investment for diminution in value on account of shifting of investments from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category ₹ 0.07 Crore (₹ Nil Crore) and from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category ₹ Nil (₹ Nil Crore).

2.6 The Bank has amortized ₹ 36.59 Crore during the year (₹ 68.65 Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2011	31.03.2010
i) The notional principal of swap agreements	400.00	400.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-) 13.11	(-) 12.79

The Bank has not entered into any forward rate agreement during the year.

The Bank entered into derivatives contracts of the nature of interest Rate Swap (IRS) amounting to Notional Principal Value of ₹ 400 Crore during the year 2006 to hedge on balance sheet assets and liabilities. The notional principal value of swaps outstanding was ₹ 400 Crore (previous year ₹ 400 Crore) for an original tenure of seven years. During the year the outstanding swap position was to receive fixed rate of interest and to pay floating rate of interest for notional principal amount of ₹ 400 Crore. No collateral securities were required for the transactions. The fair value of swaps was ₹ (-) 13.11 Crore (₹ (-) 12.79 Crore).

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2010-11
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

3.3 **डेरिवेटिव जोखिम विगोपन पर प्रकटन**

क) गुणात्मक विगोपन :

i) निवेश नीति के एक भाग के रूप में निदेशक मंडल ने डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन किया, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के मापन भी शामिल हैं.

ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में हेजिंग व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं.

iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु हेजिंग व्यवहार किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.

iv) बैंक अपने स्वयं के तुलनपत्र की प्रतिरक्षा हेतु डेरिवेटिव उत्पाद का इस्तमाल करता है. बैंक ने व्यापार के प्रयोजन हेतु डेरिवेटिव उत्पाद का उपयोग नहीं किया है. डेरिवेटिव परिचालनों की जोखिम प्रबंधन का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधन/ कार्यपालक देखते हैं जो बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.

v) बैंक में प्रतिरक्षित और गैर प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबध्द करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.4 (एफ) (ii) में बताया गया है.

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर अपेक्षित प्रावधान कर लिए हैं.

ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) हेजिंग के लिए	1667.48	400.00
	ख) व्यापार के लिए	4618.44	(शून्य)
(ii)	[1] बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां		
	क) आस्ति (/)	8.55	शून्य
	ख) देयताएं (-)	शून्य	(-)13.11
(iii)	[2] ऋण विगोपन	134.27	4.00
(iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	शून्य	(-)9.75
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 देखा गया अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	क) हेजिंग पर	शून्य	अधिक.(-)10.94 न्यून. 9.75
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य

3.4 **डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधानः**

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	ऋण विगोपन	31.03.2011 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	8.55	0.03
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य

3.3 **Disclosures on risk exposure in derivatives**

A) Qualitative Disclosure

i) As a part of investment policy, derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

iv) The Bank uses derivative products for hedging its own Balance Sheet. Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.4 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

vi) The bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

B) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	1667.48	400.00
	b) For trading	4618.44	Nil
(ii)	Marked to Market Positions[1]		
	a) Asset (+)	8.55	Nil
	b) Liability (-)	Nil	(-)13.11
(iii)	Credit Exposure [2]	134.27	4.00
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	Nil	(-)9.75
	b) on trading derivatives	Nil	Nil
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Nil	Max (-)10.94 Min 9.75
	b) on trading	Nil	Nil

3.4 **Standard provision on derivative exposure:**

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2011
1	Interest rate derivative	Nil	Nil
2	Foreign exchange derivate	8.55	0.03
3	Gold contract	Nil	Nil

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	1.32	1.64
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	1209.79	798.41
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	699.15	875.72
(ग) वर्ष के दौरान कमी	735.24	464.32
(घ) अंतिम शेष	1173.70	1209.79
(iii) कुल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) निवल प्रारंभिक शेष	662.43	271.90
जोड़े-इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	21.49	21.49
सकल प्रारंभिक शेष	683.92	293.39
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	444.47	623.47
(ग) वर्ष के दौरान कमी	475.87	232.94
(घ) सकल अंतिम शेष	652.52	683.92
घटायें- इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	33.57	21.49
निवल अन्तिम शेष	618.95	662.43
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
(क) प्रारंभिक शेष	519.11	504.31
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	342.01	250.62
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	349.84	235.82
(घ) अंतिम शेष	511.28	519.11

4.2 वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन नीति में रक्षित अव मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों की सीमा को 10 % से बढ़ाकर 15% कर दिया है. उक्त बदलाव के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (करों का निवल) ₹ 18.86 करोड़ (शून्य करोड़) कम हुआ.

4.3 पुनर्संरचित ऋण खातों के विवरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	26	1628
	बकाया रकम	44.73	20.94	344.73
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	1.29	0.64	12.56
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0	2	17
	बकाया रकम	0.00	14.32	6.66
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.16	0. 17
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	1	4
	बकाया रकम	0	1.01	0.02
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	0	0.0012
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	1	29	1649
	बकाया रकम	44.73	36.27	351.41
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	1.29	0.80	12.73

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.32	1.64
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	1209.79	798.41
(b) Additions during the year	699.15	875.72
(c) Reductions during the year	735.24	464.34
(d) Closing balance	1173.70	1209.79
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	662.43	271.90
Add: ECGC/DICGC Settled amount	21.49	21.49
Gross: Opening Balance	683.92	293.39
(b) Additions during the year	444.47	623.47
(c) Reductions during the year	475.87	232.94
(d) Gross closing balance	652.52	683.92
Less ECGC/DICGC Settled amount	33.57	21.49
Net closing Balance	618.95	662.43
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	519.11	504.31
(b) Provisions made during the year	342.01	250.62
(c) Write-back/write off of excess provisions	349.84	235.82
(d) Closing balance	511.28	519.11

4.2 The Bank has changed the accounting policy for provisioning in respect of secured sub-standard assets from 10% to 15% during the year. Due to the said change, the net profit (net of taxes) for the year is lower by ₹ 18.86 crore, (Nil Crore).

4.3 Particulars of Accounts restructured

(₹ in Crore)

Category	Particulars	CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	1	26	1628
	Amount Outstanding	44.73	20.94	344.73
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	1.29	0.64	12.56
Sub-Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	2	17
	Amount Outstanding	0	14.32	6.66
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0	0.16	0.17
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	1	4
	Amount Outstanding	0	1.01	0.02
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0	0	0.0012
TOTAL	No. of Borrowers	1	29	1649
	Amount Outstanding	44.73	36.27	351.41
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	1.29	0.80	12.73

4.4 **आस्ति पुनर्निमाण हेतु प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1 खातों की संख्या	0	0
2 प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	0.00	0.00
3 कुल प्रतिफल	0.00	0.00
4 पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5 शुध्द खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	0.00	0.00

4.5 **खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्निर्मित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

4.6 **बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2011	31.03.2010
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.7 **मानक आस्तियों हेतु प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	37.58	-3.48
फॉरेक्स और वायदा संविदा मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	0.03	0.00

वर्ष की समाप्ति पर बैंक द्वारा धारित मानक आस्तियों हेतु ₹ 191.39 करोड़ (₹ 153.81 करोड़) के संचयी प्रावधानों को तुलनपत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

4.8 बैंक को 'कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008' (एडीडब्ल्यूडीआर) के अंतर्गत सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित किए अनुसार दावों पर भारतीय रिजर्व बैंक से दावे की राशि प्राप्त हुई है. जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
अ) कृषि ऋण माफी		
1) प्रस्तुत दावे	219.27	218.32
2) प्राप्त दावे	219.27	144.17
ब) कृषि ऋण राहत		
1) प्रस्तुत दावे	82.01	शून्य
2) प्राप्त दावे	82.01	शून्य

4.9 **कृषि पर ब्याज**

कृषि अग्रिमों के संबंध में ₹ 96.63 करोड़ का उपचित किंतु अदेय ब्याज जो अब तक अन्य आस्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत था वह अब कृषि अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन पर मानक आस्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए गए हैं.

4.4 **Details of financial assets sold to securitization / reconstruction company for Asset Reconstruction**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1 No. of accounts	Nil	Nil
2 Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	0.00	0.00
3 Aggregate consideration	0.00	0.00
4 Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5 Aggregate gain/loss over net book value.	0.00	0.00

4.5 **Details of non performing financial assets purchased**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2. (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.6 **Details of non performing financial assets sold**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.7 **Provisions on Standard Assets**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provisions towards Standard Assets for the year	37.58	-3.48
Provisions towards Standard Assets Forex & Forward Contracts	0.03	0.00

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end amounting to ₹ 191.39 Crore (₹ 153.81 Crore) is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

4.8 In terms of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 (ADWDR) Scheme, the bank has received claim amount from Reserve Bank of India (RBI) against claims as certified by Central Statutory Auditors. Details of which are as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
A) Agriculture Debt Waiver		
a) Claims Submitted	219.27	218.32
b) Claims Received	219.27	144.17
B) Agriculture Debt Relief		
a) Claims Submitted	82.01	Nil
b) Claims Received	82.01	Nil

4.9 **Interest on Agriculture**

Interest accrued but not due of ₹ 96.63 Crore in respect of agricultural advances hitherto classified under Other Assets is now classified as Agriculture advances and adequate provision for Standard Asset is made there against.

4.10 **अस्थिर प्रावधानों के विवरण**

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2011	31.03.2010
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.11 बैंक बीमा कारोबारः

बैंक बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹ 6.32 करोड़(4.48 करोड़) की आय हुई है. बैंक बीमा कारोबार आय के ब्योरे निम्नानुसार हैः-

(₹ करोड़ में)

आय की प्रकृति		रकम
1	जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	3.28
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	2.47
3	म्युचूअल फंड उत्पाद के विक्रय हेतु	0.57
4	अन्य (विवरण दें)	शून्य

5. कारोबारी अनुपातः

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
(i) कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	7.92%	7.50%
(ii) कार्यकारी निधियों से अब्याजी आय का प्रतिशत	0.76%	0.94%
(iii) कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.22%	1.29%
(iv) आस्तियों पर आय	0.47%	0.70%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	8.25	7.62
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	2.38	3.21

6. आस्ति देयता प्रबंधनः

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति

4.10 **Details of floating provisions**

(₹ in Crore)

Items	31.03.2011	31.03.2010
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.11 **Bancassurance Business**

The income earned under Bancassurance is ₹ 6.32 Crore (₹ 4.48 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

Nature of Income		Amount
1	For selling life insurance policies	3.28
2	For selling non-life insurance policies	2.47
3	For selling mutual fund products	0.57
4	Others (specify)	0.00

5. Business Ratios

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds.	7.92%	7.50%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.76%	0.94%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.22%	1.29%
(iv) Return on Assets	0.47%	0.70%
(v) Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	8.25	7.62
(vi) Profit per Employee (₹ in lakh)	2.38	3.21

6. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 & up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	339.96	4007.22	1959.94	2140.62	7063.86	4965.94	9363.40	35628.80	880.50	494.50	66844.74
अग्रिम Advances	980.19	499.18	852.41	759.10	4896.16	2044.75	3160.34	22327.12	6204.00	5764.16	47487.41
निवेश Investments	24.88	271.82	117.48	212.80	219.42	298.60	111.18	1719.07	3127.05	16512.21	22614.51
उधार Borrowings	0.00	0.00	0.00	0.00	19.24	23.64	47.00	287.58	0.07	0.01	377.54
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	452.20	17.44	53.61	874.97	1471.69	846.13	436.00	0.00	0.00	13.10	4165.14
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	434.44	69.31	22.58	992.80	1390.86	836.21	382.40	30.55	13.07	0.00	4172.22

उक्त का संकलन प्रबंधन द्वारा दिया गया है जिस पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है. The above is compiled by the management and relied upon by the Auditors.

7. जमा व अग्रिमों का जमाव, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियां

7.1 **जमाराशियों का जमाव**

(₹ करोड़ में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	7407.83
बैंक की कुल जमाराशियों से 20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	11.08%

7.2 **अग्रिमों का जमाव**

(₹ करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	9902.63
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	20.85%

7.3 **विगोपनों का जमाव**

(₹ करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल विगोपन	11364.54
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से 20 बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	20.35%

7.4 **अनर्जक आस्तियों का जमाव**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	114.69

7.5 **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां**

अ. क्र.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों से अनर्जक अग्रिमों का प्रतिशत
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	6.68%
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़े	3.63%
3	सेवाएं	7.83%
4	वैयक्तिक ऋण	24.47%

7.6 **सकल अनर्जक अग्रिमों की गतिशीलताः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2010 को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	1209.79
वर्ष के दौरान परिवर्धन	699.15
उप जोड़ (क)	1908.94
घटाईए :	
(i) कोटिउन्नयन	107.70
(ii) वसूली (कोटिउन्नत खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	277.70
(iii) बट्टे खाते में डाली गई रकम	349.84
उप जोड़ (ख)	735.24
31 मार्च 2011 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष)(क-ख)	1173.70

7.7 **विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व**

(₹ करोड़ में)

विवरण	रकम
कुल आस्तियां	69.65
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य
कुल राजस्व	0.25

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 **Concentration of Deposits**

(₹ in Crore)

Total Deposits of Twenty largest Depositors	7407.83
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	11.08%

7.2 **Concentration of Advances**

(₹ in Crore)

Total Advances of Twenty largest borrowers	9902.63
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	20.85%

7.3 **Concentration of Exposure**

(₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	11364.54
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	20.35%

7.4 **Concentration of NPAs**

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	114.69

7.5 **Sector-wise NPAs**

S.N.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	6.68%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.63%
3	Services	7.83%
4	Personal Loans	24.47%

7.6 **Movement of Gross NPAs**

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1st April 2010 (Opening Balance)	1209.79
Additions during the year	699.15
Sub-total (A)	1908.94
Less:	
(i) Upgradations	107.70
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	277.70
(iii) Write-offs	349.84
Sub-Total (B)	735.24
Gross NPAs s on 31st March 2011 (Closing Balance) (A-B)	1173.70

7.7 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	69.65
Total NPAs	NIL
Total Revenue	0.25

7.8 **तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी**
(लेखा मानदंडों के अनुसार जिन्हे समेकित करना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

8. विगोपनः

8.1 **स्थावर संपदा क्षेत्र में विगोपन**

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2011	31.03.2010
क. प्रत्यक्ष विगोपन	5409.20	5201.20
i) आवासीय बंधक जिससे ₹ 20.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ताओं द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं.	4599.38 3267.04	3760.58 3028.05
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-आवासीय भवन, अधिक किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं.	809.82	1440.62
iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
ख) अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश विगोपन	2625.01	2882.57
स्थावर संपदा क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	**8034.21**	**8083.77**

8.2 **पूंजी बाजार में विगोपन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i) ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है.	96.62	121.62
ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडो में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	0.10	0.38
iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	1.60	5.78
iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	7.33	शून्य

7.8 **Off-balance sheet SPVs sponsored**
(Which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

8. Exposures:

8.1 **Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in Crore)

Category	31.03.2011	31.03.2010
a) Direct exposure	5409.20	5201.20
(i) Residential Mortgages – Out of which Loans up to ₹ 20 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	4599.38 3267.04	3760.58 3028.05
(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	809.82	1440.62
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2625.01	2882.57
Total Exposure to Real Estate Sector	**8034.21**	**8083.77**

8.2 **Exposure to Capital Market**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	96.62	121.62
ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.10	0.38
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	1.60	5.78
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	7.33	Nil

v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	103.45	63.59
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों / बॉण्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी निवेश	21.64	17.68
पूंजी बाजार में कुल निवेश	**230.74**	**209.05**

8.3 **जोखिम श्रेणीवार देश निवेश**

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2011 को निवेश (निवल)	31.03.2011 को धारित प्रावधान	31.03.2010 को निवेश (निवल)	31.03.2010 को धारित प्रावधान
नगण्य	738.50	0.00	752.19	0.00
कम	647.29	0.00	462.22	0.00
साधारण	90.22	0.00	101.52	0.00
उच्च	9.28	0.00	16.18	0.00
अति उच्च	36.55	0.00	0.00	0.00
प्रतिबंधित	10.17	0.00	17.00	0.00
ऋणेतर	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1532.01	0.00	1349.11	0.00

हर देश के लिए बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन दिनांक 31.03.2011 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः दिनांक 17.6.2004 के भा.रि.बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.96/21.04.103/2003-04 के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है.

8.4 **बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है.

8.5 **गैर जमानती अग्रिम :**

दिनांक 31.03.2011 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 349.90 करोड़(₹ 338.01 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे. इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2011 को अनुमानित मूल्य ₹ 2208.22 करोड़ (₹ 3164.06 करोड़) है.

8.6 **प्रावधान कवरेज अनुपात :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी. बीसी.64/21.04.048/2009-10 के निर्देशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात का परिकलन किया है जो 65.55 प्रतिशत है. इस अनुपात का परिकलन 31.03.2011 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबकि ऐसे प्रावधान कवरेज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर और 31.03.2011 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो 59.56% निकलते हैं.

v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	103.45	63.59
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	Nil	Nil
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	21.64	17.68
Total Exposure to Capital Market	**230.74**	**209.05**

8.3 **Risk Category wise Country Exposure**

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March 31, 2011	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31, 2010
Insignificant	738.50	0.00	752.19	0.00
Low	647.29	0.00	462.22	0.00
Moderate	90.22	0.00	101.52	0.00
High	9.28	0.00	16.18	0.00
Very High	36.55	0.00	0.00	0.00
Restricted	10.17	0.00	17.00	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1532.01	0.00	1349.11	0.00

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2011, no provision is required in terms of RBI Circular No. DBOD.BP.BC.96/21.04.103 /2003-04 dated 17.06.2004.

8.4 **Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to single borrower or group borrower during the Financial Year 2010-2011.

8.5 **Unsecured Advances:**

Unsecured advances includes ₹ 349.90 crore (₹ 338.01 Crore) as on 31.03.2011 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 2208.22 crore (₹ 3164.06 crore) as on 31.03.2011.

8.6 **Provisioning Coverage Ratio:**

The bank has computed the Provisioning Coverage Ratio (PCR) as required vide Circular No. DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010 dated December 1, 2009 which is 65.55%. This ratio is calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2011 :

Whereas such Provision coverage (PCR) calculated as per RBI Circular No.DP.DC.87/21.04.048/2010-11 dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 and NPA provision as on 31.03.2011 works out to 59.56%

9 विविधः

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31.3.2011	31.3.2010
आयकर हेतु प्रावधान	183.67	102.45

9.2 लाभ-हानि खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2011
अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	342.00
मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	37.58
एएफएस/एचएफटी निवेशों पर मूल्यह्रास	82.31
निवेशों पर प्रावधान	1.42
निधिक ब्याज मीयादी ऋण पर प्रावधान	7.21
करों के लिए प्रावधान	183.67
आस्थगित कर देयता/आस्ति	6.14
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	17.12
उप जोड़ (क)	**677.45**
घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन	
घटायें : आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां	132.38
पुनर्संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	9.05
कृषि ऋण माफी और राहत के लिए प्रावधान(पीवी आधार)	10.66
अन्य मदें	0.72
उप जोड़ (ख)	**152.81**
कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं	**524.64**

9.3 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतर शाखा संव्यवहारों के समाधान/समापन /समायोजन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य लंबित है. जिनके राजस्व पर प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है.

9.4 पिछले वर्ष तक आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी)सम्बंधी विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के अभिनिर्धारण हेतु बैंक द्वारा क्रीम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा था. तथापि वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण की दृष्टि से बैंक ने अपनी सीबीएस प्रणाली को आईआरएसी मापदंडों के अनुसार संशोधित कर लिया है.

9.5 स्थिर आस्तियां -

9.5.1 ₹ 7.00 करोड़ (₹ 8.02 करोड़) के सकल मूल्य के कुछ पुनर्मूल्यांकित परिसरों के संबंध में हक विलेख कतिपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है.

9.5.2 वर्ष 2009-10 में कतिपय परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के लिए ₹ 14.74 करोड़ को पिछले वर्ष पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया जो अब इस पर परिशोधन के परिणामी प्रभाव के साथ ₹ 16.18 करोड़ की राशि से संशोधित किया गया है.

9.5.3 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 12.35 करोड़ (₹ 12.35 करोड़) के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया.

9.5.4 सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर की कुछ मदों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किए जा रहे मूल्यह्रास उसकी लागत से अधिक हो गए. पिछले वर्षों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 0.65 के ऐसे अधिक प्रभार चालू वर्ष के मूल्यह्रास में समायोजित कर लिए गए हैं. यह उक्त राशि द्वारा वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ की वृद्धि का प्रभाव है.

इसी प्रकार, पिछले वर्षों में इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए मूल्यह्रास उच्च दर पर प्रभारित किया गया जो कंपनी अधिनियम 1956 के खंड XIV के अनुसरण हेतु चालू वर्ष में संशोधित कर लिया गया है. किंतु पिछले वर्षों के अतिप्रभार के प्रभाव का अब भी पता लगाया जाना तथा बहियों में प्रभाव दिया जाना बाकी है. प्रबंधन के अभिमत में इनका परिणामी प्रभाव प्रतिकूल/मामूली नहीं है.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provision for Income Tax	183.67	102.45

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011
Provision towards NPA	342.00
Provisions for Standard Assets	37.58
Depreciation on investments in AFS/HFT	82.31
Provision for Investments	1.42
Provision towards FITL	7.21
Provision for taxes	183.67
Deferred Tax Liability/Asset	6.14
Other provision and contingencies	17.12
Sub-total (A)	**677.45**
Less: Write back /adjustments	
Deferred Tax Assets/ Liability	132.38
Provision for Restructured Advances	9.05
Provision for Agriculture Debt Waiver & Relief (PV Basis)	10.66
Other items	0.72
Sub-total (B)	**152.81**
Total Provisions & Contingencies (A-B)	**524.64**

9.3 Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and charge of depreciation on fixed assets and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue, is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

9.4 Till previous year, the Bank was identifying NPAs to comply with Income Recognition, Asset Classification (IRAC) Norms through the CREAM software. However, to comply with the directions of Ministry of Finance, the Bank has now modified its Core Banking Solution (CBS) system with a view to classify NPAs as per IRAC norms.

9.5 Fixed Assets

9.5.1 The title deeds in respect of few revalued premises having cost ₹ 7.00 crore (₹ 8.02 crore) are not yet executed/registered in favor of the bank due to certain long pending legal disputes/formalities.

9.5.2 The revaluation reserve account credited in the previous year by ₹ 14.74 crore for the revaluation in respect of certain premises revalued in 2009-10 has now been rectified to a sum of ₹ 16.18 crore with consequential effect of amortization thereof.

9.5.3 Depreciation for the current year amounting to ₹ 12.35 crore (₹ 12.35 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.

9.5.4 Depreciation on certain items of Computer peripherals & software being charged on straight line method has exceeded the cost thereof. Such excess charge of ₹ 0.65 crore for depreciation charged in earlier years has been adjusted in the current year's depreciation. This has effect of increasing the profit before tax for the year by the said amount.

Similarly, depreciation for electric equipment has been charged at higher rate in earlier years, which had since been corrected in the current year to fall in line with Schedule XIV of Companies Act, 1956. But the impact of overcharge of earlier years is yet to be ascertained and given effect to the books. In the opinion of the management consequential impact of the same is not adverse/ material.

9.6 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई गारंटियों की रकम में ₹ 307.64 करोड़ (₹ 166.83.करोड़) की कालातीत गारंटियों की रकम शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है. ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 9.74 करोड़ (₹ 4.60 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है.

9.7 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹ 0.52 करोड़ (₹ 0.57 करोड़) की रकम शामिल है.

9.8 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया.

9.9 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	2010-11
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	27
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1235
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1214
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	48

9.10 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रं.	विवरण	2010-11
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	2
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	2
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0

9.11 **चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**:

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 572.47 करोड़ के 667 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष ₹582.03 करोड़ के 398 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए.

दिनांक 31.03.2010 को ₹ 183.50 करोड़ के 186 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31.03.2011 को ₹ 272.16 करोड़ के 290 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे.

9.12 **आरक्षित निधियों से आहरणः**

वर्ष 2009-10 के दौरान एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के संबंध में कम राशि अंतरित की गई जिसके लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से उसके दिनांक 14.01.2011 के पत्र क्र. डीबीओडी.बीपी. एनओ. 1132/21.4.141/2010.11 द्वारा अनुमति प्राप्त कर चालू वर्ष में लाभ हानि के खाते के शेष से ₹ 1.75 करोड़ को राजस्व प्रारक्षित निधि में अंतरित किया.

9.13 **ईक्विटी शेयर पूँजी पर लाभांशः**

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए 20 प्रतिशत की दर से एक लाभांश अनुशंसित किया है अर्थात् ₹ 10.00 अंकित मूल्य के प्रति ईक्विटी शेयर पर ₹ 2.00 प्रति शेयर जो भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है.

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सभी अनिवार्य लेखा मानकों का उनके लागू होने की मात्रा तक निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुध्द लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबध्द किया है.

9.6 Contingent Liabilities include expired Guarantees amount to ₹ 307.64 Crore (₹ 166.83 Crore) which has not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 9.74 Crore (₹ 4.60 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions.

9.7 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include ₹ 0.52 Crore (₹ 0.57 cr.) towards unclaimed Share Application Money.

9.8 During the year, Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

9.9 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

Sr. No.	Particulars	2010-11
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	27
(b)	No. of complaints received during the year	1235
(c)	No. of complaints redressed during the year	1214
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	48

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

Sr. No.	Particulars	2010-11
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year.	2
(c)	No. of Awards implemented during the year.	2
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0

9.11 **Letters of Comfort (LOCs)**:

During the current year, 667 trade credits aggregating to ₹ 572.47 Crore (Previous year 398 trade credits aggregating to ₹ 582.03 Crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31.03.2011, 290 trade credits amounting to ₹ 272.16 Crore were outstanding as against 186 Trade Credits amounting to ₹ 183.50 Crore as on 31.03.2010.

9.12 **Draw Down from Reserve:**

Pursuant to RBI permission vide its letter no. DBOD. BP.No.1132/21.04.141/2010-11 Dt.14.01.2011, the bank has transferred an amount of ₹ 1.75 crore in the current year from the balance of profit and loss to capital reserve, being short amount transferred during 2009-10 in respect of profit on sale of securities in HTM category.

9.13 **Dividend on Equity Share Capital**

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @ 20% for the year, i.e. ₹ 2.00 per equity share of face value of ₹ 10/- each, which is subject to approval of Government of India.

10. The Bank has complied with the mandatory Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

10.2 **लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है.

10.3 **लेखा मानक 15 - कर्मचारियों के लाभ**

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने उन कर्मचारियों के लिए जिन्होने पहले पेंशन योजना का विकल्प नही लिया था उनके लिए पेंशन विकल्प खोला. परिणामस्वरूप इस द्वितीय पेंशन विकल्प (4101 कर्मचारी) के अनुसरण में बैंक ने ₹ 375.24 करोड़ की देयता उठाई.इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान बैंक ने उपदान भुगतान अधिनियम1972 के संशोधन के अनुसरण में बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा में भी वृद्धि की गई थी परिणामस्वरूप बैंक की उपदान देयता में ₹ 137.14 करोड़ की वृद्धि हुई.

लेखा मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के तारतम्य मे संपूर्ण राशि ₹ 512.38 करोड़ (अर्थात ₹ 375.24+₹ 137.14)को ला/हा खाते में प्रभारित किया जाना अपेक्षित है. तथापि भा.रि.बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प को पुनः खोलने और उपदान सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार पर 9 फरवरी 2011 को एक परिपत्र क्रं. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया. उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप बैंक ने ₹ 512.38 करोड़ की राशि को पांच वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 102.48 करोड़ (₹ 512.38 करोड़ के 1/5 भाग) ला/हा खाते में प्रभारित किये जा चुके हैं. उपर्युक्त भा.रि.बैंक के परिपत्र की अपेक्षाओं के संदर्भ में आगे ले जाई गई शेष राशि अर्थात ₹ 409.90 करोड़ (₹ 512.38 करोड़ - ₹ 102.48 करोड़) में सेवानिवृत्त कर्मचारी/अलग हुए कर्मचारियों से संबंधित किसी राशि को शामिल नही किया गया है. उक्त अपरिशोधित राशि और अनुरूप देयता का तुलन पत्र में क्रमशः अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां और अनुसूची 5- अन्य देयताएं के भाग के रूप में प्रकटन किया गया है.

किंतु भा.रि.बैंक द्वारा दिए गए उपर्युक्त रियायत के लिए बैंक का लाभ (कर का निवल) एएस 15 की अपेक्षाओं के अनुप्रयोग के अनुसार ₹ 273.74 से कम होता है साथ ही वित्तीय विवरणों के अन्य घटकों जिसमें लेखांकन के लिए प्रावधानों पर, लेखा मानक(एएस 22) के अनुसार आस्थगित कर, अमूर्त आस्तियां (एएस 26) सांविधिक / अन्य राजस्व हेतु अंतरण और प्रति शेयर आय (एएस 20) और पूँजी पर्याप्तता अनुपात शामिल है पर परिणामी प्रभाव भी होता है जिसके परिणामी प्रभाव का पता नही लगाया जा सका.

बैंक लेखा मानक एएस-15 (संशोधित 2005) - 'कर्मचारी लाभ' का अनुपालन कर रहा है.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कर्मचारियों को प्रदत्त/निर्धारित विभिन्न लाभों का परिकलन निम्नानुसार किया हैः

अ. परिभाषित अंशदान योजनाएं और लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकमः

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
क) भविष्य निधि	19.72	25.84
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	15.00	8.00

ब. निश्चित लाभ योजनाएँ –

क) पेंशन योजना में अंशदान

ख) कर्मचारी उपदान में अंशदान

ग) छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति

घ) पुर्नस्थापन भत्ता

च) छुट्टी किराया रियायत

छ) रजत जयंती पुरस्कार

10.2 **Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realisation basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 **Accounting Standard 15 - Employees' Benefits.**

During the year the Bank has reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by second pension optees (4101 employees), the bank has incurred a liability of ₹ 375.24 crore. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the Banks was also enhanced pursuant to the amendment to Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 137.14 crore.

In terms of the requirement of the Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits, the entire amount of ₹ 512.38 crore (i.e. ₹ 375.24 + ₹ 137.14) is required to be charged to the Profit & Loss Account. However, the RBI has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-2011 on Reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit – prudential regulatory treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said circular, the Bank would amortize the amount of ₹ 512.38 crore over the period of Five years. Accordingly, ₹ 102.48 crore (representing 1/5th of ₹ 512.38 crore) has been charged to the Profit & Loss Account during the financial year 2010-11. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 409.90 crore (₹ 512.38 crore – ₹ 102.48 crore) does not include any amounts relating to separated/retired employees. The said unamortized amount and the corresponding liability have been disclosed as part of 'Schedule 11 -Other Assets' and 'Schedule 5 - Other Liabilities' respectively in the Balance Sheet.

But for the above relaxation given by the RBI, the profit (net of tax) of the Bank would have been lower by ₹ 273.74 pursuant to application of the requirements of AS-15,also having consequential effect on other components of the financial statements, including on provision for taxation, Deferred Tax as per Accounting Standard (AS 22), Intangible Assets (AS 26), the transfer to Statutory/other reserves, Earnings Per Share (AS 20) and Capital Adequacy Ratio, which consequential effect has not been ascertained.

The Bank is following AS 15 (Revised 2005) - 'Employee Benefits'. The Bank has calculated various benefits provided / recognized to employees as under for FY 2010-2011:

A. Defined Contribution plans and amount recognized in Profit and Loss account.

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
a. Provident Fund	19.72	25.84
b. Contribution to staff welfare –welfare fund contingency	15.00	8.00

B. Defined Benefit Plans –

a. Contribution to Pension Plan

b. Contribution to Employees' gratuity fund

c. Leave Encashment/ Compensated Absence

d. Resettlement Allowance

e. Leave Fare Concession

f. Silver Jubilee Award

खातों में प्रमुख निश्चित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और उनकी निधिक स्थिति जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में निम्नानुसार हैः

The summarized position of major defined benefits in the accounts and their funded status as per actuarial valuation at the year end is as under:

क) तुलन पत्र में निर्धारित रकम

a) The amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं Defined Benefit Pension Plans		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं Defined Benefit Gratuity Plans		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण Defined Benefit Leave Encashment	
		31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10
1.	निधिक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of funded obligations	2156.79	1174.36	443.49	295.06	178.11	134.36
2.	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	1605.09	1162.08	332.50	278.76	NA	NA
3.	गैरनिधिक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of unfunded obligations.	-551.70	-12.28	-110.99	-16.30	-178.11	-134.87
4.	तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability Recognized in Balance Sheet	551.70	12.28	110.99	16.30	178.11	134.87

ख) लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकमः

b) The amounts recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं Defined Benefit Pension Plans*		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं Defined Benefit Gratuity Plans*		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण Defined Benefit Leave Encashment	
		31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10
1.	वर्तमान सेवा लागत Current service cost	47.41	42.40	18.40	2.42	23.85	8.26
2	पूर्व सेवा लागत Past service cost			137.14			
3.	बाध्यता पर ब्याज Interest on obligation	95.25	91.74	22.87	21.84	10.94	-
4.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	98.78	-89.88	23.44	-21.16	-	-
5.	वर्ष में निर्धारित निवल जीवनांकिक हानियां (लाभ) Net actuarial losses/ (gains) recognized in year	940.18	-12.82	18.88	7.08	20.44	-
6.	लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित 'कर्मचारी लागत' में शामिल खर्चे* Expenses included in 'staff costs' recognized in Profit and Loss Account*	363.87	31.44	64.15	10.18	55.23	8.26

*उपर्युक्त में परिशोधित की जाने वाली उपदान और पेंशन की वर्धित देयताओं का 4/5 भाग शामिल नही करता है और अन्य आस्तियां शीर्ष के अंतर्गत दिखता है.

*The above excludes 4/5th of enhanced liability of pension and gratuity being amortized and appears under the head "other assets"

ग) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता की गतिशीलता

c) Movement in the net liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं (निधिक) Defined Benefit Pension Plans (Funded)		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं (निधिक) Defined Benefit Gratuity Plans (Funded)		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण (गैरनिधिक) Defined Benefit Leave Encashment (Unfunded)	
		31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10
1.	वर्ष के प्रारंभ में निवल देयता Net liability at start of the year	1174.36	1145.22	295.06	280.03	134.36	126.10
2.	ब्याज लागत Interest Cost	95.25	91.70	22.87	21.84	10.94	-
3	पूर्व सेवा लागत Past service cost	-	-	137.14	-	-	-
4.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	47.41	42.40	18.40	2.42	23.85	8.26
5.	अदा किये गये लाभ Benefit Paid	-107.80	-81.76	-52.00	-18.81	-11.48	-
6.	जीवनांकिक लाभ/ (हानि) Actuarial loss/ (gain)	947.57	-23.24	22.02	9.58	20.44	-
7.	वर्ष के अंत में निवल देयता Net liability at end of the year	2156.79	1174.36	443.49	295.06	178.11	134.36

घ) तुलन पत्र के दिनांक को मूल जीवनांकिक मान्यताएँ
(धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

क्र. सं.	विवरण	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं	निश्चित लाभ उपदान योजनाएं	निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण
1	31 मार्च 2011 को भंजित दर	8.50%	8.50%	8.50%
2	31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	8.50%	8.50%	8.50%
3.	भावी वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%

ड़) वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ व हानि लेखे में वर्ष के अंत के जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित 'कर्मचारी निश्चित लाभ' का निर्धारण किया

(₹ करोड़ में)

विवरण	लाभ व हानि लेखे में निर्धारित	
	31.03.11	31.03.10
पुर्नस्थापन भत्ता	-1.50	1.18
छुट्टी किराया रियायत	11.75	1.47
रजत जयंती पुरस्कार	0.00	0.00

d) Principal actuarial assumptions at the balance sheet date (expressed as weighted averages)

Sr. No.	Particulars	Defined Benefit Pension Plans	Defined Benefit Gratuity Plans	Defined Benefit Leave Encashment
1.	Discount rate at 31 March 2011	8.50%	8.50%	8.50%
2.	Expected return on plan assets as at 31 March 2011	8.50%	8.50%	8.50%
3.	Future salary escalation	5.00%	5.00%	5.00%

e) During the year the Bank has recognized in the Profit and Loss account, following 'Other Employees Defined Benefits' as per Actuarial valuation at the year-end:

(₹ in Crore)

Particulars	Recognised in Profit & Loss Account	
	31.03.11	31.03.10
Resettlement Allowance	-1.50	1.18
Leave Fare Concession	11.75	1.47
Silver Jubilee Award	0.00	0.00

10.4 **लेखा मानक 17- क्षेत्र रिपोर्टिंग**

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है:

भाग-अ : व्यवसाय क्षेत्र

10.4 **Accounting Standard 17- Segment Reporting**

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments →	खजाना Treasury		संस्थागत/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-2010	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
आय Revenue	1646.19	1601.23	2640.82	2128.45	1737.74	1552.12	69.20	45.01	6093.95	5326.81
परिणाम Result	183.89	340.28	136.56	108.10	40.13	113.05	32.99	15.39	393.57	576.82
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									5.75	8.00
परिचालन लाभ Operating profit									387.82	568.82
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									57.43	129.25
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									330.39	439.57
अन्य जानकारियाँ Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	23022.97	22894.33	32133.22	27066.10	15353.30	13823.63	4747.20	5968.59	75256.69	69752.65
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									1207.47	1321.24
कुल आस्तियां Total assets									76464.16	71073.89
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	22690.04	21453.30	30053.96	27820.49	14359.82	14208.92	5220.62	4613.94	72324.44	68096.65
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									168.80	118.83
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									3970.92	2858.41
कुल देयताएं Total liabilities									76464.16	71073.89

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली सम्बंधित आय शामिल हैं.

ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है.

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है.

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

उपर्युक्त प्रकटन प्रबंधन द्वारा समेकित अभिलेखों/जानकारी पर आधारित हैं जिन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

भाग खः भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.5 **लेखा मानक 18- सम्बंधित पक्ष प्रकटन**

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

(क) सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंधः

(अ) बैंक की अनुषंगी कंपनी – दी महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

(ब) बैंक की सहायक संस्था – महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

(1) श्री. अनूप शंकर भट्टाचार्य, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.10.2010 से)

(2) श्री. अलेन सी. ए. पिरेरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (04.06.2008 से 30.09.2010 तक)

(3) श्री. मधुकांत जी. संघवी, कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 से)

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार (महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.11	31.03.10
वेतन और भत्ते	0.25	0.28

चूँकि बैंक, उसकी अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में हैं अतः एएस 18 की अपेक्षाओं के अनुसार उनसे किये जाने वाले संव्यवहारों के सम्बंध में किसी भी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

10.6 **लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन**

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मूल/अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	₹ 6.86	₹ 10.21
मूल/अनुकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
मूल/अनुकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क) कर उपरान्त निवल लाभ (₹ लाख में)	29588.46	43957.68
ख) ईक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	4313.61	4305.20
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन (क) विभाजित (ख) द्वारा	₹ 6.86	₹ 10.21
घ) प्रति शेयर कल्पित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income therefrom.

b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i) Total average annual turnover is less than ₹ 50 Crore and

ii) No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii) The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.5 **Accounting Standard 18 – Related party disclosures**

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

(1) Shri Anup Sankar Bhattacharya, Chairman & Managing Director (from 1.10. 2010)

(2) Shri Allen C. A. Pereira, Chairman & Managing Director (from 04.06.2008 to 30.09.2010)

(3) Shri Madhukant G. Sanghvi, Executive Director (from 15.10.2008)

(B) Transactions with Related parties

(₹ in crore)

Particulars	31.03.11	31.03.10
Salary & Allowances	0.25	0.28

Since the bank, its subsidiary and associate are state controlled, no disclosures are required to be made pertaining to the transactions with them in accordance with AS 18.

10.6 **Accounting Standard 20 – Earnings per Share**

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Basic /	₹ 6.86	₹ 10.21
Diluted E.P.S.		
Calculation of Basic/Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and preference dividend plus dividend tax thereon (₹ in lakh)	29588.46	43957.68
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in lakhs)	4313.61	4305.20
c) Basic Earning per share [(a) divided by (b)]	₹ 6.86	₹ 10.21
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.7 **लेखा मानक 22 – आय पर करों का लेखांकन**

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
आस्थगित कर आस्तियां		
1) अशोध्य और संदिग्ध प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के रूप में	133.89	80.42
2) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	6.95	0.00
3) लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	173.35	61.90
4) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है	112.14	153.92
कुल	426.33	296.24
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	21.95	18.10
कुल	**21.95**	**18.10**
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियां) में दर्शाई गई निवल आस्थगित कर आस्ति	**404.38**	**278.14**

वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान करते समय आयकर अधिनियम 1961 के खंड 115 जेबी के प्रावधानों के अनुसार बैंकों मे एमएटी के अप्रयोज्य होने के संबंध में आईटीएटी मुंबई के हाल के निर्णय की दृष्टि से न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) के कारण कर देयता विचारार्थ नही ली गई है.

10.8 **लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोग अवधि – 3 वर्ष

परिशोधन दर – 33.33%

परिशोधन पध्दति – लागत पर सीधी रेखा

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	11.24	11.32
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	2.97	5.54
वर्ष के दौरान परिशोधन	10.20	5.62
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	4.01	11.24

10.9 **लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना**

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई है. इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

10.10 **लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां**

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

11. चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को समूहबध्द/पुनःवर्गीकृत किया गया.

बेसल II (पिलर 3) प्रकटन

सारणी डीएफ-1 अनुप्रयोग की व्याप्ति

गुणात्मक प्रकटन

क) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

ख) लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों हेतु समेकन के आधार पर फर्कों की रूपरेखा, समूह के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण सहित.

10.7 **Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

The bank has accounted for current tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts	133.89	80.42
2) On account of depreciation on fixed assets	6.95	0.00
3) On account of provisions for Employees' benefits as per AS-15 (Revised)	173.35	61.90
4) Other Provisions where DTA is created	112.14	153.92
Total	426.33	296.24
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1)(viii)	21.95	18.10
Total	**21.95**	**18.10**
Net Deferred Tax Asset-shown in Schedule 11 (Other Assets)	**404.38**	**278.14**

While making provision for Income tax for the year tax liability due to Minimum Alternate Tax (MAT) as per provisions of section 115 JB of Income Tax Act 1961, has not been considered in view of recent decision of ITAT, Mumbai regarding non applicability of MAT to Banks.

10.8 **Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.**

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Software at the beginning of the year	11.24	11.32
Software acquired during the year	2.97	5.54
Amortization during the year	10.20	5.62
Net carrying amount at the end of the year	4.01	11.24

10.9 **Accounting Standard 28- Impairment of Assets**

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.10 **Accounting Standard 29– Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

BASEL II (PILLAR 3) DISCLOSURE

TABLE DF-1-SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures

a. The name of the top Bank in the group to which the frame work applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group.

i) जो पूर्णतः समेकित हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र समूह का शीर्ष बैंक है जिस पर नई पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू होती है. बैंक की निम्नानुसार केवल एक सहायक संस्था हैः

सहायक संस्था का नाम	:	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
निगमन का देश	:	भारत
स्वामित्व का अनुपात	:	100 प्रतिशत

उक्त संस्था का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 के अनुसार किया गया है.

तथापि बासल- 2 के अंतर्गत सीआरएआर के परिकलन के लिए, उपर्युक्त अनुषंगी इकाई में निवेश को छूट देते हुए निवेश में समेकित नही किया गया है क्योकि यह वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला एकक नही है.

ii) जिनका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है.

समूह में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है.

iii) जिन पर कटौती व्यवहार लागू है.

1. संस्था का नाम	:	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
2. संस्था का नाम	:	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
निगमन का देशा	:	भारत
स्वामित्व का अनुपात	:	35%

(भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.07.2009 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र में प्रायोजित मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक को आपस में मिलाकर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया. इस बैंक का मुख्यालय नांदेड में है.)

उक्त संस्थाओं का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है.

iv) जो न तो समेकित हैं और न ही कटौती के अन्तर्गत (उदा. जहां निवेश जोखिम-धारित है) – शून्य

मात्रात्मक प्रकटन

ग) समेकन में न आने वाली सभी सहायक संस्थाओं में पूंजी अभाव की कुल रकम अर्थात जिनमें कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम - शून्य

घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल रकम(चालू बही मूल्य) जो जोखिम-धारित हैं तथा उनके नाम, उनके निगमन या आवास का देश, हित के स्वामित्व का अनुपात और, यदि अलग हो तो, इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अतिरिक्त इस पध्दति के उपयोग बनाम कटौती पध्दति के उपयोग के विनियामक पूंजी पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव- शून्य.

सारणी-डीएफ -2- पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

क) सभी पूंजीगत निवेशों, विशेषकर टियर I या अपर टियर II में समाविष्ट करने हेतु पात्र पूंजीगत लिखतों के मामले में मुख्य बातों से सम्बंधित शर्तों की संक्षिप्त जानकारी.

बैंक की पूंजी संरचना में ईक्विटी, प्रारक्षितियां व अधिशेष तथा नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड शामिल हैं. चालू वर्ष के दौरान बैंक में भारत सरकार ने निम्नानुसार पूँजी लगाई हैः

भारत सरकार ने बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर्स (पीएनसीपीएस)के माध्यम से ₹ 588 करोड़ की पूँजी लगाई है. परिणामस्वरूप 12.08.2010 को प्रति पीएनसीपीएस ₹ 10,00,000 की दर से बैंक को 5880 पीएनसीपीएस आबंटित किए गए हैं. 100 आधार अंकों के प्रसार के साथ पीएनसीपीएस पर कूपन रेपो दर हेतु बेंचमार्क है जो संबंधित दिनांक को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक रूप से पुनर्समायोजित किए गए हैं.

भारत सरकार ने मार्च 2011 में ईक्विटी शेयर्स के माध्यम से ₹ 352.00 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लगाई है जिसका अनुमोदन विशेष संकल्प पारित करके शेयर धारकों द्वारा 23.03.2011

i) that are fully consolidated

Bank of Maharashtra is the top bank in the group to which the new capital adequacy frame-work applies. The bank has only one subsidiary as under:

Name of the subsidiary	:	The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation	:	India
Proportion of ownership	:	100%

The above subsidiary is consolidated as per "Accounting Standard 21" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

However for computing CRAR under Basel-II, the investment in above subsidiary is given deduction treatment and is not consolidated as the subsidiary is not a financial services entity.

(ii) that are pro-rata consolidated

There is no entity in the group which is consolidated on pro-rata basis.

(iii) that are given a deduction treatment;

1. Name of the subsidiary	:	The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
2. Name of the Associate	:	Maharashtra Gramin Bank.
Country of Incorporation	:	India
Proportion of ownership	:	35%

(As per the notification dt.20.07.2009 issued by the Government of India, Marathtwada Gramin Bank and Maharashtra Godavari Gramin Bank sponsored by Bank of Maharashtra in the State of Maharashtra are amalgamated in to a single Regional Rural Bank which is "Maharashtra Gramin Bank" with its head office at Nanded.)

The above entity is consolidated as per "Accounting Standard 23" issued by ICAI

(iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted) - Nil

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries – Nil

d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction – Nil

TABLE DF - 2- CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

The Capital Structure of the Bank comprises Equity, Preference shares, Reserves & Surplus and Innovative Perpetual Bonds. The Government of India has infused capital in the banks during the current year as under:

The Government of India (GOI) has infused ₹ 588 Crore through Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS). Consequently the bank has allotted, 5880 PNCPS @ ₹ 10,00,000 per PNCP each, on 12/08/2010. The coupon on PNCPS is benchmark to REPO rate with spread of 100 basis points, to be readjusted annually, based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

The GOI further infused ₹ 352.00 Crore through equity shares in March 2011, which was approved in the Extra-ordinary General meeting, held on

को हुई अभूतपूर्व सामान्य बैठक में हुआ. ईक्विटी शेयरों का आबंटन 26.03.2011 को भारत सरकार को अधिमानित आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 68.76 (प्रति शेयर ₹ 10.00 का अंकित मूल्य + ₹ 58.76 प्रीमियम प्रति शेयर) प्रति शेयर पर किया गया. परिणामस्वरूप भारत सरकार को ₹ 10 प्रत्येक के 5,11,92,553 ईक्विटी शेयर आबंटित किए गए और ईक्विटी में भारत सरकार का शेयर प्रतिशत 76.77 प्रतिशत से बढ़कर 79.24 प्रतिशत हो गया. बैंक ने भारत सरकार को ईक्विटी के आबंटन पर ₹ 300.81 करोड़ (₹ 58.76 प्रति शेयर) का प्रीमियम भी प्राप्त किया.

बैंक ने टियर II पूंजी में शामिल करने हेतु नवोन्मेष बेमियादी बॉण्ड (टियर I पूंजी) और अन्य पात्र बॉण्ड भी शामिल किये हैं. बॉण्डों की कुछ शर्तें निम्नानुसार हैं.

23.03.2011, by the equity shareholders through special resolution passed. The allotment of equity shares were made on 26.03.2011 to the Government of India at ₹ 68.76 per share (Face value of ₹ 10.00 per share plus ₹ 58.76 premium per share) as per SEBI guidelines regarding issue of equity shares on preferential basis. Consequently, 5,11,92,553 equity shares of ₹ 10/- each were allotted to the Government of India and percentage share of Government of India in equity increased from 76.77% to 79.24%. The bank has also received premium of ₹ 300.81 crore (₹ 58.76 per share) on allotment of equity to Government of India.

The Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier I capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier II capital. Some of the important terms and conditions of the bonds are given below:

i) पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय बेमीयादी गौण बॉण्ड (टियर I पूंजी)
Fully Paid Up Unsecured, free of any restrictive clause Non- Convertible Subordinated Perpetual Bonds (Tier I Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	31 जुलाई 2007	225.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.65% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए 11.15% की बढी हुई कूपन दर.	बेमीयादी	मांग विकल्प- दिनांक 31.07.2017 को या उसके बाद हर वर्धापन दिन को (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं
	31st July 2007	225.00	10.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank on 31.07.2017, the step up coupon rate of 11.15% p.a. for subsequent years.	Perpetual	Call Option- at par on 31.07.2017 or thereafter on each anniversary date (with prior approval of RBI) Put Option-None
II	30 सितंबर 2009	70.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.25% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 30.09.2019 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए से 9.75% की बढी हुई कूपन दर.	बेमीयादी	मांग विकल्प- दिनांक 30.09.2019 को या उसके बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं
	30th Sept 2009	70.00	9.25% p.a. for first 10 Years, If call option is not exercised by the Bank on 30.09.2019 the step up coupon rate of 9.75% p.a. for subsequent years.	Perpetual	Call Option- at par on 30.09.2019 or thereafter (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन है Call options subject to RBI guidelines

ii) पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ प्रतिदेय गौण बॉण्ड (अपर टियर II पूंजी)
Fully paid up, Unsecured, Free of any restrictive clause Redeemable with prior approval of RBI, Subordinated Bonds (Upper Tier II Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	14 अक्टूबर 2006	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.10% प्रति वर्ष की बढी हुई दर.यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 14 अक्टूबर 2016 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.60% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	14th October 2006	300.00	9.10% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised after 10 years by the Bank from the date of allotment, the bonds shall carry step up coupon rate of 9.60% p.a. for the remaining period of 5 years from 14th October 2016.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
II	21 मार्च 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.90% प्रति वर्ष.यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 21मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.40% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा. रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	21st March 2007	200.00	9.90% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.40% p.a. for the remaining period of 5 years from 21st March 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
III	30 मार्च 2007	150.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	30th March 2007	150.00	10.25% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.75% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th March 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
IV	19 जुलाई 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.35% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 19 जुलाई 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.85% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	19th July 2007	200.00	10.35% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.85% p.a. for the remaining period of 5 years from 19th July 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
V	30 सितंबर 2009	100.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.95% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 सितंबर 2019 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.45% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	30th September 2009	100.00	8.95% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.45% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th September 2019.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
VI	1 फरवरी 2010	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.65% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 1 फरवरी 2020 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.15% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	1st February 2010	300.00	8.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.15% p.a. for the remaining period of 5 years from 1st February 2020.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन Call options subject to RBI guidelines

iii) पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय प्रतिदेय गौण बॉण्ड (टियर II पूंजी)

Fully Paid-up, Unsecured, Free from Restrictive Clause, Non Convertible Redeemable Subordinated Bonds (Tier II Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि (महीने में) Tenor	अन्य महत्वपूर्ण नियम व शर्तें Other Important Terms and conditions
VI (a)	19 जनवरी 2006	200.00	7.50% अर्ध्दवार्षिक	84 माह	बॉण्ड पूर्णतः प्रदत्त, गैर जमानती, किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त और प्रतिदेय हैं. इस प्रकार के टियर II बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा. बॉण्ड केवल भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से केवल परिपक्वता पर ही प्रतिदेय हैं.
	19th January 2006	200.00	7.50% semi-annually	84 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such Tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि (महीने में) Tenor	अन्य महत्वपूर्ण नियम व शर्तें Other Important Terms and conditions
VI (ख)	1 मार्च 2006	200.00	7.70% अर्ध-वार्षिक	84 माह	बॉण्ड पूर्णतः प्रदत्त, गैर जमानती, किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त और प्रतिदेय हैं. इस प्रकार के टियर II बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा. बॉण्ड केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से केवल परिपक्वता पर ही प्रतिदेय हैं.
	1st March 2006	200.00	7.70% semi-annually	84 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such Tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VII	25 जुलाई 2006	225.00	9.45% प्रतिवर्ष	120 माह	बॉण्ड पूर्णतः प्रदत्त, गैर जमानती, किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त और प्रतिदेय हैं. इस प्रकार के टियर II बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा. बॉण्ड केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से केवल परिपक्वता पर ही प्रतिदेय हैं.
	25th July 2006	225.00	9.45% p.a.	120 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such Tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VIII	15 जनवरी 2008	200.00	9.20% प्रतिवर्ष	123 माह	ये बॉण्ड आपस में बगैर किसी वरीयता के बैंक की प्रत्यक्ष, गैरजमानती व गौण प्रतिबध्दताओं से युक्त होंगें. ये बॉण्ड केवल भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से परिपक्वता पर प्रतिदेय हैं.
	15th January 2008	200.00	9.20% p.a.	123 months	Bonds would constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the bank without any preference among themselves. The bonds are redeemable on maturity only with the prior approval of RBI.
IX	30 सितंबर 2009	130.00	8.74% प्रतिवर्ष	115 माह	अन्य लेनदारों के दावों के साथ जोड़ा गया है ये बॉण्ड भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना या धारक की पहल पर प्रतिदेय नही हैं. मांग या विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	30th September 2009	130.00	8.74% p.a.	115 months	Subordinated to the claims of other creditors, shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI. There is no call and put option.

सारणी-डीएफ-3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क) चालू व भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु बैंक के दृष्टिकोण पर विवेचन का सारांशः

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के अधीन है. ऋण विगोपन या कारोबार में होने वाली हानि की जोखिम से सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता बनाई रखी गई है ताकि जमाकर्ताओं और साधारण लेनदारों को इस प्रकार की हानियों से बचाया जा सके. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया(आईसीएएपी) संरचना निर्मित की और अपनाई है बैंक की पूँजी आवश्यक्ताओं का निर्धारण और पुनरीक्षा आवधिक अंतराल पर की जाती है.

बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाईल से संबंधित समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए अपनी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया इस बात का आश्वासन उपलब्ध करती है कि बैंक के पास उसके कारोबार से संबंधित सभी जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी है और कारोबारी प्रोफाईल के अनुसार बैंक ने उचित सुरक्षित पूंजी बनाई रखी है. बैंक के पास कारोबार में होने वाली भावी वृध्दि के लिए पूंजी बनाए रखने की नीति है ताकि सतत आधार पर आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाई रखी जा सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता संरचना - बासल II के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात के परिकलन के लिए बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत मीयादी दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए मानकिकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है.

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता हेतु विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमाः

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी हेतु निम्नलिखित में से उच्चतम रकम की शर्त रखी गई है

TABLE DF-3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

The bank is subjected to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI. Adequate capital is maintained by the Bank as a cushion for covering the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against such losses. The Bank has evolved and put in place a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of bank's capital requirements are carried out at periodical intervals.

The Bank has a process for assessing its overall Capital Adequacy in relation to its risk profile and the process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks in its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis.

In line with the guidelines of the RBI, the Bank has adopted the Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing Capital Adequacy Ratio under New Capital Adequacy Framework- Basel II.

Prudential floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New capital adequacy Framework issued by RBI stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank.

क) ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बेसल II मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी

ख) ऋण और बाजार जोखिमों हेतु बेसल I मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 80%

बेसल I मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2011 को बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी बेसल I मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 80% अर्थात ₹ 3486.45 करोड़ है और बेसल II मानदंडों के अनुसार ₹ 3800.91 करोड़, दोनो में से जो अधिक है, वह

किन्तु 31 मार्च 2011 को बैंक द्वारा रखी गई वास्तविक पूंजी (टियर I और टियर II) ₹ 5637.26 करोड़ है जो विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा से अधिक है.

मात्रात्मक प्रकटन (₹ करोड़ में)

	31.3.2011
ख) साख जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताः मानक दृष्टिकोण	
• मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	3368.89
• प्रतिभूतिकरण विगोपन	0.00
कुल	**3368.89**
ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताः मानक अवधि दृष्टिकोण	
• ब्याज दर जोखिम	110.78
• ईक्विटी जोखिम	34.04
• विदेशी विनिमय जोखिम	7.20
कुल	**152.02**
घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताः मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण	
• परिचालनगत जोखिम	280.01
वास्तविक स्थिति	
च) कुल और टियर I पूंजी अनुपात	
• बैंक के लिए	
कुल सीआरएआर (%)	13.35%
टियर I सीआरएआर (%)	8.02%
• शीर्ष समेकित समूह के लिए	
कुल सीआरएआर (%)	13.35%
टियर I सीआरएआर (%)	8.02%
महत्वपूर्ण बैंक सहयोगी संस्थाओं के लिए (अकेली या उप-समेकित, संरचना के लागू होने के आधार पर)	
कुल सीआरएआर (%)	**शून्य**
टियर 1 सीआरएआर (%)	**शून्य**

सारणी-डीएफ -4- ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटनः

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, बैंक के संविभाग में प्रतिपक्षों या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आये ह्रास से उत्पन्न हानियों से संबंधित है. ऋण जोखिम अधिकांशतः बैंक की उधार गतिविधियों से पैदा होती हैं और यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता/साख में आने वाले संभाव्य परिवर्तनों के कारण पैदा होती है. व्यवहार जोखिम (विभिन्न ऋण प्रस्तावों में जोखिम), उद्योग और कारोबार जोखिम जिनमें अग्रिम दिए गए हैं, भौगोलिक जमाव जोखिम और ऋणों के प्रकार(कर्ज, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट इत्यादि) का समग्र जोड़ ऋण जोखिम है.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. लाभ, उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, बाजार परिदृश्य और प्रतियोगिता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं :

1. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
2. जोखिम प्रबंधन नीति

(a) Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational Risk.

(b) 80% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on March 31, 2011 is 80% of the capital requirement under Basel I norms i.e. ₹ 3486.45 crore or capital requirement as per Basel II norms i.e. ₹ 3800.91 crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier I and Tier II) maintained by the Bank as on March 31, 2011 is ₹ 5637.26 Crore, which is above the prudential floor limit.

Quantitative Disclosures: **(₹ in crore)**

	31.03.2011
b) Capital requirements for Credit Risk: Standardised Approach	
• Portfolios subject to Standardised Approach	3368.89
• Securitisation exposures	0.00
Total	**3368.89**
c) Capital requirements for Market Risk: Standardised Duration Approach	
• Interest Rate Risk	110.78
• Equity Position Risk	34.04
• Foreign Exchange Risk	7.20
Total	**152.02**
d) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic Indicator Approach	280.01
Actual Position	
e) Total and Tier I Capital Ratio:	
• For the Bank	
Total CRAR (%)	13.35%
Tier I CRAR (%)	8.02%
• For the top consolidated group;	
Total CRAR (%)	13.35%
Tier I CRAR (%)	8.02%
For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied).	
Total CRAR (%)	**N.A.**
Tier I CRAR (%)	**N.A.**

Table DF-4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is related to the losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties in a bank's portfolio. Credit risk arises mostly from lending activities of the bank and it emanates from changes in the credit quality / worthiness of the borrowers or counterparties. Credit Risk is an aggregation of Transaction Risk (risk in various credit propositions), Industry and Business line risk wherein advances are lent, Geographic Concentration Risk and types of credit (such as Loans, Cash Credit, Overdrafts etc.).

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and the strategy of the bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

i) Lending & Loan Review Policy

ii) Risk Management Policy

3. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन

4. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम, का अभिनिर्धारण, उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम क्षमता के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण का उपबंध नीतियों में किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष स्तर पर समग्र रूप से जोखिमों का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करती है. परिचालनगत स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करना, व्यापक आधार पर बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करना तथा निदेशक मंडल / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न न्यूनतम जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है. समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य जोखिम अधिकारी है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक

बैंक के पास ऋण विस्तार के लिए सुस्थिर मानक, तुलन पत्र बाह्य मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं

एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है.

ऋण अनुमोदन ग्रिड

बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / केन्द्रीय कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृध्दि या बिना वृध्दि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन ग्रिड का गठन किया गया है. केन्द्रीय कार्यालय में नए ऋण प्रस्तावों पर उक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर सैध्दांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नए व्यापारिक समूह (एनबीजी)नामक एक नया समूह बनाया गया है.

मंजूरी अधिकार

बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रियाः

बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं अनुप्रवर्तन के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिससे बैंक को किसी प्रस्ताव में अन्तर्निहित गुणों-अवगुणों के निर्धारण में सहायता मिलती है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक साधन है जिससे बैंक को किसी भी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में या अन्यथा निर्णय लेने में मदद मिलती है. यह बैंक की जोखिम आधारित मूल्यन संरचना के अनुसार ऋण सुविधाओं का यथोचित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है. बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए भी ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किये तथा अपनाए हैं. बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने वाईड एरिया नेटवर्क पर आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि उसकी शाखायें/क्षेत्र के कार्यालय उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेतु इस प्रक्रिया का तत्काल उपयोग कर सकें.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है. हर उधारकर्ता के रेटिंग की कम से कम वर्ष में एकबार पुनरीक्षा की जाती है.ऋण संविभाग गुणवत्ता की निगरानी निम्न रेटिंग वाले उधार कर्ताओं और उच्च मूल्य वाले

iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management

iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel II framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Organizational Structure for Credit Risk Management

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the apex level that has the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (RMC) devises the policy and strategy for integrated risk management. At operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions of the CRMC include implementation of the credit risk policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis and ensure adherence to threshold risk limits, approved by the Board / Risk management Committee. The Integrated Risk Management Department is headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards:

The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits:

Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Grids:

Credit Approval Grids have been constituted at various levels covering very large branches / Regional offices / Central Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) is in place at Central Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers:

The Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanction of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines.

Credit Risk Rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables the Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of the Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off. The Bank has developed and put in place credit risk rating models for retail loans also. The Bank has in-house developed software for undertaking credit risk rating put on the Wide Area Network (WAN) of the Bank facilitating instant access by the Branches / Field Offices for undertaking credit risk rating of borrowers.

As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit portfolio quality is monitored by undertaking bi-

विगोपनों के लिए द्वि वार्षिक ऋण जोखिम रेटिंग द्वारा की जाती है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्र

बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं

1. बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.
2. मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.
3. सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
4. आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
5. बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है. जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित किए गए हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋणः

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां

- सावधिक ऋण के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के सम्बंध में खाता 'अनियमित' रहा हो
- बिल खरीद और भांजित बिल के सम्बंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) अतिदेय रही हो
- अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम
- किसी भी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज जिसे तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न चुकाया गया हो

अनियमित स्थिति

एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से खाते में बकाया शेष लगातार अधिक रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूर अधिकारी / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को अनियमित माना जाएगा.

अतिदेय

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भुगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटनः

क) कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

(₹ करोड में)

निधिक	55835.82
अनिधिक	12128.58

annual credit risk rating for high value exposures and inferior rated borrowers. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank.

Loan Review Mechanism:

The objectives of the Loan Review Mechanism in place in the Bank are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and delegated lending powers.

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and improvement in non-performing assets (NPAs) so as to have a favorable impact on profitability of the Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

v) To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, vetting of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

The regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' status:

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as **'out of order'**.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures:

(a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(₹ In Crore)

Funded	55835.82
Non Funded	12128.58

ख) विगोपनों का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

I समुद्रपारीय (₹ करोड में)

निधिक	शून्य
अनिधिक	शून्य

II घरेलू (₹ करोड में)

निधिक	55835.82
अनिधिक	12128.58

(b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non-fund based separately

i. Overseas (₹ In Crore)

Funded	Nil
Non Funded	Nil

ii. Domestic (₹ In Crore)

Funded	55835.82
Non Funded	12128.58

ग) विगोपनों का उद्योगवार वितरण (निधि आधारित और गैर निधिक आधारित अलग अलग)

(c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately

31.03.2011 को उद्योग-वार निधिक एवं गैर निधिक विगोपन
INDUSTRYWISE FUNDED & NONFUNDED EXPOSURE AS OF 31.03.2011

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

कोड CODE	उद्योग INDUSTRY	निधिक विगोपन FUNDED EXPOSURE		गैरनिधिक विगोपन NON FUNDED EXPOSURE	
1	लोहा व इस्पात IRON & STEEL		1866.06		514.07
2	अन्य धातु व उत्पाद OTH METAL & PRODUCTS		315.27		77.36
3	सभी अभियांत्रिकी ALL ENGINEERING		1894.81		2259.52
3.क a	अभि. इलेक्ट्रॉनिक ENGG. ELECTRONICS	603.10		242.34	
3.ख b	अभि. इलेक्ट्रिकल ENGG. ELECTRICAL	569.33		1239.31	
3.ग c	अभि. अन्य ENGG. OTHERS	722.38		777.87	
4	ऑटोमोबाईल ट्रक सहित AUTOMOBILE INCL. TRUCKS		580.31		94.43
5	सूती वस्त्र COTTON TEXTILE		481.45		87.86
6	पटसन वस्त्र JUTE TEXTILTE		4.93		0.15
7	अन्य वस्त्र OTHER TEXTILES		1033.46		527.59
8	चीनी SUGAR		35.49		2.26
9	चाय TEA		1.24		0.00
10	खाद्य प्रसंस्करण FOOD PROCESSING		379.14		31.31
11	वनस्पति तेल VEGETABLE OILS		53.53		47.05
12	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद TOBACCO & PRODUCTS		57.67		0.41
13	कागज व कागज उत्पाद PAPER & PRODUCTS		363.04		65.81
14	रबर व रबर उत्पाद RUBBER & PRODUCTS		23.00		32.74
15	अन्य रसायन, डाई, पेंट आदि OTH CHEM,DYES,PAINT ETC		1573.66		311.08
15.क a	जिनमें से पेट्रो रसायन OF WHICH PETRO CHEMICAL	46.96		40.26	
15.ख b	जिनमें से उर्वरक OF WHICH FERTILIZERS	566.07		0.11	
15.ग c	जिनमें से औषध व भेषज OF WHICH DRUGS & PHARMA	231.65		48.22	
15.घ d	अन्य रसायन, डाई, पेंट OTH CHEM,DYES,PAINT	728.98		222.49	
16	सीमेंट CEMENT		318.45		9.22
17	चमड़ा व चर्म उत्पाद LEATHER & PRODUCTS		28.18		13.84
18	रत्न और जेवरात GEMS,JEWELLERY		189.25		326.16
19	निर्माण CONSTRUCTION		589.15		1263.95
20	पेट्रोलियम PETROLEUM		708.71		550.15
21	अन्य OTHERS		734.97		167.11
22	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMP. S/W		28.49		31.50
23	व्यापार TRADING		4591.37		763.96
24	एनबीएफसी NBFC		4872.22		1792.24
25	मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE		12610.31		1879.42
25.क a	जिसमें से पॉवर OF WHICH POWER	8282.41		183.35	
25.ख b	जिसमें से दूरसंचार OF WHICH TELECOMMUNICATION	1503.95		3.59	
25.ग c	जिसमें से सड़क OF WHICH ROADS	996.50		70.00	
25.घ d	जिसमें से अन्य मूलभूत संरचना OF WHICH OTHER INFRASTRUCTURE	1827.45		1622.48	
26	अवशिष्ट अन्य अग्रिम RESIDUARY OTHER ADVANCES		22501.66		1279.39
	कुल जोड़ GRAND TOTAL		55835.82		12128.58

उद्योग वार विगोपन सकल निधिक और गैर निधिक विगोपन के 5% से अधिक है.

कोड	उद्योग	निधिक	गैर-निधिक
23	व्यापार	4591.37	763.96
24	एनबीएफसी	4872.22	1792.24
25	मूलभूत संरचना	12310.31	1879.42

Industry wise exposure is more than 5 % of gross funded & non funded exposure

CODE	INDUSTRY	Funded	Non Funded
23	TRADING	4591.37	763.96
24	NBFC	4872.22	1792.24
25	INFRASTRUCTURE	12310.31	1879.42

घ) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण : (₹ करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	980.19	24.88	452.20
2 से 7 दिन	499.18	271.82	17.44
8 से 14 दिन	852.41	117.48	53.61
15 से 28 दिन	759.10	212.80	874.97
29 दिन से 3 महीने	4896.16	219.42	1471.69
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	2044.75	298.60	846.13
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	3160.34	111.18	436.00
1 वर्ष से अ धिक किन्तु 3 वर्ष तक	22327.12	1719.07	--
3 वर्ष से अ धिक किन्तु 5 वर्ष तक	6204.00	3127.05	--
5 वर्ष से अ धिक	5764.16	16512.21	13.10
कुल	**47487.41**	**22614.51**	**4165.14**

(d) Residual maturity break down of assets: (₹ In Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
1 day	980.19	24.88	452.20
2 to 7 days	499.18	271.82	17.44
8 to 14 days	852.41	117.48	53.61
15 to 28 days	759.10	212.80	874.97
29 days to 3 months	4896.16	219.42	1471.69
Over 3 months & up to 6 months	2044.75	298.60	846.13
Over 6 months & up to 1 year	3160.34	111.18	436.00
Over 1 year & up to 3 years	22327.12	1719.07	--
Over 3 years & up to 5 years	6204.00	3127.05	--
Over 5 years	5764.16	16512.21	13.10
Total	**47487.41**	**22614.51**	**4165.14**

(₹ करोड़ में)

मदें	**31.3.2011**
छ) अनर्जक आस्तियों की रकम सकल	1173.70
• अवमानक	408.16
• संदिग्ध 1	373.08
• संदिग्ध 2	121.54
• संदिग्ध 3	54.46
• हानि	216.46
ज) निवल अजर्नक आस्तियां	618.95
झ) अनर्जक आस्ति अनुपात	
• सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	2.47
• निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	1.32
ट) अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
प्रारंभिक शेष	1209.79
वृध्दियां	699.15
कमी	735.24
अंतिम शेष	1173.70
त) अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
प्रारंभिक शेष	519.11
अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	342.01
बट्टे खाते	0
अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	349.84
अंतिम शेष	511.28
ड) अनर्जक निवेशों की रकम	18.64
ढ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की रकम	18.64
ण) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
प्रारंभिक शेष	39.70
अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	83.72
बट्टे खाते	0.00
अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
अंतिम शेष	123.42

(₹ In Crore)

Items	**31.03.2011**
(f) Amount of NPAs Gross	1173.70
• Substandard	408.16
• Doubtful 1	373.08
• Doubtful 2	121.54
• Doubtful 3	54.46
• Loss	216.46
(g) Net NPAs	618.95
(h) NPA Ratios	
• Gross NPAs to Gross advances (%)	2.47
• Net NPAs to Net advances (%)	1.32
(i) Movement of NPAs (gross)	
Opening balance	1209.79
Additions	699.15
Reductions	735.24
Closing balance	1173.70
(j) Movement of provisions for NPAs	
Opening balance	519.11
Provisions made during the period	342.01
Write-off	0
Write back of excess provisions	349.84
Closing balance	511.28
(k) Amount of Non-Performing Investments	18.64
(l) Amount of provisions held for non performing Investments	18.64
(m) Movement of provisions for depreciation on investments	
Opening balance	39.70
Provisions made during the period	83.72
Write-off	0
write-back of excess provisions	0
Closing balance	123.42

सारणी-डीएफ-5 - ऋण जोखिम मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभागों हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

उपयोग में लाई गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का नामः-

बैंक ने निम्नलिखित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का अनुमोदन किया है

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालायसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
3. एफआईटीसीएच इंडिया
4. आईसीआरए लिमिटेड

- विगोपन के प्रकार जिनके लिए हर क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का उपयोग किया गया हैः सभी प्रकार के विगोपनों के लिए उपर्युक्त सभी एजेन्सियों का अनुमोदन किया गया है.
- सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बहियों में तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण.

1. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं से मांगी गई और उनके द्वारा स्वीकृत उक्त किन्ही भी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग करेगा. बैंक द्वारा पूंजी के परिकलन हेतु केवल पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई बाहरी रेटिंग, नई या पुनरीक्षित को ही ध्यान में लिया जाएगा.
2. जहां भी उपलब्ध हो, बैंक ऋण सुविधा या बैंक ऋण की रेटिंग का उपयोग उधारकर्ताओं के ऋण जोखिमों को मापने के लिए करता है. जहां भी जारीकर्त्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक कि ऋण को विशिष्ट रूप से रेट न किया गया हो बैंक ऐसी रेटिंग का उपयोग करता है.
3. बैंक एक ही उधारकर्ता के एक निवेश हेतु एक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी और दूसरे निवेश हेतु अन्य रेटिंग एजेन्सी का उपयोग साथ-साथ नहीं करता जब तक कि सम्बंधित निवेशों की रेटिंग चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों में से ही किसी एक द्वारा न की गई हो. इसके अलावा, एक ही निगमित समूह के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रतिष्ठान को आबंटित रेटिंग का उपयोग बैंक उस समूह के अन्य प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग के लिए नही करता.
4. नकदी ऋण जैसी चल सीमाओं को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और तदनुसार ऐसे विगोपनों हेतु जोखिम भार के निर्धारण के लिए दीर्घकालीन रेटिंग का उपयोग किया जाता है.
5. क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग को कार्यान्वित/लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों /बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त विगोपनों के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख जोखिम श्रेणियों में तथा उनके लिए जिनकी कटौती की गई है, बैंक की बकाया राशि (योग्यताक्रम प्राप्त और योग्यताक्रम अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.3.2011		
	विगोपन	योग्यताक्रम प्राप्त	योग्यताक्रम अप्राप्त
100% जोखिम भार से कम	62641.55	16284.56	46356.99
100% जोखिम भार	29338.89	3197.39	26141.50
100% भार से अधिक	2921.38	2063.93	857.45
काटा गया (जोखिम प्रशमक)	2741.04	172.94	2568.10
कुल	97642.86	21718.82	75924.04

सारिणी-डीएफ -6- ऋण जोखिम प्रशमनः मानकीकृत दृष्टिकोणों हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

ऑफ एंड ऑन बॅलन्स शीट नेटिंग का उपयोग किस सीमा तक बैंक करता है इसका संकेत देने हेतु नीतियां और प्रक्रियाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम प्रशमन तकनीकों और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है. जोखिम प्रशमन के लिए बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सहायक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (बैंक जमा, सरकारी / डाक

Table DF – 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

a) For portfolios under the Standardised Approach:

Name of the credit rating agencies used:

The Bank has approved the following external credit rating agencies, approved by RBI, for risk weighting claims on entities:

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. FITCH India and
4. ICRA Limited.

- Types of exposure for which each credit rating agency is used: All the above agencies are approved for rating of all types of exposure.
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book:

1. The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by the borrowers in line with RBI guidelines. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months only are reckoned for capital computation by the Bank.
2. Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
3. The Bank does not simultaneously use the rating of one credit rating agency for one exposure and that of another credit rating agency for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen credit rating agencies. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
4. Running limits such as cash credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
5. While mapping / applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines / Bank's Board approved Policy.

Quantitative Disclosures:

For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardised Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.

(₹ in crore)

Classification	31.03.2011		
	Exposure	Rated	Unrated
Below 100% risk weight	62641.55	16284.56	46356.99
100% risk weight	29338.89	3197.39	26141.50
More than 100% risk weight	2921.38	2063.93	857.45
Deducted (Risk Mitigants)	2741.04	172.94	2568.10
Total	97642.86	21718.82	75924.04

TABLE DF – 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

In line with RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved Policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management. The collaterals used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e.

प्रतिभूति और अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि जिनमें बैंक के पास कानूनी रूप से नेटिंग का अधिकार होता है और जिनमें विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल होता है.) शामिल है. मार्जिन लागू करने और उचित मूल्यांकन के परिकलन हेतु सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है.

सहायक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ

सहायक प्रतिभूतियां और गारंटियों का निर्धारण और प्रबंधन बुद्धिमानी से किया जाता है और इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए होता है

- अनुमानित नकदी प्रवाह में कमी आने के कारण उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करने की दशा में सहायक संसाधन उपलब्ध कर जोखिम कम करना.
- चूक की दशा में पुनर्भुगतान के साधन पर नियंत्रण हासिल करना.
- जोखिम भारित आस्तियों को आदर्शतम करना और बची हुई जोखिमों को पर्याप्त रूप से संरक्षित करना.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति है. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधारी नीति को भी लागू किया है. इन नीतियों में बैंक द्वारा ऋण देने हेतु आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा उनसे सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/अनुप्रवर्तन का निर्धारण किया गया है. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों को रक्षित करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियों का मूल्यांकन बैंक के पैनल पर विद्यमान बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाता है.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों की व्याख्या**

  जोखिम प्रशमक के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (जैसे-बैंक जमाराशियां, सरकारी प्रतिभूतियां, केवीपी, एनएससी, अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण आदि) तथा बैंक गैर वित्तीय सहायक प्रतिभूतियाँ जैसे स्टॉक, पुस्तक ऋण, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का गिरवी और संयंत्र व मशीनरी भी स्वीकार करता है.

- **गारंटीदाता प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार व उनकी साख**

  जहां भी आवश्यक हो, ऋण जोखिम के प्रशमन हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक वैयक्तिक या संस्थागत गारंटी प्राप्त करता है जिसे गारंटीदाता पर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सके और जो बिना शर्त और अपरिवर्तनीय हो. सामान्यतः गारंटीदाता की साख को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा संबध्द या प्रभावित नहीं किया जाता. प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी भी स्वीकार करता है.

- **प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी**

  ऋण जोखिम प्रशमन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियां सहज रूप से वसूली जा सकने वाली वित्तीय प्रतिभूतियां हैं. अतः फिलहाल ऋण जोखिम प्रशमकों में संकेन्द्रीकरण जोखिम से निपटने हेतु कोई सीमा /अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

मात्रात्मक प्रकटनः

ख) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011
मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)	2741.04

ग) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स(जहां विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन	शून्य

bank deposits, Govt. / Postal securities, Life policies with declared surrender value, gold jewellery etc.) where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien. A software is in place for calculation of correct valuation and application of haircut.

Policies & processes for collateral valuation and management:

Collaterals and guarantees prudently stipulated and managed would serve to:

- Mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow
- Gain control on the source of repayment in the event of default;
- Optimize risk weighted assets and to address residual risks adequately.

In line with RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved Policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management. The Bank also has put in place Lending Policy duly approved by the Board. These policies lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard / protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank.

- **Description of the main types of collateral taken by the Bank**

  The main types of financial collaterals commonly used by the Bank as risk mitigants comprise of financial collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities, KVP, NSC, Life Insurance Policies with declared surrender value, Gold jewellery etc.). Bank also accepts non-financial collateral i.e. stock, book debts, mortgage of residential & commercial property and plant & machinery.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

  Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort.

- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken**

  All types of securities eligible for credit risk mitigation are easily realizable financial securities. As such, no limit / ceiling have been prescribed for the present to address the concentration risk in credit risk mitigants.

Quantitative Disclosures:

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011
The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2741.04

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011
Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

सारणी-डीएफ -7- प्रतिभूतिकरणः
मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन : शून्य

सारणी-डीएफ -8 व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटनः

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ईक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में परिवर्तन/उतार-चढाव के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और ईक्विटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नही करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम के कारण आय तथा ईक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम बनाना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु रिपोर्टिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका अनुप्रवर्तन दैनिक आधार पर किया जाता है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. जैसा कि नीति में परिकल्पित है, तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आस्ति व देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्ति के आधार पर गैप एनालिसस के जरिये किया जाता है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आक्समिक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आक्समिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक रूप से तनाव परीक्षण करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जरिये किया जाता है जिसका अनुप्रवर्तन निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु डयूरेशन गैप एनालिसस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुध्द संशोधित डयूरेशन गैप का प्राक्कलन करता है ताकि शेयरधारक के मूल्य को ईष्टतम बनाया जा सके.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन करता है. डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

देश जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु देशवार आधार पर सकल ऋण जोखिम का आकलन किया जाता है. विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है. अत्यधिक जोखिम वाले देशों के ऋण जोखिम का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है.

TABLE DF – 7 - SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitised any exposure during the year 2010-11.

Quantitative Disclosures: NIL

TABL E DF – 8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures:

(a) Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of market risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through the Gap Analysis based on the residual maturity / behavioral pattern of assets and liabilities as prescribed by the RBI. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid- Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

The aggregate exposure on country-wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

मात्रात्मक प्रकटनः

ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकताएं

(₹ करोड़ में)

बाजार जोखिम के प्रकार	31.3.2011
ब्याज दर जोखिम	110.78
ईक्विटी स्थिति जोखिम	34.04
विदेशी मुद्रा विनिमय	7.20

सारणी-डीएफ-9-परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटनः

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीति के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियों में निम्नलिखित का समावेश है क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति और घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति. बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) तथा 'धन शोधन निवारण' (एएमएल) की कार्यविधियों के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं.

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल कर ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रूप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है. नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन ,निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकायें तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है. बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता है.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोणः

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है.

सारणी-डीएफ-10-बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटनः

क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमः

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संदर्भ बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) है. ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है.

(i) जोखिम पर आय - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन गॅप एनालिसेस के जरिये 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक-अप (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए किया गया है.

(ii) ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (डयूरेशन गैप एनालिसिस) - बैंक ने भा.रि.बैंक द्वारा सुझाई गई विधि के अनुसरण में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) डयूरेशन गॅप एनालिसस को अपनाया है. यह ईक्विटी की संशोधित अवधि पर अंतिम रूप से पहुँचने के लिए आस्ति और देयताओं की संशोधित अवधि के परिकलन द्वारा किया जाता है.

Quantitative Disclosure:

(b) The capital requirements for

(₹ in crore)

Type of Market Risk	31.03.2011
Interest Rate Risk	110.78
Equity Position Risk	34.04
Foreign Exchange Risk	7.20

TABLE DF- 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

The Bank has framed Operational Risk Management Policy as a part of Risk Management Policy, duly approved by the Board. The other policies approved by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy. The Bank has issued guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) and 'Anti-Money Laundering' (AML) procedures.

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

The Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for operational risk.

TABLE DF – 10 – INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in interest rates. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

(i) Earnings at Risk: The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in the interest rates across assets and liabilities) up to 100 basis point (bps).

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): The Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with method suggested by RBI. It is done by calculating modified duration of assets and liabilities to finally arrive at modified duration of equity.

- ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण बना लिया गया है.
- प्रत्येक आस्ति और देयता की अवधि, प्रत्येक टाइम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक की तरह और औसत उत्पन्न को कूपन की तरह तथा डिस्काउंटिंग के उद्देश्य के लिए बाजार दर लेने से आई है. निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली गई है.
- भा.रि.बैंक द्वारा निर्देश के अनुसार 200 आधार अंक का कल्पित ब्याज दर शॉक के लिए ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में) प्रभाव को विश्लेषित किया गया है.

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटनः

ख) कल्पित ब्याज दर शॉक हेतु अर्जनों एवं ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष पर पुनर्मूल्यन
	31.03.2011
0.25%	34.15
0.50%	68.29
0.75%	102.44
1.00%	136.58

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

	31.03.2011
200 आधार अंक शॉक हेतु ईक्विटी मूल्य में कमी	17.04%

- Interest Rate Sensitivity statement is prepared.
- The duration of each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken.
- The impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.

The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure:

(b) The impact on earnings and economic value of equity for notional interest rate shock. Earnings at Risk

(₹ in crore)

Change in Interest rate	Repricing at 1 Year
	31.03.2011
0.25%	34.15
0.50%	68.29
0.75%	102.44
1.00%	136.58

Economic Value of Equity

	31.03.2011
For a 200 bps notional rate shock the drop in equity value	17.04%

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में) (₹ In Thousands)

	ब्योरे Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011		31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	
क.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
A.	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	आय INCOME				
	अर्जित ब्याज INTEREST EARNED		5563,08,76		4735,56,34
	अन्य आय OTHER INCOME		530,85,78		591,24,39
			6093,94,54		**5326,80,73**
	घटाएं : व्यय व प्रावधान LESS: EXPENDITURE & PROVISIONS				
	प्रदत्त ब्याज INTEREST PAID		3594,68,89		3439,30,87
	परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		1644,22,39		1072,94,70
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTIGENCIES		524,64,44		374,97,48
			5763,55,72		**4887,23,05**
	व्यय के ऊपर आय अधिक होने का कारण नकदी में निवल वृद्धि				
	NET INCREASE IN CASH DUE TO INCREASE OF INCOME OVER EXPENSES		330,38,82		439,57,68
	जोड़ें : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें				
	ADD : NON CASH ITEMS & ITEMS CONSIDERED SEPARATELY				
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTINGENCIES	524,64,44		374,97,48	
	अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास DEPRECIATION FOR FIXED ASSETS	67,85,59		75,08,90	
	टीयर II बॉंडस् पर ब्याज INTEREST ON TIER II BONDS	232,86,94	825,36,97	207,08,46	657,14,84
			1155,75,79		1096,72,52
	घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (शुद्ध) LESS: DIRECT TAXES PAID (NET)		-233,40,57		-302,48,18
	परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I) CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS (I)		**922,35,22**		**794,24,34**
	परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES				
	जमाराशियां DEPOSITS	3540,66,58		11049,14,98	
	उधारियां (टीयर I/II बॉंड को छोड़कर) BORROWINGS (EXCL TIER I/II BONDS)	447,71,09		-60,55,99	
	अन्य देयताएं व प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISION	-117,69,72		-14,71,00	
	जोड़ Total	**3870,67,95**		**10973,87,99**	
	घटाएं : परिचालन आस्तियों में शुद्ध वृद्धि LESS: NET INCREASE OF OPERATING ASSETS				
	निवेश INVESTMENTS	1167,23,34		2941,70,76	
	अग्रिम ADVANCES	6566,06,91		6023,92,40	
	अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	57,65,62		465,86,12	
	जोड़ Total	**7790,95,87**		**9431,49,28**	
	परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)				
	NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES OVER OPERATING ASSETS (II)		-3920,27,92		1542,38,71
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (I+II) = (क)				
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)= (A)		**-2997,92,70**		**2336,63,05**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
B.	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	अचल संपत्तियों का क्रय/विक्रय PURCHASE / SALE OF FIXED ASSETS	-86,17,11		-64,77,16	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)				
	NET CASH FLOW FORM INVESTING ACTIVITIES (B)		**-86,17,11**		**-64,77,16**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
C.	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**				
	1. टीयर II एवं अपर टीयर II बॉंडस् तथा बेमियादी बॉंड से अगम (मोचन सहित) Proceeds from Tier II & Upper Tier II Bonds and Perpetual Bond(incl.redemption)	-167,50,00		600,00,00	
	2. लाभांश सहित कर Dividend plus tax	-100,73,31		-75,55,30	
	3. टीयर II बॉंडस् पर ब्याज Interest on Tier II Bonds	-232,86,94		-207,08,46	
	4. ईक्विटी शेअर्स जारी करना Issue of Equity Shares	352,00,00		0	
	5. पीएनसीपीएस शेअर्स जारी करना Issue of PNCPS Shares	588,00,00		0	
	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह = (ग)				
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES = (C)		**438,89,75**		**317,36,24**
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)				
	TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)		**-2645,20,06**		**2589,22,13**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में) (₹ In Thousands)

ब्योरे Particulars	31.03 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY-		
वर्ष के आरंभ में शेष Balances at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	5315,39,31	3881,41,92
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	1379,16,39	223,91,65
	6694,55,70	4105,33,57
वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	3846,00,33	5315,39,31
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	203,35,31	1379,16,39
	4049,35,64	6694,55,70
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क-ख) TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A-B)	-2645,20,06	2589,22,13

के. एच. वझे
K. H. WAZE
महाप्रबंधक वित्र व ले-1 व निवेशक सेवाएं
General Manager FM&A-I
& Investors services

ए. एस. बनर्जी
A. S. BANERJEE
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

एम. जी. संघवी
M.G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. एस. भट्टाचार्य
A.S. BHATTACHARYA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

कृते बी. छावछरिया एंड कं.
ForB.Chhawchharia&Co.
एफआरएन 305123ई
FRN: 305123E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(एस.के.छावछरिया)
(S. K. Chhawchharia)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.008482
Membership No.: 008482

कृते रे एंड कं.
For Ray & Co.
एफआरएन 313124ई
FRN: 313124E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सुब्रता रॉय)
(Subrata Roy)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.051205
Membership No.:051205

कृते जोध जोशी एंड कं.
For Jodh Joshi And Co
एफआरएन 104317डब्ल्यू
FRN: 104317W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(मकरंद जोशी)
(Makarand Joshi)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.047196
Membership No : 047196

कृते जेसीआर एंड कं.
For JCR & Co.
एफआरएन 105270डब्ल्यू
FRN :105270W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(अमित तानपुरे)
(Amit Tanpure)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.129055
Membership No : 129055

कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.
For N.Kumar Chhabra & Co.
एफआरएन 000837एन
FRN : 000837N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(नवतेज कुमार)
(Navtej Kumar)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.080496
Membership No : 080496

कृते डीएसपी एंड एसोसिएटस्
For DSP & Associates
एफआरएन 006791एन
FRN: 006791N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(संजय जैन)
(Sanjay Jain)
भागीदार
(Partner)
सदस्यता क्र.084906
Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल 2011

Place: Pune
Dated: 30th April 2011

B. Chhawchharia & Co.,	Ray & Co.,	Jodh Joshi And Co.,	J C R & Co.,	N. Kumar Chhabra & Co.,	DSP & Associates,
Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,
8A & 8B, Satyam Towers,	21A, ShakspeareSarani,	J.P. House, 1st Floor,	Raval House,	SCO 1094-95,	783, DeshBandhu Gupta
3, Alipore Road,	Flat 8C, 8th Floor,	Ravinagar Square,	18th Road, Khar (W),	Sector 22-B,	Road, Karol Bagh,
Kolkata — 700 027	Kolkata — 700 017	Amravati Road,	Mumbai — 400 052.	Chandigarh — 160 022	New Delhi — 110 005
		Nagpur — 400 010			
बी छावछरिया एंड कं.	**रे एंड कं.**	**जोध जोशी एंड कं.**	**जे सी आर एंड कं.**	**एन. कुमार छाबरा एंड कंपनी**	**डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
8ए व 8बी सत्यम टॉवर्स,	रूम नं. 8सी, 8वीं मंजिल	जे.पी.हाउस,1ली मंजिल,	रावल हाउस,	एससीओ 1094-95	सनदी लेखाकार
3, अलीपुर रोड,	21 ए शेक्सपीयर सरनी,	रविनगर स्क्वेयर,	18वीं रोड खार पश्चिम	सेक्टर 22 बी	करोल बाग
कोलकता-700027	कोलकता-700017	अमरावती रोड	मुंबई-400052	चंडीगढ़-160 022	नई दिल्ली-110 005
		नागपुर-400 010			

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2011 का तुलनपत्र तथा लाभ व हानि लेखा तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं एवं खज़ाना तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (टीआईबीबी) तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1298 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं.

   जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही 14.13 प्रतिशत शाखाओं के तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नही हैं, भी शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.49 % जमाराशियों में 2.17%, ब्याज आय में 0.67% और ब्याज खर्च में 2.16% हिस्सा है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रबंधन की जिम्मेदारी है. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ताकि ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किसी भी गलत कथन से मुक्त रहें.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यक्ताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.

4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report On Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of BANK OF MAHARASHTRA as at 31st March 2011 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2011, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches & The Treasury & International Banking Branch (TIBB) audited by us and 1298 branches audited by Branch Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statements of Profit & Loss are the returns from 14.13% branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches account for 1.49% of advances, 2.17% of deposits, and 0.67% of interest income and 2.16% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act. 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility -

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हम विश्वास करते है कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

मामलों का महत्व

6. हमारे अभिमत की योग्यता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि

क) मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 4.2 में सुरक्षित अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान की लेखा नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल कंपनी का निवल लाभ(कर से निवल) ₹ 18.86 करोड़ से कम रहा जिसका प्रभाव बैंक की समेकित आस्तियों और देयताओं पर भी पड़ा.

ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर दिनांक 09 फरवरी 2011 का भा.रि.बैंक का परिपत्र क्रं. डीबीओडी.डीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15- कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों को करने से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 10.3 जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल ₹ 409.90 करोड़ बताया गया है.

यदि उक्त परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो मूल कंपनी का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 409.90 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नही किया गया है.

अभिमत

7. हमने यह पाया है कि

क) मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 9.5.4 - गत वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर प्रभारित अधिक मूल्य ह्रास का परिणाम निश्चित नही किया जा सका.

ख) समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध 18 के नोट क्रं.9.3 में किये गये उल्लेख के अनुसार कुछ आस्तियों/ देयताओं,समाशोधन के अंतरों, अंतर शाखा खातों/ स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरणों की सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पडने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है;

ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूल बैंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुसूची 17 के परि.क्र. 6.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के बजाए नकदी आधार पर कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के निर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -9 राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है.

हमारे उपर्युक्त निरीक्षण के अधीन हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसारः

i. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे समूह के 31 मार्च,2011 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.

ii. समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और

iii. नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता बैंकिंग रेग्यूलेटिंग अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है.

9. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 8 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि

क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

ख. बैंक के संव्यवहार जो हमारे सामने आए हैं वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं.

5. We believe that our audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matters

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to

a) Note No. 4.2 in Schedule 18 regarding change in accounting policy of provisioning in respect of secured sub-standard assets, due to which net profit (net of tax) for the year is lower by ₹ 18.86 crore with a consequential effect on assets and liabilities of the bank.

b) Note No. 10.3 in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 409.90 crores, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 - Employees Benefit vide its Circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of 9th February, 2011 on Reopening of pension Option to Employees of Public Sector Bank and Enhancement in Gratuity limits — Prudential Regulatory Treatment.

Had the said Circular not been issued, the 'profit before tax' of the Bank would have been lower by ₹ 409.90 crores pursuant to application of the requirements of AS 15, the consequential effect of which has not been ascertained on other related components of the financial statements.

Opinion

7. We have observed that-

a) Note No. 9.5.4 in Schedule 18 regarding excess charging of depreciation in earlier years on Electrical Equipments, the impact of which is not yet ascertained.

b) The effect of adjustments that may arise from the on going reconciliation of certain assets/liabilities. clearing differences, inter branch accounts/inter branch transfer of fixed assets and charge of depreciation on fixed assets, (as stated in Note No. 9.3 of Schedule 18 annexed to the Balance Sheet), the consequential impact thereof on the accounts is not ascertainable;

c) The Bank is following the policy of recognizing the income from commission, locket rent etc. on cash basis during the year, instead of accrual basis as stated in para no. 6.1 Schedule 17 Significant Accounting Policies which are not in conformity with the 'Accounting Standard 9 Revenue Recognition, issued by The Institute of Chartered Accountants of India'; and

Subject to our observations above, in our opinion as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9 Subject to the limitation of audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanation which to the the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transaction of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गई.

10. हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

c. The returns received from the officers and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. In out opinion, the Balance Sheet - Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते बी. छावछरिया एंड कं. **ForB.Chhawchharia&Co.** एफआरएन 305123ई FRN: 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एफआरएन 313124ई FRN: 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi And Co** एफआरएन 104317डब्ल्यू FRN: 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीआर एंड कं.** **For JCR & Co.** एफआरएन 105270डब्ल्यू FRN :105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.** **For N.Kumar Chhabra & Co.** एफआरएन 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स्** **For DSP & Associates** एफआरएन 006791एन FRN: 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एस.के.छावछरिया) **(S. K. Chhawchharia)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.008482 Membership No.: 008482	**(सुब्रता रॉय)** **(Subrata Roy)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.051205 Membership No.:051205	**(मकरंद जोशी)** **(Makarand Joshi)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.047196 Membership No : 047196	**(अमित तानपुरे)** **(Amit Tanpure)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.129055 Membership No : 129055	**(नवतेज कुमार)** **(Navtej Kumar)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.080496 Membership No : 080496	**(संजय जैन)** **(Sanjay Jain)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.084906 Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल 2011

Place: Pune
Dated: 30th April 2011

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
पूंजी और दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**1069,71,26**	430,52,00
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**2914,57,13**	2436,83,80
अल्पसंख्यकों का हित Minorities Interest	2A	**-**	-
जमाराशियां Deposits	3	**66838,89,69**	63294,96,26
उधारियां Borrowings	4	**3076,56,42**	2796,95,33
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**2555,08,64**	2104,69,22
जोड़ Total		**76454,83,14**	71063,96,61
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**3846,00,41**	5315,39,40
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks and money at call and short notice	7	**203,35,31**	1379,16,39
निवेश Investments	8	**22481,05,82**	21300,69,50
ऋण और अग्रिम Loans & Advances	9	**46880,76,59**	40314,69,68
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**666,80,99**	659,55,14
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**2354,48,22**	2063,25,02
समेकन पर ख्याति Goodwill on Consolidation		**22,35,80**	31,21,48
जोड़ Total		**76454,83,14**	71063,96,61
समाश्रित दायित्व Contingent liabilities	12	**14403,32,92**	17625,31,61
संग्रहण के लिए बिल Bills for collection		**2113,23,00**	1738,41,44
उल्लेखनीय लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	17		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the accounts.

एम. जी. संघवी
M.G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. भट्टाचार्य
A.S. BHATTACHARYA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. डी.एस. पटेल
Dr. D.S. PATEL
निदेशक
Director

ए.के. पंडित
A.K. PANDIT
निदेशक
Director

सुश्री कमला राजन
Ms. KAMALA RAJAN
निदेशक
Director

वी.पी.भारद्वाज
V.P.BHARDWAJ
निदेशक
Director

एस.डी. धनक
S.D. DHANAK
निदेशक
Director

एस.एच.कोचेटा
S.H. KOCHETA
निदेशक
Director

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr. S.U. DESHPANDE
निदेशक
Director

वी. सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
Asstt General Manager, FM&A

आर. मुरलीधरन
R. MURALIDHARAN
उप महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
Dy. Gen. Manager, FM&A

के. एच. वझे
K. H. WAZE
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा - I व निवेशक सेवाएं
General Manager FM&A-I
& Investors services

ए. एस. बनर्जी
A. S. BANERJEE
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

पृष्ठ 95 पर जारी
Contd. on page 95

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

CONOSLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Previous Year)
I.	**आय INCOME**			
	अर्जित ब्याज एवं लाभांश Interest and dividend earned	13	**5563,08,76**	4735,58,45
	सहायक प्रतिष्ठानों में हानि/आय का अंश Share of earnings / loss in Associates		**4,27,32**	-
	अन्य आय Other income	14	**531,83,77**	591,88,71
	जोड़ Total		**6099,19,85**	5327,47,16
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**3594,29,59**	3438,95,88
	परिचालन व्यय Operating expenses	16	**1645,39,19**	1073,80,36
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions and contingencies		**524,71,14**	375,04,14
	जोड़ Total		**5764,39,92**	4887,80,38
	अल्पसंख्यकों के हित घटाने के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		**334,79,93**	439,66,78
	घटाएं : अल्पसंख्यकों के हित Less: Minorities' Interest		**-**	-
	वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित शुद्ध लाभ/हानि Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		**334,79,93**	439,66,78
	जोड़ें : समूह से संबंधित आगे लाई गई समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		**286,20,11**	129,09,00
	जोड़ Total		**621,00,04**	568,75,78
III.	**विनियोग APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक आरक्षित को अंतरण Transfer to statutory reserves		**83,48,92**	109,91,68
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue reserves		**5,33,93**	31,07,87
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve U/s 36(1)(viii) of IT Act 1961		**12,00,00**	15,00,00
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**3,03,97**	25,82,38
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**125,93,18**	86,10,40
	लाभांश पर कर Tax on Dividend		**20,91,57**	14,63,34
	शेष को समेकित तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to consolidated balance sheet		**370,28,47**	286,20,11
	जोड़ Total		**621,00,04**	568,75,78
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) **Face value per share (₹)**		**10/-**	10/-
	प्रति शेयर आय (मूल) (₹) Earnings per Share (Basic) (₹)		**6.96**	10.21

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the accounts.
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते बी. छावछरिया एंड कं.	**कृते रे एंड कं.**	**कृते जोध जोशी एंड कं.**	**कृते जेसीआर एंड कं.**	**कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.**	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
ForB.Chhawchharia&Co.	**For Ray & Co.**	**For Jodh Joshi And Co**	**For JCR & Co.**	**For N.Kumar Chhabra & Co.**	**For DSP & Associates**
एफआरएन 305123ई	एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डब्ल्यू	एफआरएन 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन
FRN: 305123E	FRN: 313124E	FRN: 104317W	FRN :105270W	FRN : 000837N	FRN: 006791N
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(एस.के.छावछरिया)	**(सुब्रता रॉय)**	**(मकरंद जोशी)**	**(अमित तानपुरे)**	**(नवतेज कुमार)**	**(संजय जैन)**
(S. K. Chhawchharia)	**(Subrata Roy)**	**(Makarand Joshi)**	**(Amit Tanpure)**	**(Navtej Kumar)**	**(Sanjay Jain)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
सदस्यता क्र.008482	सदस्यता क्र.051205	सदस्यता क्र.047196	सदस्यता क्र.129055	सदस्यता क्र.080496	सदस्यता क्र.084906
Membership No.: 008482	Membership No.:051205	Membership No : 047196	Membership No : 129055	Membership No : 080496	Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल 2011

Place: Pune
Dated: 30th April 2011

अनुसूची 1 : पूंजी
SCHEDULE 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital	**3000,00,00**	**3000,00,00**
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed & Paid up Capital		
क. ₹ 10/- के 48,17,12,553 इक्विटी शेयर (43,05,20,000 ईक्विटी शेयर) a 48,17,12,553 Equity Shares (43,05,20,000 equity shares) of ₹ 10/- each		
(केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10/- के 38,17,12,553 (33,05,20,000 ईक्विटी शेयर्स) शेयरों सहित (includes 38,17,12,553 Equity Shares (33,05,20,000 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Government)	**481,71,26**	430,52,00
ख. ₹ 10,00,000/- के 5880 के बेमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर धारित b 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held		
केन्द्र सरकार द्वारा by Central Government	**588,00,00**	-
कुल TOTAL	**1069,71,26**	430,52,00

अनुसूची 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE 2 : RESERVES & SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		2010-11	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I	**सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves**			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	638,67,92		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Add: during the year	83,48,92	**722,16,84**	638,67,92
II	**पूंजीगत आरक्षितियां Capital Reserves**			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	113,59,83		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Add: during the year	3,03,97	**116,63,80**	113,59,83
III	**शेयर प्रीमियम Share Premium**			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	130,00,00		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Add: during the year	300,80,74	**430,80,74**	130,00,00
IV	**अन्य आरक्षितियां Other Reserves:**			
	(i) राजस्व आरक्षितियां Revenue Reserve			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	757,78,80		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Add: during the year	5,33,93	**763,12,73**	757,78,80
	(ii) राजस्व आरक्षितियां Revaluation Reserve			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	454,57,14		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	1,32,88		
	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	12,35,47	**443,54,55**	454,57,14
	(iii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति Special Reserve U/s.36(1)(viii) of IT Act 1961			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	56,00,00		
	वर्ष के दौरान वृध्दि Add: during the year	12,00,00	**68,00,00**	56,00,00
	(iv) लाभ व हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	286,20,11		
	वर्ष के दौरान वृध्दि (शुद्ध) Add: during the year (net)	84,08,36	**370,28,47**	**286,20,11**
	जोड़ Total		**2914,57,13**	**2436,83,80**

अनुसूची 2 क : अल्पसंख्यकों का हित
SCHEDULE 2A : MINORITIES INTEREST

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
ईक्विटी (₹ के.... शेयर) Equity (.... Shares of Rs .... Each)	-	-
अधिग्रहण से पूर्व के आरक्षितियों व आधिक्यों में....प्रतिशत ....% in pre acquisition reserves & surplus.	-	-
अधिग्रहण के पश्चात आरक्षितियों व आधिक्यों में....प्रतिशत ....% in post acquisition reserves & surplus.	-	-
लाभ व हानि खाते में शेष Balance in profit & loss account	-	-
जोड़ Total	-	-

अनुसूची 3 : जमाराशियां
SCHEDULE 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
क. I.	मांग जमाराशियां		
A.	Demand Deposits		
	(i) बैंकों से From banks	**52,66,31**	63,04,58
	(ii) अन्यों से From others	**6545,70,05**	6131,53,41
II.	बचत बैंक जमाराशियां Savings Bank Deposits	**20432,65,89**	17164,38,08
III.	मीयादी जमाराशियां Term Deposits		
	(i) बैंकों से From banks	**110,46,00**	-
	(ii) अन्यों से From others	**39697,41,44**	39936,00,19
	जोड़ Total (I, II एवं III) (I, II and III)	**66838,89,69**	63294,96,26
क. (i)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हों		
B.	Deposits of Subsidiaries in India including foreign offices if any	-	-
(ii)	भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालय सहित, यदि कोई हों Deposits of Subsidiaries outside India including foreign offices if any	-	-
(iii)	मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent	**66838,89,69**	63294,96,26
	जोड़ Total (I, II एवं III) (I, II and III)	**66838,89,69**	63294,96,26
क. (i)	मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां	**66838,89,69**	63294,96,26
C.	Deposits of Parent in India		
(ii)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of Subsidiaries in India	-	-
(iii)	**भारत में कुल जमा Total deposits in India (i+ii)**	**66838,89,69**	63294,96,26
(iv)	मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parents outside India	-	-
(v)	सहायक कंपनियों की भारत के बाहर जमाराशियां Deposits of Subsidiaries outside India	-	-
(vi)	**भारत के बाहर कुल जमाराशियां Total Deposits outside India (iv+v)**	-	-
	जोड़ Total (iii+vi)	**66838,89,69**	63294,96,26

अनुसूची 4 : उधारियां
Schedule 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I.	भारत में उधारियां Borrowings in India		
(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank of India	-	-
(ii)	अन्य बैंकों से Other banks	-	-
(iii)	अन्य संस्थाओं और एजन्सियों से Other institutions and agencies	**377,60,59**	61,47,40
(iv)	अन्य दीर्घावधि उधारियां Other long term borrowings.		
a)	नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आयपीडीआय) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**295,00,00**	295,00,00
b)	बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debts Instruments issued as bonds	**1250,00,00**	1250,00,00
c)	गौण ऋण बॉण्ड Subordinated Debts Bonds	**955,00,00**	1122,50,00
II.	भारत के बाहर उधारियां Borrowings outside India	**198,95,83**	67,97,93
	जोड़ Total (I एवं II) (I and II)	**3076,56,42**	**2796,95,33**

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I)	देय बिल Bills payable	**440,97,38**	515,59,74
II)	अंतर कार्यालय (अंतर्शाखा) समायोजन (निवल) Inter-office (Inter branch) adjustments (net)		
	क. A. मूल कंपनी Parent	**-**	-
	ख. B. सहायक कंपनी Subsidiary	**-**	-
III)	आन्तर समूह समायोजन (शुद्ध) Intra group adjustments (net)	**-**	-
IV)	उपचित ब्याज Interest accrued	**60,03,62**	49,19,18
V)	अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)		
	i) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision against Standard Assets	**191,42,06**	153,80,85
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित) Other liabilities (incl. Provisions)	**1862,65,58**	1386,09,45
	जोड़ Total	**2555,08,64**	2104,69,22

अनुसूची 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेन्सी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	**424,91,45**	390,10,70
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खाते में In Current Account	**3421,08,96**	4925,28,70
	(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	**-**	-
	जोड़ Total (I एवं II) (I & II)	**3846,00,41**	5315,39,40

अनुसूची 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
Schedule 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I.	**भारत में In India**		
	(i) बैंकों में अधिशेष Balances with banks		
	(क) (a) चालू खातों में In Current accounts	**100,70,77**	178,17,01
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit accounts	**65,18,56**	15,18,56
	(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	(क) (a) बैंकों के पास With banks	**-**	200,00,00
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास With other institutions	**-**	949,43,92
	जोड़ Total (i एवं ii) (i & ii)	**165,89,33**	1342,79,49
II.	**भारत के बाहर Outside India**		
	(i) चालू खातों में In Current Account	**-**	-
	(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**37,45,98**	36,36,90
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	**-**	-
	जोड़ Total (i, ii एवं iii) (i, ii & iii)	**37,45,98**	36,36,90
	कुल जोड़ Grand Total (I एवं II) (I & II)	**203,35,31**	1379,16,39

अनुसूची 8 : निवेश
Schedule 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I.	**निम्नलिखित में भारत में निवेश Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) Government securities (inclusive of Treasury Bills & Zero Coupon Bonds)	**18541,40,46**	18226,37,94
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	**11,23,70**	25,76,50
	(iii) शेयर्स Shares	**140,18,99**	127,83,61
	(iv) डिबेंचर्स और बॉंड Debentures and Bonds	**883,40,80**	885,79,20
	(v) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates*	**42,62,29**	13,62,29
	(vi) सहायक प्रतिष्ठानों और/या सह उद्यमों हेतु Subsidiaries &/ or Joint Ventures	**-**	-
	(vii) अन्य Other:		
	क) a) यू.टी.आई./म्यूचुअल फंडों के यूनिट Units of UTI / Mutual Funds	**44,04,97**	80,09,26
	ख) b) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit	**753,76,53**	472,38,33
	ग) c) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**24,36,62**	9,90,29
	घ) d) पीटीसी PTCs	**22,88,43**	31,64,79
	च) e) आरआईडीएफ व अन्य RIDF & Others	**2017,13,03**	1427,27,29
	जोड़ Total	**22481,05,82**	21300,69,50
II.	**भारत से बाहर निवेश Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	**-**	-
	(ii) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	**-**	-
	(iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other investments (to be specified)	**-**	-
	जोड़ Total	**-**	-
	कुल जोड़ Grand Total (I एवं II) (I & II)	**22481,05,82**	21300,69,50
III.	**भारत में सकल निवेश Investments in India**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross value of Investments	**22604,48,03**	21340,39,57
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़ Aggregate of Provisions for Depreciation	**123,42,21**	39,70,07
	(iii) निवल निवेश Net Investment (i - ii)	**22481,05,82**	21300,69,50
	निवेश के विवरण Details of Investments:		
I.	**सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investments in Associates***	**42,86,48**	13,62,29
II.	**अन्य निवेश Other investments**	**22438,19,34**	21287,07,21
	जोड़ Total	**22481,05,82**	21300,69,50

सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश में ₹ 4,27,32 का चालू वर्ष का लाभ शामिल है.
* Investment in Associates Include Current Year profit ₹ 4,27,32

अनुसूची 9 : अग्रिम
Schedule 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
क. (i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल A. Bills purchased and discounted	**953,34,63**	898,01,99
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	**13011,33,95**	10510,43,65
(iii) मीयादी ऋण Term loans	**32916,08,01**	28906,24,04
(iv) लीज प्राप्य Lease Receivables	**-**	-
जोड़ Total	**46880,76,59**	40314,69,68
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) B. Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**34095,70,65**	31131,73,73
(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**651,58,76**	162,71,49
(iii) अ-संरक्षित Unsecured	**12133,47,18**	9020,24,46
जोड़ Total	**46880,76,59**	40314,69,68
ग. I. भारत में अग्रिम C. Advances in India		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority sector	**16107,30,09**	15898,94,38
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**7891,92,88**	5151,29,81
(iii) बैंक Banks	**-**	-
(iv) अन्य Others	**22881,53,62**	19264,45,49
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i) बैंकों से देय Due from banks	**-**	-
(ii) अन्यों से देय Due from others	**-**	-
(a) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased & discounted	**-**	-
(b) संघीय ऋण Syndicated Loans	**-**	-
(c) अन्य Others	**-**	-
जोड़ Total	**46880,76,59**	40314,69,68

अनुसूची 10 : स्थिर आस्तियां
Schedule 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I. **परिसर** Premises		
गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**631,69,25**	608,92,58
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	**10,39,02**	8,24,23
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन Addition on account of revaluation	**1,32,88**	14,73,86
वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year	**(26,74)**	-
अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**(130,90,00)**	(114,88,33)
I क. A. निर्माणाधीन परिसर Premises under construction	**-**	-
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर व फिक्स्चर्स शामिल हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
लागत पर (गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) At cost (as on 31 March of the preceding year)	**617,02,73**	560,49,78
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**80,48,58**	76,91,70
वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year	**(20,78,71)**	(20,53,72)
अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**(522,16,02)**	(474,34,96)
II क A. लीज पर आस्तियां Leased Assets		
लागत पर (गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) At cost as on 31st March of the preceding Year	**-**	-
समायोजन सहित वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year including adjustments	**-**	-
समायोजन सहित वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year including provisions	**-**	-
अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**-**	-
जोड़ Total (I, I क, II एवं IIक) (I, IA, II & IIA)	**666,80,99**	**659,55,14**

अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां
Schedule 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय (अंतर शाखा) समायोजन (निवल) Inter-office (Inter-branch) adjustments (net)		
क. a. मूल Parent	**314,52,88**	584,14,86
ख. b. सहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries	**-**	-
II. उपचित ब्याज Interest accrued	**443,56,91**	485,27,29
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**467,04,07**	441,13,49
IV. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and stamps	**4,67,83**	4,60,27
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax assets	**404,44,54**	278,14,23
VII. अन्य Others	**720,21,99**	269,94,88
जोड़ Total	**2354,48,22**	2063,25,02

अनुसूची 12 : आकस्मिक दायित्व
Schedule 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2010 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank/company not acknowledged as debt	**695,99,94**	520,21,66
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	**-**	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	**7062,96,07**	11544,77,57
IV. संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents:		
(क) (a) भारत में In India	**4369,13,87**	3632,68,31
(ख) (b) भारत के बाहर Outside India	**450,40,57**	315,62,70
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	**1424,81,93**	1212,01,37
VI. अन्य मदें जिनके लिये समूह समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which the group is contingently liable.	**400,00,54**	400,00,00
जोड़ Total	**14403,32,92**	17625,31,61

* वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित दायित्व में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.
* Contingent Liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची 13: अर्जित ब्याज
Schedule 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/discount on advances/bills	**4006,13,75**	3369,62,60
II. निवेशों पर ब्याज (परिशोधन से निवल) Interest on investments (Net of amortization)	**1520,29,62**	1297,92,33
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	**25,13,20**	58,23,17
IV. अन्य Others	**11,52,19**	9,80,35
जोड़ Total	**5563,08,76**	4735,58,45

अनुसूची 14 : अन्य आय
Schedule 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange & brokerage	**313,01,46**	264,65,56
II.	भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets	**85,95**	67,51
	घटाएं : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	**(61,69)**	(50,06)
III.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on exchange transactions	**31,42,81**	34,84,30
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on exchange transactions	**(2)**	-
IV.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**67,60,60**	210,55,96
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of investments	**(4,97,33)**	(6,28,07)
V.	क) a) लीज वित्त आय Lease finance income	**-**	-
	ख) b) लीज प्रबंधन शुल्क Lease management fee	**-**	-
	ग) c) अतिदेय प्रभार Overdue charges	**-**	-
	घ) d) प्राप्य लीज किराए पर ब्याज Interest on lease rent receivables	**-**	-
VI.	विविध आय Miscellaneous income	**124,51,99**	87,93,51
	जोड़ Total	**531,83,77**	591,88,71

अनुसूची 15 : व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**3282,35,58**	3182,71,13
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	**44,37,66**	68,05
III.	अन्य Others	**267,56,35**	255,56,70
	जोड़ Total	**3594,29,59**	3438,95,88

अनुसूची 16 : परिचालन व्यय
Schedule 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Period ended 31st March 2011 (Current Year)	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Period ended 31st March 2010 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1158,19,84**	656,32,04
II.	भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	**98,95,22**	93,87,13
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**14,09,17**	13,25,75
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**18,76,81**	14,03,14
V.	(क) (a) लीज पर आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-ह्रास Depreciation on bank's property other than Leased Assets	**67,86,03**	75,09,54
	(ख) (b) लीज आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Leased Assets	**-**	-
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**76,36**	88,91
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	**14,18,72**	11,82,65
VIII.	विधि प्रभार Law charges	**5,34,36**	5,09,55
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, telegrams, telephones, etc.	**20,47,66**	14,66,39
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**30,38,48**	22,76,30
XI.	बीमा Insurance	**65,86,74**	56,92,95
XII.	ख्याति का परिशोधन, यदि है Amortisation of Goodwill, if any	**-**	-
XIII.	अन्य व्यय Other expenditure	**150,49,80**	109,06,01
	जोड़ Total	**1645,39,19**	1073,80,36

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ

(31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका अंतरंग भाग)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. लेखा प्रथाएं

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं.

1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखा मानक 23- ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

1.5 सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2011 के बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिध्दान्त

क) संबंद्ध इकाई :

लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर्स एण्ड ट्रस्टी कं.प्रा. (मेटको)	भारत	सहायक	100%

लेखा मानक 23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	प्रायोजक बैंक	35%

भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.07.2009 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र में प्रायोजित मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक को आपस में मिलाकर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय नांदेड में है.

ख) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतरा-समूह अतिशेषों / संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, दायित्वों, आय और खर्चे इत्यादि जैसी मदों के बही मूल्य को लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ कर समेकित किया गया है और सहायक प्रतिष्ठान में बैंक के निवेश आधिक्य को समेकन के बाद पूंजी आरक्षितियों में शामिल कर दिया गया है.

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को ईक्विटी पध्दति आधार पर एकत्र किया गया है. सहायक प्रतिष्ठान में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में ख्याति माना गया है.

जहां कहीं आवश्यक है वहां, सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है.

सहायक प्रतिष्ठान ने कतिपय मामलों में समान परिस्थितियां और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है. समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन

SCHEDULE-17

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011.)

(Figures in bracket relate to previous year)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated.

1.2. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for investments in Associate in Consolidated Financial Statements", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as otherwise stated.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.5. The financial statements of the Subsidiary and Associate are drawn up to 31st March 2011.

2. Principles of Consolidation:

A) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt. Ltd. (METCO)	India	Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for investments in Associates in consolidated financial statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank	India	Sponsored Bank	35%

As per the Government of India, notification dt.20.07.2009, Marathwada Gramin Bank and Maharashtra Godavari Gramin Bank sponsored by Bank of Maharashtra in the State of Maharashtra are amalgamated into a single Regional Rural Bank which is "Maharashtra Gramin Bank" with its Head Office at Nanded

B) Basis of Preparing Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances/transactions & the excess over Bank's investment in subsidiary is taken as Capital Reserve after consolidation.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements

नहीं किया गया है. तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, मामूली हैं.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है.

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न समाश्रित देयताओं को फेडाई द्वारा प्रकाशित समाप्त विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

4. निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i. सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों (शेयर, डिबेंचर बांड पारस्परिक निधियों के यूनिट, सी पी व सी डी इत्यादि) में निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

(क). परिपक्वता तक धारित

(ख). बिक्री के लिए उपलब्ध

(ग). व्यापार के लिए धारित

ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :

(क). सरकारी प्रतिभूतियां

(ख). अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ग). शेयर्स

(घ). डिबेंचर तथा बांड

(ङ). सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

(च). अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, पारस्परिक निधि यूनिट, आर ई डी एफ इत्यादि)

iii. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. अंतरण की दिनांक पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर निवेशों का अंतरण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास पैदा होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदल दिया जाता है

iv. निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है वहां प्रिमियम अतिरिक्त अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया है.

ii) ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य, अंकित मूल्य से कम है, अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है. सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) लाभ पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षिति से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet Date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with R.B.I. / FEDAI Guidelines.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i. Investments in SLR and non-SLR securities (Shares, Debentures, Bonds, Units of MF, CP, CD, etc.) are classified in following categories:

a. Held to maturity

b. Available for sale

c. Held for trading

ii. All the securities are classified in the following six classifications:

a. Government Securities

b. Other approved securities

c. Shares

d. Debentures and bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, RIDF etc).

iii. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

iv. Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

ii) In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.

iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मार्क-टू-मार्केट किया गया है. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाए गए पध्दति से किया गया है. उद्धृत शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन ₹ 1 प्रति कंपनी किया गया है.

- खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. पारस्परिक निधियों की लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है.
- ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' के अंतर्गत प्रत्येक उप-श्रेणी के उपर्युक्त मूल्यन के आधार परः

i. यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इसे उपेक्षित किया गया है.

ii. यदि आंकड़ों का परिणाम मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

iii. जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक स्क्रिप को मूल लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन मासिक अंतर से बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार किया गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व पर प्रभारित किया गया है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक था उसे छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूति का बही मूल्य नहीं बदला गया है.

ii. इस श्रेणी में निवेश विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास / प्रावधान किया गया है.

ड. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय (इक्विटी / अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) उपचित लागतों यथा दलाली, फीस इत्यादि को व्यय माना गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

1) मूल्यन :

क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट नहीं है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट है.

2) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकनः

क) हेजिंग स्वैप :वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निश्चेय है, लेखाबद्ध किया गया.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

iii) स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा

क) हेजिंग स्वैप : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹.1/- per company.

- Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.
- Based on the above valuation under each of six-sub classifications under Available for Sale:-

i. If the figure results in appreciation, the same is ignored.

ii. If the figure results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.

iii. The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. अग्रिम :

5.1 तुलनपत्र में दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन से निवल हैं.

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है, तथा रक्षित अवमानक आस्तियों के लिए भा.रि.बैंक द्वारा जारी आयआरएसी मानदंडों के अनुसार 10% की दर के स्थान पर बैंक ने 15% की दर से प्रावधान किया है.

5.3 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को अन्य देयताएं व प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है.

5.4 अनर्जक आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और उसके बाद ब्याज में समायोजित किया जाता है.

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रासः

6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि पर उल्लेख किया गया है.

6.2 निम्नांकित को छोड़कर स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में अनुबध्द दरों पर लिया गया है.

क) कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.

ख) ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास खरीदी वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत करने के स्थान पर लागू दरों पर किया गया.

ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए किया गया. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

6.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया.

6.4 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.5 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास कम कर के किया गया है. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची में निर्धारित दरों के आधार पर ह्रासमान शेष पध्दति से लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण :

7.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया गया है, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, लॉकर किराया, म्युच्युअल फंड व्यवसाय से आय.

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे.

ङ. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक.

च. प्रसंस्करण फीस.

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

5. Advances:

5.1 Advances shown in the Balance Sheet are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.

5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time except in case of secured sub standard assets, the Bank has made provision @15% instead of @10% as per IRAC norms issued by RBI.

5.3 Provisions for standard assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions"

5.4 Recoveries in the non performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Premises and other Fixed Assets are accounted for at cost except certain premises, which are revalued and stated at revalued amount.

6.2 Depreciation is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except for:-

a. On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee one as per Reserve Bank of India guidelines. Computers include software, ATM and UPS also.

b. On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

c. Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

6.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.

6.4 Leasehold land is amortized over the period of lease.

In case of the subsidiary:

6.5 In the case of METCO, the fixed assets are valued at cost less depreciation. The depreciation on fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

7.2 आयकर रिफण्ड पर ब्याज आय को संबंधित प्राधिकारी द्वारा रिफण्ड आदेश पारित करने के वर्ष में लेखाबध्द किया गया.

7.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : अनुमानित इकाई जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10 प्रावधान , आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक मानक 29- प्रावधान , आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण पैदा हुई वर्तमान प्रतिबध्दताओं के लिए प्रावधान करता है.यह संभव है कि जब प्रतिबधदता का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो तब प्रतिबध्दताओं का निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता पड़े आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है चूंकि इससे ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी वसूली न जा सके.

11. शुध्द लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित शुध्द लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं/अन्य शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है.

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित समग्र कर खर्च का जोड़ है.

7.2 Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

7.3 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined using Projected Unit Credit Method. Actuarial Valuations under the Projected Unit Credit Method are carried out as at the Balance Sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises current income tax, wealth tax and the deferred tax. The deferred tax assets and liabilities are recognized, subject to the consideration of prudence, taking in to account the timing differences between taxable income and accounting income, in terms of Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

अनुसूची 17 खातों पर टिप्पणियाँ

1. दि.31.3.2009 को मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक व महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक नामक दो सहायक प्रतिष्ठान थे जिनको आपस में मिलाकर दिनांक 20.07.2009 को महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया गया. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने सहायक प्रतिष्ठानों में अनअवशोषित हानियों पर रखरखाव लागत की अधिकता के कारण ख्याति से अनअवशोषित हानियों को समायोजित करने के बाद सहायक प्रतिष्ठानों के लाभ में अपने हिस्से को दर्शाया है.

   वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 45.34 करोड़ की पुनःपूंजीकरण निधि, जिसमें भारत सरकार द्वारा (50% अर्थात ₹ 22.67 करोड़), महाराष्ट्र सरकार द्वारा (15% अर्थात ₹ 6.80 करोड़) तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा (35% अर्थात ₹ 15.87 करोड़) उपलब्ध कराई जा रही है, में से ₹ 15.87 करोड़ की पूंजी लगाई है.

2. **निवेश :**

   बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' और ''विपणन हेतु धारित'' में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

3. **ईक्विटी शेयरपूंजी पर लाभांश**

   बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले ईक्विटी शेयर पर 20% की दर से ₹ 2.00 प्रति ईक्विटी शेयर का लाभांश अनुशंसित किया है, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है.

4. **बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:**

4.1 **लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, गतावधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन**

   चूंकि आय/व्यय की गतावधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबध्द किया गया है.

4.2 **लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

   अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - में दी महत्वपूर्ण लेखा नीति 7 (आई) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है.

4.3 **समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17)**

SCHEDULE -17 -NOTES ON ACCOUNTS

1. As on 31.03.2009 there were two associates viz. Marathwada Gramin Bank (MGB) and Maharashtra Godavari Gramin Bank (MGGB) which were amalgamated on 20.07.2009 and a new entity in the name of Maharashtra Gramin Bank(MGB) came into existence. During the year parent bank has recognized its share of profit in associates after adjusting the unabsorbed losses from goodwill, due to excess of carrying amount in associates over unabsorbed losses of the associates.

   During the current year, the bank has infused ₹ 15.87 crore out of total recapitalization fund of ₹ 45.34 crore to be provided by Government of India (50% i.e. ₹ 22.67 crore), Government of Maharashtra (15% i.e. ₹ 6.80 crore) and Bank of Maharashtra (35% i.e ₹ 15.87 crore).

2. **Investments:**

   The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

3. **Dividend on Equity Share Capital**

   The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @ 20% for the year, i.e. ₹ 2.00 per equity share of face value of ₹ 10/- each, which is subject to approval of Government of India.

4. **The Bank has complied with the mandatory Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:**

4.1 **Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**

   As Prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

4.2 **Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

   As per Accounting Policy No. 7(i), given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

4.3 **Consolidated Segment Reporting (AS-17):**

(₹ करोड़ में)
(₹ in crore)

व्यवसाय खंड Business Segments →	खजाना Treasury		निगमित / होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**
राजस्व Revenue	1644.33	1598.13	2640.82	2128.45	1737.74	1552.12	76.31	48.77	6099.20	5327.47
परिणाम Result	182.03	337.18	137.45	108.35	40.71	113.23	37.86	18.22	398.05	576.98
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									5.75	8.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									392.30	568.98
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									57.50	129.32
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									334.80	439.66
खंड आस्तियां Segment assets	23012.95	22871.18	32133.23	27066.11	15353.31	13823.64	4747.46	5968.68	75246.95	69729.61
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									1229.83	1352.45
कुल आस्तियां Total assets									76476.78	71082.06
खंड देयताएं Segment liabilities	22680.02	21430.15	30056.78	27829.78	14361.18	14213.67	5225.72	4622.27	72323.70	68095.87
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									168.80	118.83
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									3984.28	2867.36
कुल देयताएं Total liabilities									76476.78	71082.06

क) खजाना खंड में निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है.

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें फुटकर बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है.

ग) फुटकर बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को शामिल किया गया है, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिरूप को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिरूप को प्रदान किया गया अधिकतम सकल फुटकर उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है.

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है.

उपर्युक्त अभिगोपन प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा अवलंबित अभिलेखों/ सूचना के आधार पर किए गए हैं.

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है.

4.4 **लेखा मानक 18- संबध्द पक्ष प्रकटनः**

इससे संबंधित ब्योरे निम्नानुसार हैंः

सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंधः

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी

1. श्री. ए.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.10.2010 से)

2. श्री. अलेन सी. ए. पिरेरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (04.06.2008 से 30.09.2010 तक)

3. श्री. मधुकांत जी संघवी, कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 से)

बैंक की अनुषंगी कंपनी, दी महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार (महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति)-

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.11**	31.03.10
वेतन व भत्ते	**0.25**	0.28

चूँकि बैंक, उसकी अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में हैं अतः एएस 18 की अपेक्षाओं के अनुसार उनसे किये जाने वाले संव्यवहारों के सम्बंध में किसी भी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

4.5 **लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय**

	31.03.2011	31.03.2010
मूल/कम की गई प्रति शेयर आय	**₹ 6.96**	₹ 10.21
मूल/कम की गई प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	**30,029.55**	43,966.78
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	**4,313.61**	4,305.20
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	**₹ 6.96**	₹ 10.21
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	**₹ 10.00**	₹ 10.00

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i. total average annual turnover is less than ₹ 50.00 crore and

ii. no aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

4.4 **Accounting Standard 18 – Related party disclosures:**

The details in this regard are mentioned as below:

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank:

Key Managerial Personnel-

1. Shri Anup S Bhattacharya, Chairman & Managing Director (from 01.10.2010)

2. Shri Allen C. A. Pereira, Chairman & Managing Director (from 04.06.2008 to 30.09.2010)

3. Shri Madhukant G Sanghvi, Executive Director (from 15.10.2008)

Subsidiary of the Bank– The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

Associate of the Bank- Maharashtra Gramin Bank

Transactions with Related parties (Key Managerial Persons)-

(₹ in crore)

Particulars	**31.03.11**	31.03.10
Salary & Allowance	**0.25**	0.28

Since the bank, its subsidiary and associates are state controlled, no disclosures are required to be made pertaining to the transactions with them in accordance with the requirements of AS 18.

4.5 **Accounting Standard 20- Earning per Share**

	31.03.2011	31.03.2010
Basic / Diluted E.P.S.	**₹ 6.96**	₹ 10.21
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	**30,029.55**	43,966.78
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in lakhs)	**4,313.61**	4,305.20
c) Basic Earning per share (a) divided by (b)	**₹ 6.96**	₹ 10.21
d) Nominal Value per Share	**₹ 10.00**	₹ 10.00

4.6 **लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखा**

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	31.03.2011	31.03.2010
आस्थगित कर आस्तियां		
1) अशोध्य व डूबंत ऋणों व अन्यों हेतु प्रावधान के लिए समय अंतर के कारण	**133.89**	80.42
2) लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	**173.35**	0.00
3) अचल आस्ति पर मूल्यहास हेतु	**6.95**	61.90
4) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	**112.20**	153.92
कुल	**426.39**	296.24
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	**21.95**	18.10
कुल	**21.95**	18.10
निवल आस्थगित कर आस्तियां- अनुसूची 11 (अन्य आस्तियां) में दर्शाई गईं	**404.44**	278.14

मेटको के संबंध में डीटीए के संबंध में चालू वर्ष के दौरान हुए ₹ 649590/-(डीटीएल ₹ 18092) के मूल्यह्रास और प्रारंभिक खर्चों को तुलन पत्र में दर्शाया गया है.

4.7 **लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

(1) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोगी अवधि - 3 वर्ष

परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पद्धति - लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	**11.24**	11.32
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	**2.97**	5.54
वर्ष के दौरान परिशोधन	**10.20**	5.62
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	**4.01**	11.24

4.8 **आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):**

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि आस्तियों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

4.9 **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)**

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

(i) अंतर शाखा व्यवहारों, अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ संव्यवहारों, नाममात्र खातों, अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के अंतर्गत पुरानी प्रविष्टियों, साधारण खाता बही से सहायक लेजरों में कतिपय जमा खातों, समाशोधन खातों, अन्य आस्तियों/देयताओं के समायोजन/समाशोधन/हटाने का कार्य प्रगति पर है. इसी तरह, स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरण के समाधान का कार्य प्रगति पर है. इनका राजस्व पर प्रभाव, परवर्ती प्रभाव सहित, का पता नहीं लगाया जा सका है.

4.6 **Accounting for Taxes on Income (AS-22):**

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful debts & Others.	**133.89**	80.42
2) On account of provisions for Employees' benefits as per AS-15 (Revised)	**173.35**	0.00
3) On account of depreciation on fixed assets	**6.95**	61.90
4) Other Provisions where DTA is created	**112.20**	153.92
Total	**426.39**	296.24
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	**21.95**	18.10
Total	**21.95**	18.10
Net Deferred Tax Asset-shown in Schedule 11 (Other Assets)	**404.44**	278.14

In respect of METCO, DTA in respect of depreciation & preliminary expenses for the current year amounting to ₹ 649590/- (DTL ₹ 18092) has been shown in Balance Sheet.

4.7 **Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.**

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33%

Amortization Method - Straight line at cost.

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Software at the beginning of the year	**11.24**	11.32
Software acquired during the year	**2.97**	5.54
Amortization during the year	**10.20**	5.62
Net carrying amount at the end of the year	**4.01**	11.24

4.8 **Impairment of Assets (AS-28):**

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

4.9 **Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):**

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

(i) Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities, further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities. Similarly, reconciliation of inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue, is not ascertainable.

(ii) पिछले वर्ष तक, आय अभिनिर्धारण व आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन हेतु अनर्जक अग्रिमों के अभिनिर्धारण के लिए बैंक क्रीम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था. लेकिन, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालनार्थ बैंक ने आय अभिनिर्धारण व आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली को आशोधित किया है.

(iii) कतिपय लंबे लंबित कानूनी विवादों/औपचारिकताओं के कारण ₹ 7.00 करोड़ (₹ 8.02 करोड़) के पुनःमूल्यांकित कुछ परिसरों के संबंध में बैंक के पक्ष में हक विलेख निष्पादित/पंजीकृत करना शेष है.

5. ख्याति व निवेशों पर रखाव-लागत

दिनांक 31.3.2011 को ₹ 22.36 करोड़ (₹ 31.21 करोड़) की ख्याति सहायक प्रतिष्ठानों से संबंधित थी.

वर्ष के दौरान बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में पूंजी के रूप में ₹ 15.87 करोड़ की पूंजी लगाई. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के शेयर के यथार्थ मूल्य के आधार पर ₹ 12.83 करोड़ नए निवेश की रखाव-लागत दर्शाई गई है तथा नए निवेश से ₹ 3.04 करोड़ की ख्याति अभिनिर्धारित की गई है.

6. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख 'खातों पर टिप्पणियां' के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के सोलो वित्तीय विवरणों में दी गई है.

7. जहां कहीं आवश्यक हुआ हो वहां गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके.

(ii) Till previous year, the Bank was identifying NPAs to comply with Income Recognition, Asset Classification (IRAC) Norms through the CREAM software. However, to comply with the directions of Ministry of Finance, the Bank has now modified its Core Banking Solution (CBS) system with a view to classify NPAs as per IRAC.

(iii) The title deeds in respect of few revalued premises having cost ₹ 7.00 crore (₹ 8.02 crore) are not yet executed/registered in favour of the bank due to certain long pending legal disputes/formalities

5. Goodwill and carrying amount of investment.

Goodwill of ₹ 22.36 crores (₹ 31.21 crores) pertains to associate as on 31.03.2011.

During the year, the bank has infused ₹ 15.87 crore in the form of capital in Maharashtra Gramin Bank. Based on the intrinsic value of share of Maharashtra Gramin Bank, ₹ 12.83 crore has been shown as carrying amount of fresh investment and ₹ 3.04 crore are identified as goodwill out of fresh infusion made.

6. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the sole Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

7. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में) (₹ In Thousands)

ब्योरे Particulars		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011		31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	
क परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES					
आय INCOME					
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED			5563,08,76		4735,58,45
अन्य आय OTHER INCOME			536,11,09		591,88,71
			6099,19,85		**5327,47,16**
घटाएं : व्यय व प्रावधान LESS: EXPENDITURE & PROVISIONS					
प्रदत्त ब्याज INTEREST PAID			3594,29,59		3438,95,88
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES			1645,39,19		1073,80,36
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTINGENCIES			524,71,14		375,04,14
			5764,39,92		**4887,80,38**
व्यय के ऊपर आय अधिक होने का कारण नकदी में निवल वृद्धि					
NET INCREASE IN CASH DUE TO INCREASE OF INCOME OVER EXPENSES			**334,79,93**		**439,66,78**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग से विचाारित मदें					
ADD : NON CASH ITEMS & ITEMS CONSIDERED SEPARATELY					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTINGENCIES		524,71,14		375,04,14	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास DEPRECIATION FOR FIXED ASSETS		67,86,03		75,09,54	
टीयर 2 बॉंडस पर ब्याज INTEREST ON TIER II BONDS		232,86,94	825,44,11	207,08,46	657,22,14
			1160,24,04		1096,88,92
घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (शुद्ध) LESS: DIRECT TAXES PAID (NET)			-233,32,37		-302,54,76
परिचालनों से अर्जित नकद लाभ					
CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS	**(I)**		**926,91,67**		**794,34,16**
परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि					
NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES:					
जमाराशियां DEPOSITS		3543,93,43		11045,08,32	
उधारी (टीयर/2 बॉंड को छोड़कर) BORROWINGS (EXCL. TIER I/ II BONDS)		447,11,09		-60,55,99	
अन्य देयताएं व प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		-111,61,19		-10,69,89	
	जोड़ Total	3879,43,33		10973,82,44	
घटाएं : परिचालन आस्तियों में शुद्ध वृद्धि					
LESS: NET INCREASE OF OPERATING ASSETS					
निवेश INVESTMENTS		1180,36,32		2941,70,77	
अग्रिम ADVANCES		6566,06,91		6023,92,40	
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS		57,90,83		465,90,39	
	जोड़ Total	7804,34,06		9431,53,56	
परिचालन आस्तियों पर परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि (II)					
NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES OVER OPERATING ASSETS	**(II)**		**-3924,90,73**		**1542,28,88**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (I+II) = (क)					
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II) = (A)			**-2997,99,06**		**2336,63,04**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES					
अचल संपत्तियों का क्रय/विक्रय PURCHASE / SALE OF FIXED ASSETS		-86,10,76		-64,77,16	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)					
NET CASH FLOW FORM INVESTING ACTIVITIES (B)			**-86,10,76**		**-64,77,16**
ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
1) टीयर II/अपर टीयर II बॉंडस से अगम (मोचन सहित)					
Proceeds from Tier II Bonds, Upper Tier II Bonds and Perpetural (incl. redemption)		-167,50,00		600,00,00	
2) लाभांश तथा कर Dividend plus tax		-100,73,31		-75,55,30	
3) टीयर II बॉंडस पर ब्याज Interest on Tier II Bonds		-232,86,94		-207,08,46	
4) ईक्विटी शेअर्स Equity Shares		352,00,00		-	
5) पीएनसीपीएस शेअर्स PNCPS Shares		588,00,00		-	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह = (ग)					
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES = (C)			**438,89,75**		**317,36,24**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)			**-2645,20,07**		**2589,22,12**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में) (₹ In Thousands)

ब्योरे Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
द्वारा प्रतिनिधित्व REPRESENTED BY-		
वर्ष के आरंभ में शेष Balances at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	5315,39,40	3881,42,02
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	1379,16,39	223,91,65
	6694,55,79	**4105,33,67**
वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	3846,00,41	5315,39,40
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	203,35,31	1379,16,39
	4049,35,72	**6694,55,79**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	**-2645,20,07**	**2589,22,12**

के. एच. वझे **K. H. WAZE** महाप्रबंधक विप्र व ले-1 व निवेशक सेवाएं General Manager FM&A-I & Investors services	**ए. एस. बनर्जी** **A. S. BANERJEE** मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	**एम. जी. संघवी** **M.G. SANGHVI** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**ए. एस. भट्टाचार्य** **A.S. BHATTACHARYA** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

कृते बी. छावछरिया एंड कं. **ForB.Chhawchharia&Co.** एफआरएन 305123ई FRN: 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एफआरएन 313124ई FRN: 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi And Co** एफआरएन 104317डब्ल्यू FRN: 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीऑर एंड कं.** **For JCR & Co.** एफआरएन 105270डब्ल्यू FRN :105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.** **For N.Kumar Chhabra & Co.** एफआरएन 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स** **For DSP & Associates** एफआरएन 006791एन FRN: 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एस.के.छावछरिया) **(S. K. Chhawchharia)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.008482 Membership No.: 008482	**(सुब्रता रॉय)** **(Subrata Roy)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.051205 Membership No.:051205	**(मकरंद जोशी)** **(Makarand Joshi)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.047196 Membership No : 047196	**(अमित तानपुरे)** **(Amit Tanpure)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.129055 Membership No : 129055	**(नवतेज कुमार)** **(Navtej Kumar)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.080496 Membership No : 080496	**(संजय जैन)** **(Sanjay Jain)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.084906 Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : अप्रैल 30, 2011

Place : Pune
Date : April 30, 2011

B. Chhawchharia & Co.,
Chartered Accountants,
8A & 8B, Satyam Towers,
3, Alipore Road,
Kolkata — 700 027

Ray & Co.,
Chartered Accountants,
21A, ShakspeareSarani,
Flat 8C, 8th Floor,
Kolkata — 700 017

Jodh Joshi And Co.,
Chartered Accountants,
J.P. House, 1st Floor,
Ravinagar Square,
Amravati Road,
Nagpur — 400 010

J C R & Co.,
Chartered Accountants,
Raval House,
18th Road, Khar (W),
Mumbai — 400 052.

N. Kumar Chhabra & Co.,
Chartered Accountants,
SCO 1094-95,
Sector 22-B,
Chandigarh — 160 022

DSP & Associates,
Chartered Accountants,
783, DeshBandhu Gupta
Road, Karol Bagh,
New Delhi — 110 005

बी. छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
8ए व 8बी सत्यम टॉवर्स,
3, अलीपुर रोड,
कोलकता-700027

रे एंड कं.
सनदी लेखाकार
रूम नं. 8सी, 8वीं मंजिल
21 ए, शेक्सपीयर सरनी,
कोलकता-700017

जोध जोशी एंड कं.
सनदी लेखाकार
जे.पी.हाउस,1ली मंजिल,
रविनगर स्क्वेयर,
अमरावती रोड
नागपुर-400 010

जे सी आर एंड कं.
सनदी लेखाकार
रावल हाउस,
18वीं रोड़, खार (पश्चिम)
मुंबई-400052

एन. कुमार छाबड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एससीओ 1094-95
सेक्टर 22 - बी
चंडीगढ़-160 022

डीएसपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
783, देशबंधु गुप्ता रोड़
करोल बाग
नई दिल्ली-110 005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2011 का समेकित तुलन पत्र समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है.

2. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक (अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के वित्तीय विवरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियां, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित 1298 शाखाओं की विवरणियां और हमारे द्वारा लेखापरीक्षित खजाना और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा की विवरणियां शामिल हैं.

   जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही मूल बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 14.13 प्रतिशत शाखाओं, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नही हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.49%, जमाराशियों में 2.17%, ब्याज आय में 0.67% और ब्याज खर्च में 2.16% हिस्सा है.

3. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2011 को रु 669.54 लाख की कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु रु 13.80 लाख का लाभ दर्शाया गया है.साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है,समूह के लाभ के हिस्से को 427.32 लाख बताया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई. इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है.

4. हम सूचित करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समेकित वित्तीय विवरण और सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश लेखा मानक 23 के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों पर तैयार किए गए हैं.ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रबंधन की जिम्मेदारी है. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया गलत भौतिक कथन से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यक्ताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.

AUDITORS' REPORT

To

The President of India.

Report On Financial Statements -

1. We have audited the accompanying Consolidated financial statements of BANK OF MAHARASHTRA , its one subsidiary and one associate (the Group) as at 31st March 2011 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. The Financial Statements of Parent (i.e. Bank of Maharashtra) audited by us and incorporated in these statements incorporate the returns of 20 branches & The Treasury & International Banking Branch (TIBB) audited by us and the returns of 1298 branches audited by other Branch Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit & Loss of parent are the returns from 14.13% branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches of Parent account for 1.49% of advances, 2.17% of deposits, and 0.67% of interest income and 2.16% of interest expenses of the Parent.

3. We did not audit the financial statements of subsidiary which reflect total assets of ₹ 669.54 lakh as on 31st March, 2011 and net profit of ₹ 13.80 lakh for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of ₹ 427.32 lakh for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial Statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate, is based solely on the reports of the other auditors.

4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21 -Consolidated Financial Statements' and 'AS 23 — Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', and on the basis of separate audited financial statements of the bank and its subsidiary and associate included in the Consolidated Financial Statements. These Consolidated Financial Statements have been drawn up in the form prescribed by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements -

5. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility -

6. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

7. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.

8. हम विश्वास करते है कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उचित है.

मामलों का महत्व-

9. हमारे अभिमत की योग्यता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि

क) मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 4.2 में सुरक्षित अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान की लेखा नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल कंपनी का निवल लाभ (कर से निवल) ₹ 18.86 करोड़ से कम रहा जिसका प्रभाव बैंक की समेकित आस्तियों और देयताओं पर भी पड़ा.

ख) समेकित लेखों के साथ संलग्न मूल कंपनी के टिप्पणी क्रमांक 10.3 में अनुसूची 18 रुपये 409.90 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन तथा उपदान देयता के आस्थगतन की व्याख्या करता है, जिसका संबंध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर भा.रि.बैंक के दिनांक 09 फरवरी 2011 के परिपत्र क्रं. डीबीओडी.डीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15- कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों को करने से छूट देने से है.

यदि यह परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो मूल कंपनी का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 409.90 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नही किया गया है.

अभिमत

10. हमने यह पाया है कि

क) मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 9.5.4 - गत वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर प्रभारित अधिक मूल्यऱ्हास का परिणाम निश्चित नहीं किया जा सका.

ख) समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध 18 के नोट क्रं. 9.3 में किये गये उल्लेख के अनुसार कुछ आस्तियों/ देयताओं,समाशोधन के अंतरों, अंतर शाखा खातों/ स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरणों के सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पड़ने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं हैं.

ग) मूल बैंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुसूची 17 के पैरा क्र. 6.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के बजाए कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के नगदी आधार पर अभिनिर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 9 राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है.

हमारे उपरोक्त अवलोकनों के अधीन हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए अनुसारः

i. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे समूह के 31 मार्च,2011 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.

ii. समेकित लाभ व हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और

iii. नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

7. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

8. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matters —

9. Without qualifying our opinion, we draw attention to —

a) Note No. 4.2 in Schedule 18 of the Parent annexed to consolidated accounts regarding change in accounting policy of provisioning in respect of secured sub-standard assets, due to which net profit (net of tax) of the Parent for the year is lower by ₹ 18.86 crore with a consequential effect on consolidated assets and liabilities of the bank.

b) Note No. 10.3 in Schedule 18 of the Parent annexed to consolidated accounts which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 409.90 crores, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of 'AS 15 — Employee Benefits' vide its Circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of 9th February, 2011 on 'Reopening of pension Option to Employees of Public Sector Bank and Enhancement in Gratuity limits — Prudential Regulatory Treatment'.

Had the said Circular not been issued, the 'profit before tax' of the Parent Bank would have been lower by ₹ 409.90 crores pursuant to application of the requirements of AS 15, the consequential effect of which has not been ascertained on other related components of the financial statements.

Opinion

10. We have observed that -

a) Note No. 9.5.4 in Schedule 18 of Parent annexed to consolidated accounts regarding excess charging of depreciation in earlier years by the Parent on 'Electrical Equipments', the impact of which is not yet ascertained.

b) the effect of adjustments that may arise from the ongoing reconciliation of certain assets/liabilities, clearing differences, inter branch accounts/ inter branch transfer of fixed assets and charge of depreciation on fixed assets, (as stated in Note No. 9.3 of Schedule 18 of the Parent annexed to consolidated accounts), the consequential impact whereof on the accounts is not ascertainable.

c) the Parent is following the policy of recognizing the income from commission, locker rent etc. on cash basis during the year, instead of accrual basis as stated in para no. 6.1 of 'Schedule 17 Significant Accounting Policies' annexed to consolidated accounts which are not in conformity with the 'AS 9 - Revenue Recognition', issued by ICAI.

Subject to our observations above, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Group :-

i. The Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit the true and fair state of affairs of the Group as at 31st March, 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies shows a true Balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and

iii. the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

11. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म क तथा ख के अनुसार तैयार किया गया है.

12. उपर्युक्त परिच्छेद 1 से 8 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क. हमारी जानकारी और विशवास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

    ख. समूह के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.

    ग. हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet and Consolidated Profit & Loss Account have been drawn up in accordance with Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

12. Subject to the limitations of auit indicated in paragraph 1 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

    b. The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purpose of our audit.

    c. In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते बी. छावछरिया एंड कं. **For B. Chhawchharia & Co.** एफआरएन 305123ई FRN: 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एफआरएन 313124ई FRN: 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi And Co** एफआरएन 104317डब्ल्यू FRN: 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीआर एंड कं.** **For JCR & Co.** एफआरएन 105270डब्ल्यू FRN :105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते एन. कुमार छाबड़ा एंड कं.** **For N.Kumar Chhabra & Co.** एफआरएन 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स** **For DSP & Associates** एफआरएन 006791एन FRN: 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एस.के.छावछरिया) **(S. K. Chhawchharia)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.008482 Membership No.: 008482	**(सुब्रता रॉय)** **(Subrata Roy)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.051205 Membership No.:051205	**(मकरंद जोशी)** **(Makarand Joshi)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.047196 Membership No : 047196	**(अमित तानपुरे)** **(Amit Tanpure)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.129055 Membership No : 129055	**(नवतेज कुमार)** **(Navtej Kumar)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.080496 Membership No : 080496	**(संजय जैन)** **(Sanjay Jain)** भागीदार (Partner) सदस्यता क्र.084906 Membership No : 084906

स्थान : पुणे
दिनांक : अप्रैल 30, 2011

Place : Pune
Date : April 30, 2011

(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए)

एमसीएस लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी. डिमेलो रोड़
(घाडियाल गोडी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009.
फोनः (022) 2372 6253 56 फैक्स : (022) 2372 6252

प्रिय महोदय,

विषय :बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए.

(For Shareholders holding shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road,
(Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai-400 009.
Phone : (022) 2372 6253 56 Fax : (022) 2372 6252

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra in **physical form.**

I / We requested you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Share holder's name	
2.		रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	Registered Folio No.	
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account	
क	क. a.	बैंक का नाम	Bank Name	
	ख. b.	शाखा नाम	Branch Name	
	ग. c.	शाखा का पता	Address of the Branch	
	घ. d.	टेलिफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number	
	च. e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank	
	छ. f.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद साख, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
	ज. g.	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	Account Number as appearing on the Cheque Book*	

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के अगले पेज की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं / हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे. मैं / हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार सुरक्षित है.

भवदीय

(प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

दिनांक

नोट :

1. यदि आपके पास इलेक्ट्रानिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपाजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
2. ईसीएस सुविधा वर्तमान में केवल निम्नलिखित केंद्रों पर ही उपलब्ध है :

   आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोय्मबटूर, कोलकाता, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालीयर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपुर, सोलपुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विजेग.
3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश को भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीएस केन्द्रों पर उपलब्ध कराती है. अतः हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि नए ईसीएस दावों को, यदि कोई हों तो, सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक को इससे अद्यतन किया जा सके. जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत्त भरे हुए प्रारूप को रजिस्टार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दें. जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए.

(Please attach a blank cheque or photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrants on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

(Name and signature of First / Sole Shareholder).

Date:

Notes:

1. In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
2. The ECS facility is available at present only at the following centres:

   Agra, Ahmedabad, Amristar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvanthapuram Tripur Udpi, Vijayawada, Vishakapatnam.

   National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are require to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
प्रधान कार्यालय : ''लोकमंगल'',1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
Head Office : "Lokmangal", 1501, Shivajinagr, Pune-411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(आयोजन स्थल में प्रवेश के समय सौंपी जाए / To be handed over at the time of entry to the Venue)

दिनांकः 27.06.2011
Date : 27.06.2011
समय : सुबह 11.30
Time : 11.30 a.m.

स्थान : आप्पासाहेब जोग सभागृह, लोकमंगल,
1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Venue : Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra
Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		
रजिस्टर फोलिओ / Regd Folio	डीपी आईडी / DP ID	
	क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमेट नहीं है तो If not dematerialised	यदि डीमेट है तो If dematerialised	
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder :		
शेयरों की संख्या Number of Shares :		

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
प्रधान कार्यालय : ''लोकमंगल'',1501,शिवाजीनगर, पुणे - 411005
Head Office : "Lokmangal", 1501, Shivajinagr, Pune-411 005

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

(सम्पूर्ण सभा के दौरान संभाल कर रखा जाए / To be retained throughout the meeting)

दिनांकः 27.06.2011
Date : 27.06.2011
समय : सुबह 11.30
Time : 11.30 a.m.

स्थान : आप्पासाहेब जोग सभागृह, लोकमंगल,
1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Venue : Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra
Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		
रजिस्टर फोलिओ / Regd Folio	डीपी आईडी / DP ID	
	क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमेट नहीं है तो If not dematerialised	यदि डीमेट है तो If dematerialised	
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder :		
शेयरों की संख्या Number of Shares :		

शेयरधारक / प्राक्सीधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति-प्रवेशपत्र पर बैंक के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर कर इसे सभागृह में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें. सभागृह में प्रवेश, यदि आवश्यक हुआ तो, अन्य सत्यापन / जांच के अधिन हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति-प्रवेशपत्र की अनुलिपि सभागृह के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं की जाएगी.

Shareholders / proxy holders / representatives are requested to produce the above Attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank alongwith the entry pass for admission to the venue. The admission may, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल",1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005)

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाएं)

रजिस्टर फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		क्लायंट आईडी	
अगर डीमेट नहीं हो तो		अगर डीमेट है तो	

मैं / हम, राज्य _____ के जिले _____ के निवासी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक एतदद्वारा

राज्य _____ जिले _____ के निवासी

श्री/श्रीमती _____ को या उनकी अनुपस्थिति की दशा में राज्य _____ के जिले _____ के निवासी

श्री/श्रीमती _____ को दिनांक 27 जून 2011 को संपन्न होने वाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक में और बैठक आस्थगन की दशा में मेरी/ हमारी प्रॉक्सी के रूप में मेरी/हमारी ओर से वोट देने के हेतु नियुक्त करते हैं.

दिनांक _____ को हस्ताक्षरित

नाम _____

पता _____

कृपया
30 पैसे का
राजस्व टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ----------

_____
(शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश :

1. कोई प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि
   - क. व्यक्तिगत शेयरधारक की दशा में शेयर धारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके ऍटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न की गई हो.
   - ख. संयुक्तधारकों की दशा में, रजिस्टर में उल्लेखित प्रथम शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके ऍटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न की गई हो.
   - ग. निगमित निकायों की दशा में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके किसी अधिकारी या किसी एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न की गई हो.
2. किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ शेयरधारकों द्वारा यदि अपना नाम या कोई चिन्ह लगाया जाता है और इसे किसी जज या मॅजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या अश्युरन्स के उप रजिस्ट्रार या सरकार के राजपत्रित अधिकारी और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है तो प्राक्सी के ऐसे लिखत को शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित किया माना जाएगा.
3. किसी भी प्रॉक्सी को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे विधिवत रूप से मोहर लगाकर व हस्ताक्षरित कर मुख्तारनामे के साथ या अन्य प्राधिकार, जिसके अंतर्गत इसे हस्ताक्षरित किया गया है, या मुख्तारनामे की प्रति और/या नोटरी पब्लिक, मॅजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित प्राधिकारपत्र की प्रति को वार्षिक साधारण आम सभा के दिनांक से चार दिन पूर्व, अर्थात 22 जून 2011 को या उसके पूर्व, नीचे दिए पते पर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है और तब तक , जब तक कि ऐसे मुख्तारनामे को या अन्य प्राधिकार को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत नहीं कर दिया जाता है.
   - क. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग, केंद्रीय कार्यालय, "लोकमंगल", 11501, शिवाजीनगर, पुणे- 411005 या
   - ख. एमसीएस लिमिटेड, (इकाईः बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोडी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से बैंक ऑफ महाराष्ट्र या शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे के पंजीकरण क्रमांक तथा एसे पंजीकरण के दिनांक का उल्लेख किया जाए.
5. बैंक में जमा किए गए प्रॉक्सी लिखत अटल और अंतिम रहेंगे.
6. यदि कोई प्राक्सी विलेख वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा.
7. शेयर लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से साधारण आम सभा में वोटिंग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
8. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी या प्रतिनिधि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है.
9. नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

BANK OF MAHARASHTRA
Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID No.	
		Client ID	
If not dematerialised		If dematerialised	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on 27th June 2011 and at any adjournment thereof.

Please Affix 30 paise Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2011.

Name _____

Address _____

Signature of Proxy ----------

_____

(Signature of the first holder/ sole holder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
   b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c. In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before 22nd June 2011, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
   a. Bank of Maharashtra, Investor Services Department, Central Office, 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune- 411 005 OR
   b. MCS Limited, Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21 /22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Blg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Maharashtra or Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.